राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

वार्षिक रिपोर्ट

(2022-23)

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

https://ntca.gov.in

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट

(2022-23)

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

https://ntca.gov.in

श्री भूपेन्द्र यादव

माननीय केन्द्रीय मंत्री

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

भारत सरकार

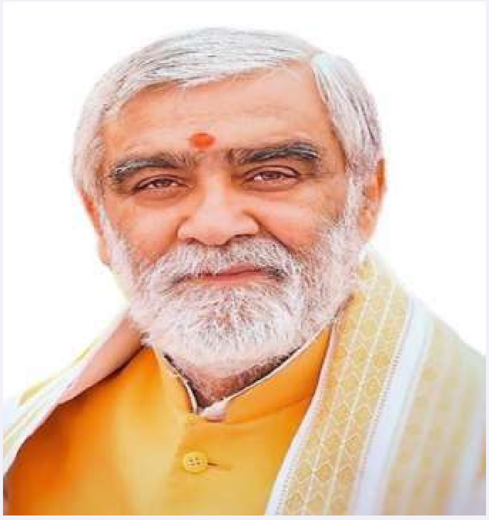

श्री अश्विनी कुमार चौबे

माननीय राज्य मंत्री

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

भारत सरकार

अनुक्रमणिका

अध्याय-1	प्रस्तावना	1
अध्याय-2	राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का गठन	3
अध्याय-3	राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की बैठकें और महत्वपूर्ण निर्णय	9
अध्याय-4	राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा गठित समितियां	35
अध्याय-5	प्रशासनिक मामले	40
अध्याय-6	एनटीसीए के वित्त वर्ष 2022-23 के वित्त एवं लेखा विवरण	58
अध्याय-7	राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की वार्षिक योजना	60
अध्याय-8	अनुपालना मुद्दे	61
अध्याय-9	अनुलग्नक	68

अध्याय-1
प्रस्तावना

<u>प्रस्तावना</u>

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है, जिसका गठन वर्ष 2006 में यथासंशोधित वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम,1972 के समर्थकारी उपबंधों के अंतर्गत, उक्त अधिनियम के तहत इसे सौंपी गई शक्तियों एवं प्रकार्यों के अनुसार व्याघ्र संरक्षण को सुदृढ करने के लिए किया गया है।

यह प्राधिकरण व्याघ्र प्रस्थिति के मूल्यांकन पर आधारित परामर्शी /निर्देशात्मक दिशानिर्देश, चालू संरक्षण पहलों और विशेष रूप से गठित समितियों के माध्यम से पर्यवेक्षण प्रतिधारित रखते हुए देश में व्याघ्र संरक्षण को सुदृढ करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के दायरे में अपने अधिदेश को पूरा कर रहा है। यह प्राधिकरण वर्तमान में 'टाइगर रिजर्व' के माध्यम से 18 व्याघ्र रेंज राज्यों में फैले 53 टाइगर रिजर्वों को निधियन सहायता प्रदान करता है। 'टाइगर रिजर्व' व्याघ्रों के यथा स्थिति संरक्षण के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की केन्द्र प्रायोजित योजना है और इस योजना के माध्यम से विलुप्तप्राय व्याघ्र को विलुप्त होने से बचाकर पुनर्प्राप्ति के सुनिश्चित मार्ग पर लाया गया है, जैसा कि परिष्कृत पद्धति का उपयोग करते हुए अखिल भारतीय व्याघ्र अनुमान (एआईटीई) के हालिया निष्कर्षों में सामने आया है।

<u>राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के लक्ष्य</u>

वैज्ञानिक, आर्थिक, सौन्दर्यीकरण, सांस्कृतिक एवं पारिस्थितिकीय मूल्यों के लिए भारत में व्याघ्रों की संख्या को जीवनक्षम स्तर तक बनाए रखने तथा लोगों को लाभ, उनकी शिक्षा एवं आनंद के लिए जैविक महत्व के क्षेत्रों का सदैव राष्ट्रीय धरोहर के रुप में संरक्षण करना।

1. व्याघ्र परियोजना को सांविधिक प्राधिकार प्रदान कराना ताकि इसके निर्देशों के अनुपालन को कानूनी दायरे में लाया जा सके।
2. हमारे संघीय ढांचे के अंतर्गत, राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन के लिए एक आधार प्रदान कर टाइगर रिजर्वों के प्रबंधन में केन्द्र-राज्य उत्तरदायित्व कायम हो।
3. संसद द्वारा निगरानी की व्यवस्था करना।
4. टाइगर रिजर्वों के आसपास के क्षेत्रों के स्थानीय लोगों की आजीविका के हितों पर ध्यान देना।

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

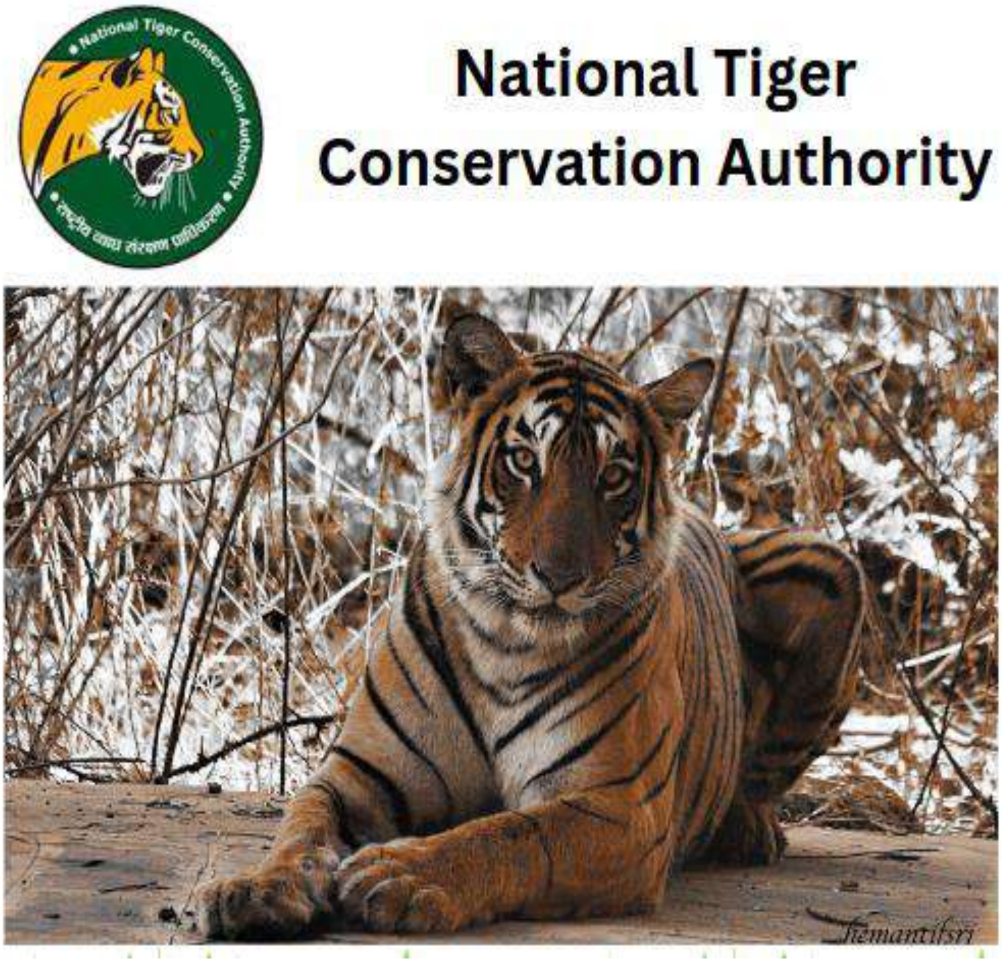

अध्याय - 2

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का गठन

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का गठन दिनांक 04.09.2006 को, अन्य बातों के साथ - साथ व्याघ्र संरक्षण प्रबंधन में निर्देशात्मक मानकों को सुनिश्चित कर, आरक्षित क्षेत्र विशिष्ट व्याघ्र संरक्षण योजना तैयार कर, संसद के पटल पर वार्षिक / लेखापरीक्षा रिपोर्ट रखकर, मुख्य मंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समितियों का गठन कर और व्याघ्र संरक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना कर व्याघ्र संरक्षण की सुदृढ़ व्यवस्था करने के लिए किया गया था। राजपत्र अधिसूचना द्वारा गठित राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के वर्तमान सदस्य इस प्रकार है:

1.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री	अध्यक्ष
2.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
3.	सुश्री दीया कुमारी संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
4.	श्री कीर्ति वर्द्धन सिंह संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
5.	श्री सुशील कुमार मोदी संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
6.	श्री एस. एस. श्रीवास्तव, भूतपूर्व पीसीसीएफ एवं एचओएफएफ, ओडिशा	विशेषज्ञ सदस्य
7.	श्री राहुल भटनागर, पूर्व क्षेत्र निदेशक, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, उदयपुर, राजस्थान	विशेषज्ञ सदस्य
8.	श्री रवि सिंह, महासचिव, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ - भारत, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली	विशेषज्ञ सदस्य
9.	श्री रूप नारायण मांडवे, एमबीबीएस, डी.सी.पी. परामर्शदाता पैथोलोजिस्ट, जबलपुर, मध्य प्रदेश	विशेषज्ञ सदस्य
10.	डॉ. प्रदीप के. मालिक, पूर्व वरिष्ठ प्राध्यापक - भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून, उत्तराखंड	विशेषज्ञ सदस्य
11.	श्री डब्ल्यू. लोंगवाह, पूर्व आईजीएफ (एनटीसीए), क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी, बशिष्ट चारियालि, गुवाहाटी, असम	विशेषज्ञ सदस्य
12.	डॉ. एच. एस. नेगी, भूतपूर्व एपीसीसीएफ (डब्ल्यूएल), मध्य प्रदेश	विशेषज्ञ सदस्य
13.	डॉ. मधु वर्मा, मुख्य अर्थशास्त्री, विश्व संसाधन संस्थान, नई दिल्ली	विशेषज्ञ सदस्य
14.	सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य
15.	वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य
16.	सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय	सदस्य

17.	सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	सदस्य
18.	अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	सदस्य
19.	अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग	सदस्य
20.	सचिव, पंचायती राज मंत्रालय	सदस्य
21.	निदेशक, वन्य जीव परिरक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य
22.	मुख्य वन्यजीव वार्डन, राजस्थान	सदस्य
23.	मुख्य वन्यजीव वार्डन, ओडिशा	सदस्य
24.	मुख्य वन्यजीव वार्डन, तमिलनाडु	सदस्य
25.	मुख्य वन्यजीव वार्डन, उत्तराखंड	सदस्य
26.	मुख्य वन्यजीव वार्डन, मिजोरम	सदस्य
27.	मुख्य वन्यजीव वार्डन, छत्तीसगढ़	सदस्य
28.	संयुक्त सचिव एवं विधायी सलाहकार, विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
29.	अपर महानिदेशक (प्रोजेक्ट टाइगर), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य सचिव

<u>एनटीसीए के प्रकार्य</u> :

वर्ष 2006 में यथा-संशोधित वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ण के तहत राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की शक्तियां और प्रकार्य इस प्रकार हैं :

(क) इस अधिनियम की धारा 38र की उप-धारा (3) के तहत राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई व्याघ्र संरक्षण योजना को अनुमोदित करना;

(ख) संधारणीय विकास पारिस्थितिकी के विभिन्न पहलुओं का आकलन और मूल्यांकन करना तथा व्याघ्र आरक्षित क्षेत्र के भीतर खनन, उद्योग और इसी प्रकार की अन्य परियोजनाओं के लिए पारिस्थितिकी रूप से बेढंग भूमि उपयोग को रोकना;

(ग) समय-समय पर व्याघ्र आरक्षित क्षेत्र के सुरक्षित और प्रमुख क्षेत्र में व्याघ्र संरक्षण के प्रयोजन से व्याघ्र परियोजना के लिए दिशा-निर्देश तथा पर्यटन कार्यकलापों के लिए निर्देशात्मक मानक निर्धारित करना तथा उनका विधिवत अनुपालन सुनिश्चित करना;

(घ) कार्य-योजना संहिता में राष्ट्रीय पार्कों, पक्षी अभ्यारण्यों अथवा टाइगर रिजर्व के बाहर वन क्षेत्रों में मानव और वन्यजीव से संबंधित संघर्ष का समाधान करने के प्रबंधन की व्यवस्था करना तथा उपाय सुझाना और इनके सह-अस्तित्व पर विशेष ध्यान देना;

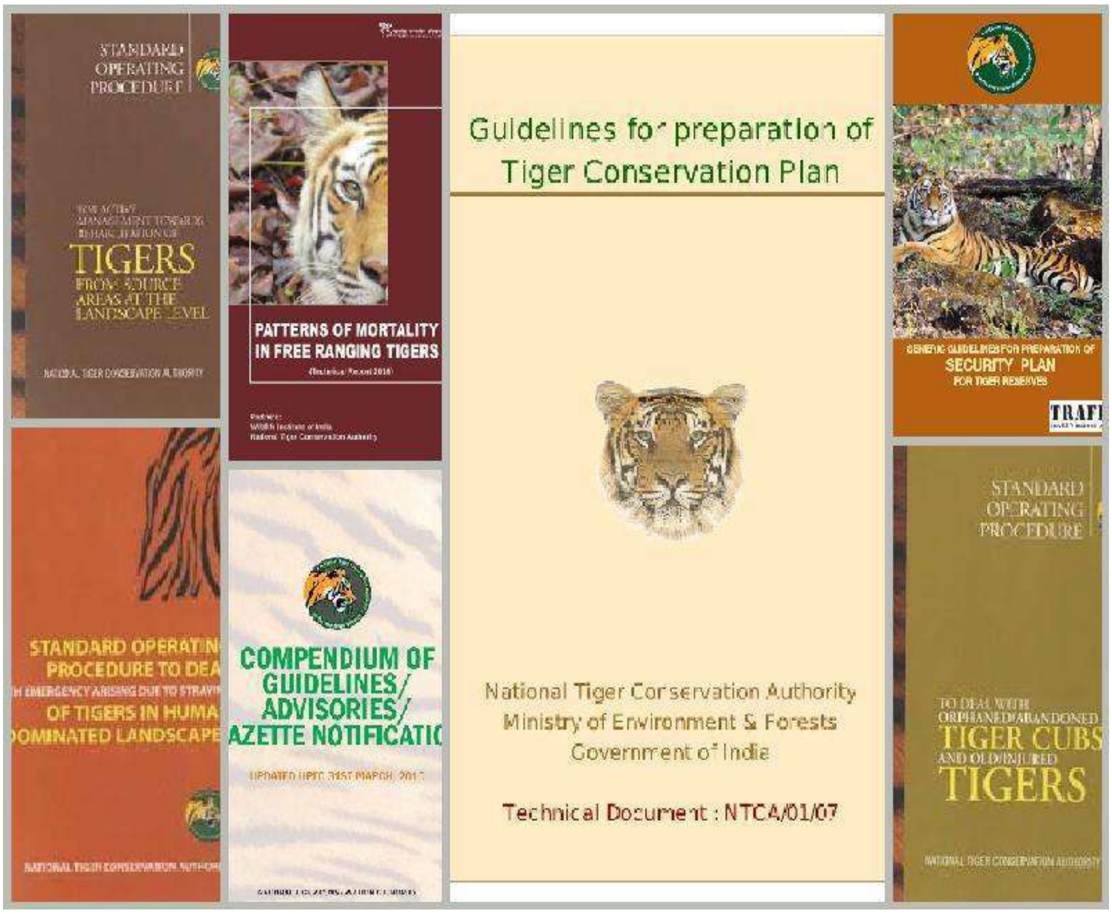

एनटीसीए द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया

(ङ) भावी संरक्षण योजना, व्याघ्र और इसकी प्राकृतिक भक्ष्य पशु प्रजातियों के आकलन, प्राकृतिक वास प्रस्थिति, बीमारी सर्वेक्षण, मृत्यु सर्वेक्षण, पेट्रोलिंग, अनुचित घटनाओं से संबंधित रिपोर्ट और भावी संरक्षण योजना के लिए यथा-उपयुक्त अन्य प्रबंधन पहलुओं सहित संरक्षण उपायों के संबंध में सूचना प्रदान करना;

(च) व्याघ्र, सह-परभक्षी, भक्ष्य पशु पर्यावास, सम्बद्ध पारिस्थितिकी और सामाजिक-आर्थिक मापदंडों के संबंध में अनुसंधान तथा निगरानी को अनुमोदित, समेकित करना तथा इनका मूल्यांकन करना;

(छ) यह सुनिश्चित करना कि टाइगर रिजर्व और एक संरक्षित क्षेत्र अथवा व्याघ्र आरक्षित क्षेत्र के किसी अन्य संरक्षित क्षेत्र अथवा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाले क्षेत्रों को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अनुमोदन तथा व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की सलाह से जनहित के अलावा, अन्य किसी बेढ़ंग पारिस्थितिकी उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाता है;

(ज) अनुमोदित प्रबंधन योजनाओं के अनुसार पारि-विकास और जनता की सहभागिता के माध्यम से राज्य में जैव-विविधता संरक्षण पहलों के लिए व्याघ्र संरक्षण प्रबंधन को सुकर बनाना और सहायता प्रदान करना तथा केन्द्र और राज्य कानूनों के अनुसार इनसे संबंधित क्षेत्रों में इसी प्रकार की पहलों के लिए सहायता प्रदान करना;

(झ) व्याघ्र संरक्षण योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए वैज्ञानिक, सूचना प्रौद्योगिकी और विधिक सहायता सहित अत्यधिक महत्वपूर्ण सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करना;

(ञ) व्याघ्र आरक्षित क्षेत्र के अधिकारियों और कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए जारी क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को सुकर बनाना; और

(ट) व्याघ्रों और उनके निवास स्थान के संरक्षण के संबंध में इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यथा-आवश्यक अन्य कार्यों को निष्पादित करना।

अध्याय-3

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की बैठकें और उन बैठकों में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की

20वीं बैठक के संक्षिप्त अभिलेख

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की 20वीं बैठक श्री भूपेन्द्र यादव, माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और अध्यक्ष, एनटीसीए की अध्यक्षता में और श्री अश्विनी कुमार चौबे, माननीय राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और उपाध्यक्ष, एनटीसीए की उपस्थिति में 09 अप्रैल 2022 को पाक्के टाइगर रिजर्व, अरुणाचल प्रदेश में आयोजित की गयी।

यह बैठक एनटीसीए के सदस्यों के परिचयों के दौर से शुरू हुई। इसके बाद कार्यसूची मदवार चर्चा की गयी।

कार्यसूची मद सं. - 1 : एनटीसीए सचिवालय की गतिविधियों की अद्यतन सूचना

1. एडीजी (प्रोजेक्ट टाइगर) और सदस्य सचिव (एनटीसीए) ने प्रतिभागियों का औपचारिक रूप से स्वागत करते हुए कार्यवाही की शुरूआत की और माननीय अध्यक्ष से निम्नलिखित तीन प्रकाशनों का विमोचन करने का अनुरोध किया।

(i) वन में बाघों को फिर से छोडे जाने और अनुपूरण पर कार्य करने के लिए मानक संचालन प्रोटोकॉल (एसओपी)।
(ii) बाघ अभ्यारण्यों (टाइगर रिजर्व) के लिए वन अग्नि संपरीक्षा (ऑडिट) प्रोटोकॉल।
(iii) भारत में बाघ अभयारण्यों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (एमईई) संबंधी तकनीकी निर्देशिका (मैनुअल)

2. बांधवगढ़, पेंच और सत्यमंगलम बाघ अभयारण्यों को सीए|टीएस प्रत्यायन प्रदान किए गए। इन सभी बाघ अभ्यारण्यों को सीए/टीएस अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा उनकी विशिष्टता के लिए चुना गया था।

3. एडीजी (प्रोजेक्ट टाइगर) और सदस्य सचिव (एनटीसीए) ने अध्यक्ष और सदस्यों को निम्नलिखित मुख्य पहलुओं पर जानकारी देते हुए कार्यवाही जारी रखी :

(i) वन अग्नि पर नियंत्रण करने के लिए सभी बाघ अभयारण्यों को सचेत (अलर्ट) किया गया है। संबंधित पीए प्रबंधक अपने - अपने क्षेत्रों में आग की स्थिति, क्षति, आग पर नियंत्रण आदि जैसे पहलुओं के बारे में वास्तविक समय के आधार पर नवीनतम सूचना प्रदान कर रहे हैं।

(ii) एनटीसीए की पिछली बैठक में यथा निर्देशित ई-श्रम और आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य (पीएम-जेएवाई) की समीक्षा योजना प्रगति पर है

(iii) प्रबंधन प्रभावी मूल्यांकन (एमईई) का चौथा चक्र शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। अद्यतित दस्तावेज़ में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन, आर्द्र-भूमि प्रबंधन जैसे मापदंडों को शामिल किया गया है।

(iv) अखिल भारतीय व्याघ्र आकलन के 5वें चक्र संबंधी नवीनतम सूचना प्रस्तुत की गयी।

अखिल भारतीय व्याघ्र आकलन का 5वाँ चक्र प्रगति पर है। इसकी रिपोर्ट दिसंबर 2022/जनवरी 2023 तक प्रस्तुत की जानी है। बैठक में यह बताया गया कि हाथियों की आबादी का आकलन पहली बार वैज्ञानिक तरीके से हाथी के गोबर के डीएनए विश्लेषण द्वारा किया जा रहा है, जो अखिल भारतीय व्याघ्र आकलन के 5वां चक्र का हिस्सा है।

अखिल भारतीय व्याघ्र आकलन की कवायद के लिए नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के बीच समन्वय बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है।

(v) प्लास्टिक मुक्त पार्क सुनिश्चित करने के लिए अमराबाद व्याघ्र अभ्यारण्य, तेलंगाना के प्रबंधन द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में सदस्यों को एक वृत्तचित्र दिखाया गया।

<u>कार्यसूची मद - 2 : सरिस्का व्याघ्र अभ्यारण्य (टाइगर रिजर्व) अद्यतन स्थिति</u>

एडीजी (पीटी) / सदस्य सचिव (एनटीसीए) ने अध्यक्ष को बताया कि, सरिस्का व्याघ्र अभयारण्य में आग की घटनाओं के कारण, मुख्य वन्यजीव वार्डन राजस्थान बैठक में भाग लेने में असमर्थ हैं। तथापि, सरिस्का के मुख्य वन्यजीव वार्डन से नवीनतम सूचना (अपडेट) और अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और आग पर काबू पा लिया गया है।

<u>कार्यसूची मद - 3 : एनटीसीए सदस्यों से प्राप्त इनपुट / नवीनतम सूचना</u>

(1) टाइगर रिजर्वों का दौरा

विभिन्न बाघ अभयारण्यों का दौरा करने के लिए गठित दो सदस्यीय समिति (एनटीसीए की 19वीं बैठक) के संबंध में अध्यक्ष को सूचित किया गया कि उक्त दौरे नहीं किए जा सके हैं, विशेषज्ञ सदस्यों और संसद के माननीय सदस्यों के बीच अधिक समय समन्वय की आवश्यकता है।

श्री पी. आर. सिन्हा ने सुझाव दिया कि शेष विशेषज्ञ सदस्य, समिति के अधिदेश पर काम करना जारी रख सकते हैं और कार्यक्रम के अनुसार संबंधित बाघ अभयारण्यों का दौरा कर सकते हैं।

(2) कोई अन्य मुद्दा / इनपुट

(I) मुख्य वन्यजीव वार्डन, झारखंड का इनपुट

उन्होंने पलामू व्याघ्र अभ्यारण्य के मुद्दों को उठाया, जो वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। इससे बाघों के प्रमुख पर्यावास और प्रजनन क्षेत्र नष्ट हो गए हैं।

आगे उन्होंने संरक्षण में स्थानीय लोगों को शामिल करने के महत्व पर प्रकाश डाला, यह सुझाव दिया गया कि सीमांत निवासियों को रोजगार प्रदान करके स्थानीय समुदायों के युवाओं का इस हेतुक जोड़ा जा सकता है।

ऐसे लोग उस भू-परिदृश्य के निवासी होने के कारण उस क्षेत्र और जंगल रीति से अच्छी तरह परिचित होते हैं। उनकी प्रतिभा और अनुभव का उपयोग जंगलों और संबंधित जैव विविधता की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है।

(II) श्री पी. आर. सिन्हा, सदस्य एनटीसीए का इनपुट।

- पलामू बाघ अभयारण्य में वामपंथी उग्रवाद की समस्या के अलावा, अत्यधिक चराई के दबाव ने भी पर्यावास के क्षरण बढाया है, जिससे इस क्षेत्र में बाघों की आबादी में गिरावट आई है।

- यह भी बताया गया कि कर्मचारियों की भर्ती 1990 के दशक से लंबित है, जिसके कारण अधिकांश पद (60% से अधिक) या तो रिक्त हैं या कार्यरत कर्मचारी सेवानिवृत्ति के करीब हैं।

- अभ्यारण्य (रिजर्व) के दायरे को बढ़ाने और छवि को निखारने के उद्देश्य से बाघ अभयारण्यों की रीब्रांडिंग की जानी चाहिए। यह बाघों की सुरक्षा/संरक्षण के अलावा संरक्षित क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाओं को उजागर कर किया जा सकता है।

- बफर और कॉरिडोर जैसे अंतर्फलक (इंटरफेस) क्षेत्रों की योजना पर जोर दिया जाना चाहिए, इसे संवेदीकरण और ज्ञान साझाकरण के माध्यम से जिला योजना के साथ ऐसे क्षेत्रों हेतु बनायी गयी बाघ संरक्षण योजनाओं (टीसीपी) को मुख्यधारा में लाकर हासिल किया जा सकता है।

(III) श्री अनीश अंधेरिया (पीएचडी), वन्यजीव संरक्षण ट्रस्ट, मुंबई का इनपुट।

उन्होंने ऐसे क्षेत्रों के आसपास की नदियों के साथ बाघ अभ्यारण्य को जोड़ने का सुझाव दिया। इससे रेत खनन जैसी अवैध गतिविधियों से नदियों की सुरक्षा का उद्देश्य पूरा होगा। यह डॉल्फ़िन जैसे जलीय जीवों के लिए फायदेमंद होगा और रेत खनन के कारण उत्पन्न नदियों में बाढ़ के खतरे को भी रोकेगा।

(IV) फील्ड डायरेक्टर, बांधवगढ़ बाघ अभ्यारणय (टाइगर रिजर्व), मध्य प्रदेश का इनपुट

उन्होंने संबंधित बाघ अभयारण्यों और अन्य वन्यजीव क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के कल्याण संबंधी मुद्दा उठाया। बताया गया कि अंदरूनी इलाकों में फील्ड में तैनात इन कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता (एचआरए) नहीं मिलता क्योंकि वे वहां सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं। तथापि, प्रादेशिक क्षेत्रों के कर्मचारियों की स्थिति के विपरीत, इन कर्मचारियों को अपने परिवारों को रखने के लिए एक और आवास रखना पड़ता है। इसलिए, वन्यजीव क्षेत्रों में काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों का एचआरए कठिन/दूरस्थ क्षेत्रों में काम करने के प्रोत्साहन के रूप में छोड़ दिया जाना चाहिए।

कठिन कामकाजी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इन वन्यजीव कर्मचारियों को प्रेरित करने हेतु अतिरिक्त भत्ते के रूप में मूल वेतन का 30% भी अलग से दिया जाना चाहिए।

(V) मुख्य वन्यजीव वार्डन, असम का इनपुट

काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य (टाइगर रिजर्व) की दूसरी और पांचवीं अतिरिक्त बसाव के लिए शेष राशि निर्मोचित करने का अनुरोध किया गया।

साथ ही उन्होंने सदस्यों को मौजूदा ओरंग बाघ अभ्यारण्य में 200 वर्ग किमी की अतिरिक्त क्षेत्र को जोड़ने के संबंध में नवीनतम सूचना दी।

कार्यसूची मद - 4 : श्री एस. एस. श्रीवास्तव, सदस्य, एनटीसीए द्वारा प्रस्तावित।

(1) कोविड महामारी के दौरान बाघ अभ्यारण्य का प्रबंधन और संरक्षण और एम-स्ट्रिप्स की भूमिका

(2) जनशक्ति और बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दे

बैठक के दौरान उपरोक्त मुद्दों पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है।

<u>कार्यसूची मद - 5 : दिनांक 05.01.2022 को आयोजित 19वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि</u>

सदस्यों ने एनटीसीए की 19वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्यसूची मद - 6 : एनटीसीए की 19वीं बैठक संबंधी कृत कार्रवाई रिपोर्ट।

एडीजी (प्रोजेक्ट टाइगर) और सदस्य सचिव (एनटीसीए) ने कृत कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) की मुख्य बातें संक्षेप में बताईं।

<u>निर्णय</u>

सदस्यों ने एनटीसीए की 18वीं बैठक की कृत कार्रवाई रिपोर्ट को अनुमोदित किया।

<u>कार्यसूची मद-7 : वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट और बजट/व्यय अनुसूचियों का अनुमोदन</u>

एडीजी (प्रोजेक्ट टाइगर) और सदस्य सचिव (एनटीसीए) ने बताया कि वर्ष 2021-22 के दौरान सहायता अनुदान सामान्य और सहायता अनुदान वेतन के तहत संस्वीकृत बजट का 98.30% उपयोग हुआ है।

<u>निर्णय</u>

सदस्यों ने वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट और बजट/व्यय अनुसूचियों को अनुमोदित किया।

अतिरिक्त कार्यसूची मद : दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को दिबांग बाघ अभ्यारण्य के रूप घोषित करने का निर्णय

सदस्यों ने दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को दिबांग बाघ अभ्यारण्य (टाइगर रिजर्व) के रूप में अंतिम घोषणा को अनुमोदित किया।

चर्चा के उपरांत, एडीजी (प्रोजेक्ट टाइगर) और सदस्य सचिव (एनटीसीए) ने माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री / अध्यक्ष, एनटीसीए और माननीय राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन / उपाध्यक्ष, एनटीसीए से उनका विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया और उनकी टिप्पणियां आमंत्रित की।
(1) माननीय राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन / उपाध्यक्ष, एनटीसीए ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किए और टिप्पणियाँ कीं :

यह सुझाव दिया गया कि बाघ अभयारण्यों / संरक्षित क्षेत्र के आसपास स्थित कंपनियों/उद्योगों से सीएसआर (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) निधि को रिजर्व की गतिविधियों में निवेश करने के लिए पता लगाया जाना चाहिए।

(2) माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री / अध्यक्ष, एनटीसीए ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किए और निर्णय लिए :

(क) सदस्यों की अनुपस्थिति को ध्यान में लाया गया, और यह निर्देश दिया गया कि बैठक में भाग नहीं लेने के लिए सदस्यों से कारण पूछा जाए।

(ख) संबंधित बाघ अभयारण्यों के सदस्यों के दौरे के संबंध में, यह निदेश दिया गया कि बाघ अभयारण्यों के दौरे के लिए सदस्यों की एक सूची बनाई जाए। सदस्यों को उन मुद्दों की एक सूची सौंपी जानी है जिन्हें बाघ अभयारण्यों के दौरे के दौरान ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। शामिल किए जाने वाले सांकेतिक बिंदुओं में, क्षेत्र के समुदायों, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के साथ बैठकें, कर्मचारी कल्याण, पर्यटन की स्थिति, अन्य चुनौतियों आदि हैं।

15 मई तक कम से कम 25 बाघ अभ्यारण्यों का दौरा किया जा सकता है। अभिनिर्दिष्ट बाघ अभ्यारण्यों के साथ सदस्यों की एक सूची तैयार कर एचएमईएफसीसी के कार्यालय के साथ साझा की जानी है।

(ग) एनटीसीए की अगली बैठक भी जुलाई, 2022 के प्रथम सप्ताह तक बाघ अभ्यारण्य (टाइगर रिजर्व) में आयोजित की जानी है। अंतिम बैठक से एक दिन पहले सदस्यों की एक प्रारंभिक बैठक आयोजित की जानी है ताकि उन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जा सके जिन पर निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है।

(घ) अन्य एजेंसियों/विभागों जैसे सीमा सुरक्षा बल, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इत्यादि के साथ बाघ अभयारण्यों के अंतर्फलक (इंटरफेस) के क्षेत्रों को परामर्श के माध्यम से हल करने के लिए अभिनिर्धारित / सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

(ङ) अध्यक्ष ने दोहराया कि, बाघ अभयारण्य के केंद्र को क्षेत्र के गर्भगृह के रूप में बनाए रखा जाना चाहिए, और उस क्षेत्र को अक्षुण्ण रखने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

(च) एनटीसीए में एक ऐसा प्रकोष्ठ बनाया जाना चाहिए जिसमें पर्याप्त संख्या में शोधकर्ता शामिल हों, जो बाघ संरक्षण से संबंधित सभी प्रकाशनों का दस्तावेजीकरण करेंगे।

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

की 21वीं बैठक के संक्षिप्त अभिलेख

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की 21वीं बैठक श्री भूपेन्द्र यादव, माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और अध्यक्ष, एनटीसीए की अध्यक्षता में और श्री अश्विनी कुमार चौबे, माननीय राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और उपाध्यक्ष, एनटीसीए की उपस्थिति में 29 जुलाई 2022 को चन्द्रपुर प्रशासन विकास और प्रबंधन वन अकादमी, चन्द्रपुर, महाराष्ट्र में आयोजित की गयी।

यह बैठक एनटीसीए के सदस्यों के परिचयों के दौर से शुरू हुई। इसके बाद कार्यसूची मदवार चर्चा की गयी।

क) कार्यसूची मद सं. - 1 : एनटीसीए की गतिविधियों संबंधी नवीनतम सूचना

एडीजी (प्रोजेक्ट टाइगर) और सदस्य सचिव (एनटीसीए) ने प्रतिभागियों का औपचारिक रूप से स्वागत किया और एनटीसीए की गतिविधियों संबंधी नीचे उल्लिखित नवीनतम सूचना से माननीय अध्यक्ष को अवगत कर कार्यवाही शुरू की।

- दिबांग टाइगर रिजर्व, अरुणाचल प्रदेश की घोषणा की मंजूरी निमित्त अधिसूचना के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु राज्य को सूचित कर दिया गया है।
- 18 जुलाई, 2022 को नई दिल्ली में एक पारि-पर्यटन (इको-टूरिज्म) कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें विभिन्न टाइगर रिजर्व (बाघ अभ्यारण्य) के फील्ड निदेशकों ने भाग लिया।
- कार्यशाला के मुख्य इनपुट और सिफ़ारिशों का विवरण नीचे दिया गया है :
- कोर क्षेत्र में पर्यटन के लिए कोई नया क्षेत्र नहीं खोला जाएगा और कोर क्षेत्र से पर्यटन के बुनियादी ढांचे को निर्धारित समय-सारणी में चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा। संबंधित टाइगर रिजर्व इस संबंध में एक समय-सीमा प्रस्तुत करेंगे।
- बाघ संरक्षण योजना में दी गई वहन क्षमता के अनुसार पर्यटन को सीमित किया जाएगा।

- रात के समय जंगली जानवरों पर प्रकाश और शोर के प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, टाइगर रिजर्व में किसी भी रात्रि सफारी की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तथापि, मौजूदा नियमों के अनुसार टाइगर रिजर्व के बाहर वन क्षेत्रों में रात्रि सफारी की अनुमति दी जा सकती है।

- एनटीसीए के पारि-पर्यटन (इकोटूरिज्म) संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, यह दोहराया गया कि बाघ अभयारण्यों (टाइगर रिजर्व) के मुख्य क्षेत्र से रात्रि प्रवास को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए।

- बाघ अभयारण्यों (टाइगर रिजर्व) के मुख्य क्षेत्रों में किसी भी नई स्थायी पर्यटक सुविधाओं की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

- बाघ अभयारण्यों में पर्यटन गतिविधियों जैसे पुष्प विविधता, जैव विविधता, आर्द्रभूमि, पक्षी विहार, स्थानीय शिल्प और संस्कृति आदि के विविधीकरण पर जोर दिया जाएगा।

- पर्यटन के उद्देश्य से बाघ अभयारण्यों के अंदर कोई नई सड़क नहीं बनाई जाएगी।

- वनस्पतियों और जीवों के पुनरुद्धार की अवधि और पर्यटकों की सुरक्षा के अलावा वन सड़कों की खराब स्थिति के कारण, मानसून के मौसम के दौरान न्यूनतम तीन महीने की अवधि के लिए बाघ अभयारण्यों में कोई पर्यटन नहीं किया जाना चाहिए। यह अवधि राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा फील्ड निदेशक के परामर्श से तय की जा सकती है।

- समतल भूमि वाले टाइगर रिजर्व में पर्यटन के उद्देश्य के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग/व्यवहार्यता का पता लगाना।

- टाइगर रिजर्व को एकल उपयोग (सिंगल यूज) प्लास्टिक से 100% मुक्त किया जाना चाहिए। फील्ड निदेशकों को 30 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसका मूल्यांकन बाघ अभयारण्यों (टाइगर रिजर्व) के स्वतंत्र प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन के दौरान भी किया जाएगा।

- पर्यटक वाहनों की वास्तविक समय पर निगरानी की सुविधा प्रदान करने के लिए, मध्य प्रदेश में उपयोग किए जा रहे मोबाइल आधारित एप्लिकेशन 'बघीरा' की तर्ज पर वाहनों की जीपीएस द्वारा टैगिंग की जाएगी।

- टाइगर रिजर्व में पारि-पर्यटन पहल के माध्यम से आजीविका के अवसरों से संबंधित कौशल उन्नयन के प्रयासों को और अधिक प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
- जागरूकता पैदा करने के लिए, प्रत्येक टाइगर रिजर्व को स्थानीय संस्कृति और शिल्प का प्रदर्शन करते हुए अच्छी गुणवत्ता का एक व्याख्या केंद्र स्थापित करना चाहिए।

ख) कार्यसूची मद सं. - 2 : एनटीसीए सदस्यों से प्राप्त इनपुट / नवीनतम सूचना

(i) बाघ अभ्यारण्यों का दौरा :

(क) श्री पी. आर. सिन्हा (वाल्मिकी टाइगर रिजर्व, बिहार का दौरा)

निम्नलिखित टिप्पणियां की गयीं :

- अनेक क्षेत्र (फील्ड) पद रिक्त पड़े हैं जिसके कारण प्रबंधकीय समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं।
- अपर्याप्त धन के कारण आवास सुधार कार्यक्रम को झटका लगा।
- अग्रिम पंक्ति में कार्यरत (फ्रंटलाइन) श्रमिकों को मजदूरी देने में देरी एक प्राथमिक चिंता का विषय है।
- अभी तक किसी गांव का स्थान परिवर्तन नहीं किया गया है।
- एम-स्ट्रिप्स अनुप्रयोग में गड़बड़ियों के बारे में डब्ल्यूआईआई को सूचित किया गया है और उन्हें हल करने की आवश्यकता है।
- गश्त करने के लिए पुराने वाहनों और मोबाइल सेटों को बदलने की जरूरत है।
- वीटीआर में एसएचजी के माध्यम से या ट्रैकर्स के रूप में करीब 550 स्थानीय युवाओं को पारि-पर्यटन (इकोटूरिज्म) में शामिल करना एक सराहनीय पहल है।
- पारि-पर्यटन सुविधाओं के संतोषजनक प्रबंधन में स्थानीय युवाओं का योगदान सराहनीय है।
- गलियारा (कॉरिडोर) प्रबंधन योजना तैयार करने और वित्त पोषण सहायता की आवश्यकता है।

(ख) श्री बी. के. पटनायक, सदस्य एनटीसीए (सतकोसिया टाइगर रिजर्व, ओडिशा का दौरा)

निम्नलिखित टिप्पणियां की गयीं :

- टाइगर रिज़र्व का पूरा क्षेत्र (कोर और बफर) वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आता है।

- टाइगर रिजर्व के अंदर 140 गांवों का परिसीमन सफलतापूर्वक किया गया है तथापि, कार्यात्मक रूप से; वे पहले जैसा ही दबाव डालते हैं।
- इन गांवों में आवागमन के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सड़कों का निर्माण कराने से अव्यवस्थाएं और बढ़ जाती हैं।
- मुख्य क्षेत्र से स्वैच्छिक गांव स्थानांतरण एक प्राथमिकता है जिसके बाद आवास विकास और शिकार पुनर्प्राप्ति उपाय आते हैं।
- स्थानांतरित गांवों के लिए वैकल्पिक आजीविका पैदा करने पर जोर दिया जाना चाहिए।
- वर्ष 2017 में बाघों के पुनर्स्थापन की विफलता के कई कारण हैं।
- फील्ड निदेशक क्षेत्रीय सीसीएफ भी है, जिसके पास कई क्षेत्रीय प्रभार हैं, इसलिए वे रिजर्व के लिए अनन्य समय और एकाग्रता प्रदान करने में असमर्थ है।
- वन रक्षकों के करीब 65 प्रतिशत रिक्त पद रिक्त पड़े हुए हैं जिससे कई प्रबंधकीय समस्याएं खड़ी हो गयीं हैं।
- एनटीसीए के दिशानिर्देशों के अनुसार स्थानीय सलाहकार समिति (एलएसी) का गठन किया जाना चाहिए।
- महानदी तट पर पारि-पर्यटन का कार्य सराहनीय है, तथापि जल प्रदूषण से बचने के लिए बेहतर मलजल (सीवेज) प्रबंधन की आवश्यकता है।
- एक गश्ती दल के मुखिया का एम-स्ट्राइप्स से परिचित होना और मासिक गश्त की तीव्रता की रिपोर्ट करने में प्रगति सराहनीय है।

(ग) श्री एस. एस. श्रीवास्तव, सदस्य एनटीसीए (दुधवा टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश का दौरा) :

निम्नलिखित टिप्पणियां की गयीं :

- यह क्षेत्र बाघों और हाथियों के लिए एक आदर्श पर्यावास है। कतर्नियाघाट इलाका बेहद अशांत है। भरतपुर और चलतुआ गांवों के पुनर्वास के लिए राज्य और केंद्र सरकार से सहायता और धन की आवश्यकता है।

- पार्क में फील्ड स्टाफ की कमी देखी गई है, जिनके 48% पद खाली हैं। अपर्याप्त धनराशि / और विलंबित निर्मोचन के कारण प्रबंधकीय समस्याएं पैदा हो रही हैं।
- धन की कमी और इसके विलंबित निर्मोचन से मजदूरी देने में देरी होती है।
- अतिक्रमण हटाने को लेकर अच्छा काम हुआ है।
- इस क्षेत्र में गश्त के प्रयास सराहनीय हैं जिसे एम-स्ट्राइप्स की मासिक रिपोर्ट के माध्यम से देखा जा सकता है।
- अतिक्रमण और बेदखली के लिए जिला प्रशासन और पुलिस की अनिवार्य सहायता हेतु केंद्र सरकार से एक निर्देश/नीति की आवश्यकता है।
- नानपारा से मियालानी रेलवे लाइन को बंद करने का सुझाव दिया जाता है।
- ईडीसी के सक्रियण की सख्त आवश्यकता है।
- मानव-पशु संघर्ष से बहुत सारी जनशक्ति और संसाधन नष्ट हो जाते हैं

(घ) श्री अनीश अंधेरिया, सदस्य, एनटीसीए (सह्याद्री टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र का दौरा) :

निम्नलिखित टिप्पणियां की गयीं :

- सड़क नेटवर्क विकसित नहीं है और केंद्र में विशाल जलाशयों के लिए जलमार्ग के माध्यम से गश्त की आवश्यकता होती है।
- बड़े आकार के गश्त दलों को युक्तिसंगत बनाने और रिक्तियों को भरने की आवश्यकता है।
- कई गाँवों को स्थानांतरित कर दिया गया है और इसे पूर्णतः अछूता क्षेत्र बनाने के लिए केवल पाँच गाँव बचे हैं। इन बचे हुए गांवों को स्थानांतरित करने के लिए 10 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।
- बाघ अभ्यारण्यों के गांवों और उसके आस-पास बंदूकों की बहुतायत लगातार खतरा बनी हुई है।
- गलियारे की अखंडता को बनाए रखने के लिए, राधानगरी, तिलारी और अन्य संरक्षित क्षेत्रों को प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ाकर या उन्हें नए बाघ अभयारण्य घोषित करके बाघ रिजर्व प्रबंधन में लाया जा सकता है।

- पार्क ने एक अंतरिम एमईई कवायद भी शुरू की है। बैठक के दौरान इसकी रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष को सौंपी गई।

(ङ) श्री सुनील लिमये, मुख्य वन्यजीव वार्डन, महाराष्ट्र (सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश का दौरा) :

निम्नलिखित टिप्पणियां की गयीं :

- सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पैदल गश्त की गहनता की सराहना की।
- कोर और बफर क्षेत्रों से 49 गांवों के पुनर्वास के लिए सरकार से बड़ी वित्तीय सहायता की आवश्यकता है
- केंद्र सरकार द्वारा बफर क्षेत्र में गांव के पुनर्वास हेतु नीतिगत और वित्त पोषण सहायता का पता लगाया जाना चाहिए।
- बाघ अभ्यारण्यों से गांवों के स्थानांतरण के प्रस्तावों को एक "रणनीतिक परियोजना" के रूप में माना जाना आवश्यक है और ऐसी भूमि के डायवर्जन की अनुमति देने का निर्णय उचित अधिकारियों को सौंपा जाना चाहिए ताकि सामाजिक - गतिकी को ध्यान में रखते हुए पूरी प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।
- "पुनर्स्थापन के लिए अनारक्षित / अधिसूचना रद्द भूमि की सीमा मूल क्षेत्र में बसने वालों द्वारा खाली की गई सीमा से अधिक नहीं होगी" की गांववार स्थिति पर न केवल राज्य स्तर पर संचयी क्षेत्र के आंकड़ों पर बल्कि स्थानांतरित होने वाले गांवों द्वारा डाले गए मानवजनित दबाव के प्रभाव के क्षेत्र पर समग्र रूप से विचार करने की आवश्यकता है।
- रिक्त पदों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने की आवश्यकता है।
- बफर क्षेत्र में मौजूद गांव भी बाहर स्थानांतरित होने के इच्छुक हैं।

(च) डॉ. एस. पी. यादव, एडीजी (पीटी) एवं सदस्य सचिव (एनटीसीए), (राजाजी टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड का दौरा) :

निम्नलिखित टिप्पणियां की गयीं :

- देहरादून शहर से कई जल निकासी बिंदु अभ्यारण्य में खुलते हैं जो अपशिष्ट के साथ-साथ ढेर सारा प्लास्टिक अपशिष्ट भी पार्क में लाते हैं।
- पार्क को फील्ड स्टाफ की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कई पद खाली पड़े हैं।
- टाइगर रिजर्व की बाघ संरक्षण योजना (टीसीपी) अभी तक अनुमोदन के लिए प्रस्तुत नहीं की गई है।
- बाघ संरक्षण कोष (टीसीएफ) अभी तक नहीं बनाया गया है।
- बाघ अभयारण्य के पश्चिमी क्षेत्र में बाघों की आबादी में और वृद्धि की आवश्यकता है, जिनका अनुशीलन किए जाने की आवश्यकता है।
- पार्क टाइगर रिजर्व के आसपास औद्योगिक संपदा से कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि से वित्त पोषण की संभावना तलाश की जा सकती है।

ग) कार्यसूची मद सं. - 4 : श्री पी. आर. सिन्हा, सदस्य एनटीसीए द्वारा प्रस्तावित।

(i) एनटीसीए की 20वीं बैठक में प्रस्तावित वैज्ञानिक प्रकोष्ठ के लिए कार्यों के दायरे का निर्धारण :

यह महसूस किया गया कि मौजूदा साहित्य सामग्री की समीक्षा की जानी चाहिए और उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे काम करने के प्रणालीगत और वैज्ञानिक तरीकों को बढ़ावा मिलेगा।

(ii) पारिस्थितिकीय - संवेदनशील क्षेत्र के लिए प्रबंधन योजना :

- ईएसजेड क्षेत्रों के मुद्दों को हल करने पर जोर देने के साथ पारिस्थितिकीय - संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) के लिए क्षेत्रीय योजनाएं प्राथमिकता पर तैयार की जानी चाहिए।
- कुछ बाघ अभ्यारण्य (टाइगर रिज़र्व) प्रायोगिक आधार पर ऐसी क्षेत्रीय योजनाएँ तैयार कर सकते हैं।

घ) कार्यसूची मद सं. - 5 : श्री एस. एस. श्रीवास्तव, सदस्य, एनटीसीए द्वारा प्रस्तावित।

<u>टाइगर रिजर्व के व्यवस्थित प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संबंधित टाइगर रिजर्व में किए गए शोध कार्यों के दस्तावेजीकरण के संबंध में चर्चा :</u>

- टाइगर रिजर्व में शोध कार्य के दबाव पर प्रकाश डाला।
- एक डेटाबेस के निर्माण के साथ-साथ विभिन्न बाघ अभयारण्यों में किए जा रहे प्रबंधन इनपुट उन्मुख अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जिसमें भारत के बाघ अभयारण्यों में किए गए सभी शोध कार्य शामिल होंगे।

ङ) कार्यसूची मद सं. - 6 : मुख्य वन्यजीव वार्डन, असम (सदस्य, एनटीसीए) द्वारा प्रस्तावित

चूंकि मुख्य वन्यजीव वार्डन असम बैठक में मौजूद नहीं थे, इसलिए इस कार्यसूची मद पर चर्चा टाल दी गई।

च) अतिरिक्त कार्यसूची मद :

(i) सक्षम प्राधिकारी द्वारा महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावास के तहत नए क्षेत्रों, यदि कोई हो, की घोषणा करने से पहले वन अधिकार अधिनियम, 2006 का अनुपालन :

एडीजी (पीटी) एवं सदस्य सचिव (एनटीसीए) ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(ii) कार्यसूची मद सं. 7 में संशोधन / एनटीसीए की 20वीं बैठक का निर्णय (वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट और बजट / व्यय कार्यक्रम की मंजूरी) :

निर्णय :

इस संशोधन को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था।

चर्चा के बाद, एडीजी (प्रोजेक्ट टाइगर) और सदस्य सचिव (एनटीसीए) ने माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री / अध्यक्ष, एनटीसीए और माननीय राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन / उपाध्यक्ष, एनटीसीए से अपने संप्रेक्षण और टिप्पणियां देने का अनुरोध किया।

(1) माननीय राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन / उपाध्यक्ष, एनटीसीए ने निम्नलिखित संप्रेक्षण और टिप्पणियाँ कीं :

(क) एनटीसीए सदस्यों के टाइगर रिजर्वों के दौरे की प्रशंसा की गई।

(ख) प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

(ग) टाइगर रिजर्व में नदियों को शामिल करने के दृष्टिकोण संबंधी अद्यतन जानकारी मांगी गई थी।

(घ) आर्थिक रूप से पिछड़े और आसपास के क्षेत्र के लोगों और छात्रों के लिए बाघ अभयारण्यों में किफायती पारि-पर्यटन (इकोटूरिज्म) का विकल्प खुला रखने के लिए कहा गया था।

(ङ) छात्रों को प्रकृति के करीब लाने और समुदायों को जंगल के प्रति अपनापन बढ़ाने के लिए संरक्षण कार्यों में शामिल करने पर जोर दिया गया।

(च) डिजिटल संचार के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

(छ) स्थानीय समुदायों द्वारा बांस और अन्य शिल्पों के विपणन के लिए एक मंच प्रदान करने पर चर्चा की गई।

(ज) बाघ अभयारण्यों से संबंधित सभी अनुसंधान कार्यों और महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लिए एकल ऑनलाइन संसाधन केंद्र खोलने का प्रस्ताव किया गया था।

(2) माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री / अध्यक्ष, एनटीसीए ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ की और निर्णय लिए :

(क) बताया गया कि माननीय सांसदों की नियुक्ति हो चुकी है और माननीय सदस्य अगली बैठक से उपस्थित रहेंगे।

(ख) पहले के निर्देशों के संबंध में यह दोहराया गया था कि 52 टाइगर रिजर्व से मानक प्रारूप में सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी और इसमें गठन का वर्ष, पानी की उपलब्धता की स्थिति, बफर क्षेत्र और मूल क्षेत्र, ईएसजेड, जैव विविधता, बाघों की आबादी, गांव पुनर्वास आदि के बारे में जानकारी जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल होने चाहिए। इस संदर्भ में, एक अनुप्रयोग (एप्लिकेशन) (ऐप आधारित)विकसित किया जा सकता है।

(ग) जैसा कि 9 अप्रैल, 2022 को पाक्के टाइगर में आयोजित एनटीसीए की 20वीं बैठक में निर्देश दिए गए थे, एक तकनीकी एकक का गठन जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए जो विभिन्न

टाइगर रिजर्वों और वर्तमान में चल रहे शोधों का दस्तावेजीकरण करेगा और प्रस्तावित संसाधन केंद्र स्थापित करेगा।

(घ) भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई), भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआई), भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेडएसआई), भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई), वन अनुसंधान संस्थान एफआरआई), भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), जो एनटीसीए को इसके काम में सहायता दे सकता है, जैसे संस्थानों के साथ एक कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए।

(ङ) चार या चार से अधिक टाइगर रिजर्व वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एचएमईएफसीसी की एक बैठक बुलाई जाएगी। बैठक के प्रतिभागियों में मुख्य वन्यजीव वार्डन, एनटीसीए अधिकारी और संबंधित माननीय सांसद शामिल होंगे।

(छ) माननीय राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन टाइगर रिजर्व वाले इन राज्यों, नामत: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकें बुलाएंगे, जिनमें टाइगर रिजर्व के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

(ज) सतकोसिया और वाल्मिकी टाइगर रिजर्व के मुद्दे के संबंध में संसदीय सलाहकार समिति के अंदर और विशेषज्ञ सदस्यों के साथ चर्चा।

(झ) विशेष रूप से टाइगर रिजर्व के लिए जिप्सी वाहन खरीदने की संभावना तलाशना।

(ञ) सभी टाइगर रिजर्व के लिए निम्नलिखित सदस्यों के साथ टाइगर रिजर्व विशिष्ट व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण : विधायक, सांसद, जिला प्रमुख, डीएफओ / एफडी / डीडी, एसपी और डीएम।

(ट) लोगों को संरक्षण से जोड़ने के नए तरीकों की खोज करना जैसे :

- ईएसजेड में स्थित गांवों को ग्रीन क्रेडिट प्रणाली के दायरे में लाने हेतु तंत्र की खोज, एडीजी वन्यजीव ग्रीन क्रेडिट पर एक पत्र तैयार करेंगे और प्रस्तुत करेंगे।
- कृषि वानिकी, प्राकृतिक और जैविक खेती, आयुष, जैव विविधता रजिस्टर आदि पर जोर।
- स्थानीय पारंपरिक ज्ञान / देशी ज्ञान को बढ़ावा देना।

<u>राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण</u>

<u>की 22वीं बैठक के संक्षिप्त अभिलेख</u>

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की 22वीं बैठक 3 जनवरी 2023 को श्री भूपेन्द्र यादव, माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और एनटीसीए के अध्यक्ष की अध्यक्षता में बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कर्नाटक में आयोजित की गई थी।

बैठक की शुरुआत एनटीसीए सदस्यों के परिचय से हुई। इसके बाद माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री / अध्यक्ष, एनटीसीए द्वारा "टाइगर जर्नल" का विमोचन किया गया।

कार्यसूची मदवार की गयी चर्चाएं इस प्रकार हैं :

क) कार्यसूची मद - 1 : एनटीसीए की गतिविधियों संबंधी नवीनतम सूचना।

एडीजी (प्रोजेक्ट टाइगर) और सदस्य सचिव (एनटीसीए) ने प्रतिभागियों का औपचारिक रूप से स्वागत किया और माननीय अध्यक्ष को एनटीसीए की गतिविधियों संबंधी नवीनतम सूचना से अवगत करके कार्यवाही की शुरूआत की।

- अखिल भारतीय बाघ आकलन (एआईटीई) कार्य पूरा होने के करीब है और इसके परिणाम कुछ महीनों में सामने आ जाएंगे।
- प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। संबंधित विवरण और स्थल को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।
- निम्नलिखित बाघ अभयारण्यों के टीसीपी को मंजूरी दी गई

- परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, केरल
- पेरियार टाइगर रिजर्व, केरल
- इंद्रावती टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़
- कान्हा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश
- अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश

ईएफसी विकास : प्रोजेक्ट एलिफेंट को प्रोजेक्ट टाइगर के साथ विलय करने के सुझाव के साथ 2600 करोड़ रुपये की धनराशि को मंत्रिमंडल के समक्ष रखने की सिफारिश की गई है।

<u>एनटीसीए - विज़न योजना</u>

डॉ. अमित मलिक, आईजीएफ, एनटीसीए ने अध्यक्ष को एनटीसीए की विजन योजना के बारे में जानकारी दी। इस संबंध में अब तक हुई प्रगति इस प्रकार है :

- विषयगत रूपरेखा के आधार पर अगले 10 वर्षों के लिए एक मसौदा विजन योजना तैयार करना।
- दो बैठकों (दिनांक 02.11.2021 और 29.08.2022 को आयोजित) के आधार पर विशेषज्ञ समिति के सदस्यों से परामर्श।
- विज़न योजना राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2017-2031) के अनुरूप है।
- विशेषज्ञ समिति के सदस्यों द्वारा दिए गए विचारों और उनके सरोकारों को विधिवत संज्ञान में लिया गया और इस योजना में शामिल किया गया।
- इनके आधार पर फिलहाल योजना का मसौदा तैयार करने का काम चल रहा है।

सदस्यों के सुझाव इस प्रकार हैं :

- पुनर्जनन पर ध्यान देने के साथ-साथ आक्रामक प्रजातियों से संबंधित खतरों को भी शामिल किया जाना है।
- गलियारों को जोड़ने और पूर्वोत्तर राज्यों में बाघ संरक्षण और इसके प्रबंधन में अंतरराज्यीय समन्वय को मजबूत करने के लिए एक परिदृश्य स्तरीय दृष्टिकोण
- आर्द्रभूमि प्रबंधन पर ध्यान केंद्रन
- विज़न योजना में वित्तीय पहलू को जोड़ने की आवश्यकता है।
- इस योजना में गलियारा (कॉरिडोर) प्रबंधन पर जोर दिया जाना चाहिए।
- संसाधन और वैज्ञानिक प्रबंधन के मामले में क्षेत्रीय प्रभागों को हैंड होल्डिंग, क्योंकि ये क्षेत्र संसाधनों से वंचित हैं।

- इसी तरह, एक बाघ अभयारण्य के बफर, जो एक बहु-उपयोग क्षेत्र है, पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

- रोग प्रबंधन और ज़ूनोटिक रोग महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र हैं।

- विज़न योजना में वन्यजीव अपराध प्रबंधन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

- जागरूकता सृजन के एक भाग के रूप में, स्थानीय बच्चों को शामिल करने के लिए अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

- विज़न वक्तव्य का स्पष्ट होना आवश्यक है। इस योजना को व्यावहारिक बनाने के लिए अन्य विभागों और हितधारकों के विचारों को शामिल करने की आवश्यकता है।

प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह के संबंध में सदस्यों से प्राप्त इनपुट

- प्रोजेक्ट टाइगर की विशाल उपलब्धि को प्रदर्शित करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया।
- उपलब्धियों से संबंधित विवरण को प्रदर्शित करने के लिए के लिए एक बहुभाषी वृत्तचित्र तैयार किया जा सकता है

कुनो राष्ट्रीय उद्यान - प्रोजेक्ट चीता से संबंधित नवीनतम सूचना

- सीसीएफ / निदेशक लायन प्रोजेक्ट ने निम्नलिखित बिंदुओं के संबंध में जानकारी दी :

- वर्तमान में, रिजर्व के अंदर केवल एक गांव (बागचा) है, और उस गांव के पुनर्वास की प्रक्रिया चल रही है।

- नूरादेही अभयारण्य, गांधी सागर दो तत्काल भावी चीता स्थल हैं

- वर्तमान वहन क्षमता 20 चीतों की है, अधिक संरक्षण से शिकार की संख्या बढ़ेगी और साथ ही वहन क्षमता भी बढ़ेगी।

- इसका उद्देश्य ऐतिहासिक रेंजर में चीतों की मेटा आबादी स्थापित करना है।

- चारागाह विकास को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

- संगरोध कानूनों के अनुसार, 30 दिनों का संगरोध किया गया था। दिन में दो बार मॉनिटरिंग और फीडिंग की जा रही है।

- संगरोध अवधि के बाद, चीतों को बड़े बाड़ों में छोड़ा जाना है, ये शिकारी-रोधी, सौर ऊर्जाकृत, 6 वर्ग किमी, 9 कंपार्टमेंट में विभाजित हैं। यहाँ पर्याप्त पानी और कवर है।

- शिकार संख्या को वर्तमान में अनुपूरित किया जा रहा है।

- अनुकूलन बाड़ों में छोड़े जाने के 48 घंटों के भीतर सभी चीतों ने सफलतापूर्वक शिकार करना शुरू कर दिया है।

- चीते प्राकृतिक व्यवहार जैसे निशान लगाना आदि प्रदर्शित कर रहे हैं।

- नर और मादा चीते एक-दूसरे के साथ अंत:क्रिया कर रहे हैं।

- सख्त प्रोटोकॉल के साथ बड़े बाड़ों में चौबीस घंटे निगरानी (सुबह और शाम) की जाती है। प्रति दिन/प्रति पशु कम से कम एक दृश्य।

- इन बाड़ों में 40 से ज्यादा कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। उपग्रह ट्रैकिंग अभी तक शुरू नहीं की गई है, पशु की अंतिम रिहाई के बाद ट्रैकिंग सक्रिय हो जाएगी।

- निगरानी और सुरक्षा के लिए ड्रोन और डॉग स्क्वायड भी है।

- वन्यजीव स्वास्थ्य निगरानी और रोग निगरानी पर विशेष महत्व।

- लोगों से जुड़ने पर प्रमुख महत्व (चित्रा मित्र अभियान)। अब तक 120 से अधिक शिविर आयोजित किये जा चुके हैं।

- प्रोजेक्ट चीता के अगले चरण :

- 5 चीतों को जंगल में छोड़ा जाएगा (जनवरी - फरवरी)

- अनुकूलनशीलता को देखते हुए 3 को छोड़ने में अधिक समय लगेगा।

- 12 और पशु दक्षिण अफ्रीका से आने वाले हैं।

- नए डिज़ाइन किए गए संगरोध बोमास का निर्माण अब कर दिया गया है और ये चीतों के अगले बैचों को रखने के लिए तैयार हैं।

एनटीसीए सदस्यों से प्राप्त अतिरिक्त इनपुट :

श्री कीर्ति वर्धन सिंह, संसद सदस्य (लोकसभा) से प्राप्त इनपुट

- वाल्मिकी टाइगर रिजर्व के महत्व को देखते हुए, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के बीच गलियारों के प्रबंधन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। (सोहलवा रेंज, सुहागी बरवा)
- संरक्षण में स्थानीय लोगों को बढ़ावा देने के लिए होमस्टे को बढ़ावा देना जिससे लाभ साझाकरण में वृद्धि होगी।
- टाइगर रिजर्व के आर्थिक प्रभावों पर प्रकाश डालने की जरूरत है।

सुश्री दीया कुमारी, माननीय संसद सदस्य (लोकसभा) से प्राप्त इनपुट

- कुंभलगढ़ को टाइगर रिजर्व घोषित करने के चिर-प्रतीक्षित मुद्दे पर चिंता जताई।

एडीजी (पीटी) / एमएस (एनटीसीए) द्वारा बताया गया कि राजस्थान राज्य को उक्त क्षेत्र को बाघ अभयारण्य (टाइगर रिजर्व) घोषित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई है। कार्रवाई की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री अनीश अंधेरिया, वन्यजीव संरक्षण ट्रस्ट, मुंबई से प्राप्त इनपुट।

पूरे देश में वन्यजीव अपराधियों का एक बायोमेट्रिक डेटाबेस वन्यजीव अपराध से निपटने में महत्वपूर्ण रूप से काम कर सकता है।

अन्य बिल्लियों, जैसे हिम तेंदुए को प्रोजेक्ट टाइगर के दायरे में लाया जाना चाहिए। इससे बड़े परिदृश्य स्तर पर देश में बाघ संरक्षण के अनुरूप इन जानवरों के संरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।

ख) कार्यसूची मद - 2 : **पूर्व-बैठक में चर्चा किए गए मुद्दे और की गयी सिफारिशें**

- प्रोजेक्ट चीता की नवीनतम सूचनाएं और एनटीसीए की विजन योजना पर पहले ही उपर्युक्त बिंदुओं में चर्चा की जा चुकी है
- स्वैच्छिक कार्बन बाज़ारों का विकास - टेरी

6 टाइगर रिजर्व में प्रगति अच्छी चल रही है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद, टीसीएफ को अर्जित क्रेडिट के बदले में धन प्राप्त होगा।

- **सीएसआर के माध्यम से संरक्षण पहल -** कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के माध्यम से प्राप्त धनराशि बाघ संरक्षण के प्रयासों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आईसीआईसीआई फाउंडेशन, आईओसीएल आदि जैसे संगठन इसके अग्रदूत हैं। ज़मीनी काम के अलावा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को बाघों के प्रबंधन और सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहल करने के लिए सीएसआर के तहत धन प्राप्त होता है।

ग) कार्यसूची मद - 3 : कृत कार्रवाई रिपोर्ट

- एडीजी (पीटी) और सदस्य सचिव (एनटीसीए) ने माननीय अध्यक्ष को 21वीं एनटीसीए बैठक की कृत कार्रवाई रिपोर्ट के संबंध में जानकारी दी।
- कृत कार्रवाई रिपोर्ट को माननीय अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया गया था।

घ) कार्यसूची मद - 4 : श्री एस. एस. श्रीवास्तव, सदस्य एनटीसीए द्वारा प्रस्तावित।

बाघों की उच्च आबादी घनत्व वाले टाइगर रिजर्व से भटके हुए बाघों के प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल

- एडीजी (पीटी) और सदस्य सचिव (एनटीसीए) ने बताया कि इस प्रयोजन हेतु एक एसओपी पहले से मौजूद है।
- निर्णय : एसओपी को अद्यतित, करने के लिए फील्ड से इनपुट/सुझाव लिए जा सकते हैं, यदि कोई आवश्यकता हो।

ङ) कार्यसूची मद - 5 : श्री पी. आर. सिन्हा, सदस्य, एनटीसीए द्वारा प्रस्तावित।

प्रोजेक्ट टाइगर की स्वर्ण जयंती - रजि.

इस कार्यसूची मद पर उपरोक्त बिंदुओं में पहले ही चर्चा की जा चुकी थी।

माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री / अध्यक्ष, एनटीसीए का संप्रेक्षण और उनकी टिप्पणियाँ :

1. कूनो राष्ट्रीय उद्यान की देखरेख एवं प्रशासन को एनटीसीए के दायरे में लाया जाना चाहिए।

2. प्रोजेक्ट चीता के कार्यान्वयन संबंधी एक बैठक जनवरी, 2023 को भोपाल में बुलाई जाएगी, जिसमें कुनो परिदृश्य और उसके आसपास प्रबंधन योजना पर समग्र और एकीकृत चर्चा करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री, संसद सदस्य के साथ-साथ बहु-हितधारक विभागों सहित संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया जाएगा।

3. बाघ अभयारण्यों को बाघों की सुरक्षा के साथ-साथ इसके विविध वनस्पतियों और जीवों के साथ-साथ पूरे परिदृश्य/पर्यावास की सुरक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए।

4. टाइगर रिजर्व का मूल्य आकलन महत्वपूर्ण है और इसकी प्रक्रिया जारी रखी जानी चाहिए।

5. स्वैच्छिक आधार पर ग्राम पुनर्वास का कार्य तीव्र गति से किया जाए तथा सभी बाघ अभ्यारण्यों के वन अधिकारों का निस्तारण प्राथमिकता पर किया जाए।

6. सभी संविदा कर्मचारियों को ई-श्रम पोर्टल और आयुष्मान योजना में पंजीकृत होना आवश्यक है।

7. कोर क्षेत्रों की प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रक्रियाओं से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। बाघ अभयारण्य प्रबंधन के आधुनिकीकरण को पारंपरिक संरक्षण विधियों और दृष्टिकोणों को प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए। तीव्र आधुनिकीकरण बाघ संरक्षण के हित में नहीं है।

8. सभी बाघ अभ्यारण्यों को वर्ष में दो माह और सप्ताह में एक दिन के लिए बंद किया जाना चाहिए। यह मुख्य रूप से फील्ड स्टाफ और टाइगर रिजर्व के लिए पर्यटन के दबाव को कम करने और संरक्षित क्षेत्र के हित में काम करने के लिए आवश्यक है।

9. भारत सरकार की स्क्रैपिंग नीति का पालन करते हुए टाइगर रिजर्व के सभी पुराने वाहनों को स्क्रैप किया जाना है।

10. टाइगर रेंज के लिए एक परामर्शी (एडवाइजरी) जारी की जाएगी जिसमें टाइगर रिजर्व में खाली पड़े पदों को भरने के लिए कहा गया है।

11. फील्ड निदेशकों के साथ एक बैठक (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) जिसमें उन्हें एनटीसीए बैठकों के निर्देशों के अनुपालन के लिए की जाने वाली कार्रवाई के बारे में जानकारी दी जाएगी।

12. लैंटाना हटाने के संबंध में एक विशेषज्ञ समिति बनाई जाएगी।

13. बाघ अभ्यारण्य एवं उसके प्रबंधन में अनुशासन बनाये रखा जाना चाहिए। किसी भी गैरकानूनी गतिविधियों के प्रति शून्य सहन (जीरो टॉलरेंस) के साथ अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई।

14. बाघ अभयारण्यों (टाइगर रिजर्वों) में की जाने वाली सफ़ारी में कोई रूट परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पूर्वनिर्धारित मार्गों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

15. बाघ अभयारण्य प्रबंधन को माह में कम से कम एक बार एसएचजी के साथ चर्चा अवश्य करनी चाहिए। इसमें उनकी चिंताओं और समग्र प्रबंधकीय मामलों पर कार्य करना और इन इकाइयों की कार्यक्षमता में सुधार करना शामिल होगा।

16. महिला एसएचजी को गलियारे वाले क्षेत्रों में रोपण कार्यों के प्रबंधन के लिए नर्सरी तैयार करने में शामिल किया जाना चाहिए।

17. वन्यजीव/बाघ संरक्षण के आयामों को कवर करने वाले विषयगत क्षेत्रों को अंतिम रूप देना होगा। दस्तावेज बीएसआई, जेडएसआई और डब्ल्यूआईआई के सहयोग से एनटीसीए के युवा अधिकारियों को शामिल करके तैयार किया जाना है। इसे स्वर्ण जयंती प्रोजेक्ट टाइगर समारोह के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा। प्रमुख क्षेत्रों में वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, वन अधिकारों का निपटान, जागरूकता कार्यक्रम, लोगों का योगदान और बाघ संरक्षण के लिए अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के प्रयास शामिल हैं।

18. जेडएसआई सभी 53 टाइगर रिजर्वों के जीवों पर एक संक्षिप्त नोट तैयार करने में शामिल होगा। तदनुसार, आईआईएफएम सभी 53 टाइगर रिजर्व की पारि-प्रणाली सेवाओं के दस्तावेजीकरण में शामिल होगा।

19. मध्य प्रदेश राज्य द्वारा चीता के पुनस्थापन के संबंध में 3-5 मिनट का एक छोटा वृत्तचित्र वीडियो तैयार किया जाना है और इसे प्रोजेक्ट टाइगर स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा।

<u>**राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की तकनीकी समिति**</u>

<u>**एनटीसीए तकनीकी समिति की 14वीं बैठक**</u>

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की तकनीकी समिति की 14वीं बैठक 26 मई, 2022 को डॉ. एस. पी. यादव, एडीजी (पीटी) और सदस्य सचिव (एनटीसीए) की अध्यक्षता में आयोजित की गयी थी।

एनटीसीए की 14वीं तकनीकी समिति की बैठक की कार्यवाही और इस समिति की सिफारिशें इस प्रकार हैं :

<u>**कार्यसूची मद सं. 1**</u>

कामलांग टाइगर रिजर्व, अरुणाचल प्रदेश की व्याघ्र संरक्षण योजना (टीसीपी) का प्रस्ताव।

निर्णय : तकनीकी समिति ने अनुमोदनार्थ कामलांग टाइगर रिजर्व की टीसीपी की अनुशंसा की।

<u>**कार्यसूची मद सं. 2**</u>

सीएसआर के अंतर्गत वन्य जीव निगरानी उपकरण क्रय हेतु अनुरोध का प्रस्ताव।

निर्णय :

मानस टाइगर रिजर्व में विभिन्न वैज्ञानिक कार्यों में सहायता और सुविधा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, समिति ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधि से कैमरा ट्रैप की खरीद के लिए मानस टाइगर रिजर्व के 80 लाख रुपए के प्रस्ताव की सिफारिश की।

.

<u>**कार्यसूची मद सं. 3**</u>

महाराष्ट्र राज्य में मानव-बाघ संघर्ष और बाघों की सक्रिय जनसंख्या प्रबंधन के मुद्दे के संबंध में प्रस्ताव।

निर्णय :

एनटीसीए को एक विस्तृत योजना प्रस्तुत करने के अध्यधीन, बाघों के स्थानांतरण से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी हेतु अनुशंसा की गयी है।

तथापि, बाघों की आबादी के प्रबंधन के लिए इम्यूनो-गर्भ निरोधकों के उपयोग के प्रस्ताव के संबंध में, विस्तृत अध्ययन और डेटा के अभाव में प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया था।

<u>कार्यसूची मद सं. 4</u>

'बिना लागत के विस्तार' के संबंध में प्रस्ताव

निर्णय :

समिति ने उक्त परियोजना के बिना लागत के विस्तार के प्रस्ताव को अनुमोदनार्थ अनुशंसा की। ।

<u>कार्यसूची मद सं. 5</u>

ताड़ोब-अंधारी टाइगर रिजर्व (टीएटीआर) / ब्रह्मपुरी परिदृश्य से नवेगांव-नागजीरा टाइगर रिजर्व आईएनएनटीआरजे में बाघों का स्थानांतरण।

निर्णय :

कार्यसूची मद सं. 5 पर कार्यसूची मद सं. 3 के साथ चर्चा की गयी।

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की तकनीकी समिति

एनटीसीए तकनीकी समिति की 15वीं बैठक

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की तकनीकी समिति की 15वीं बैठक 04 अगस्त, 2022 को डॉ. एस. पी. यादव, एडीजी (पीटी) और सदस्य सचिव (एनटीसीए) की अध्यक्षता में आयोजित की गयी थी।

एनटीसीए की 15वीं तकनीकी समिति की बैठक की कार्यवाही और इस समिति की सिफारिशें इस प्रकार हैं :

कार्यसूची मद सं. 1

चीतों का नामिबिया / दक्षिण अफ्रिका से भारत परिवहन।

निर्णय :

चीता के पहले अंतरमहाद्वीपीय वन से वन स्थानांतरण के लिए आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता और अनुभव को ध्यान में रखते हुए, तकनीकी समिति ने वास्तवकि लागत के आधार पर नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीता के परिवहन के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) के माध्यम से सहयोगियों की भागीदारी की सिफारिश की।

कार्यसूची मद सं. 2

कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषणा करना।

निर्णय :

समिति के सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि कैमूर को टीआर घोषित करने से पूर्व निम्नलिखित बिंदुओं पर पुनः विचार करने की जरूरत है :

क. रिजर्व का ज़ोनेशन और कोर और बफर की सीमाओं के बिंदुओं की सटीकता

ख. पशुधन चराई, अन्य मानवजनित व्यवधान और अन्य प्रबंधकीय हस्तक्षेप जैसे पहलुओं पर मुख्य वन्यजीव वार्डन बिहार से इनपुट।

अगली तकनीकी समिति की बैठकों में चर्चा की जाएगी।

<u>कार्यसूची मद सं.   3</u>

माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी, मध्य प्रदेश में बाघों को फिर से छोड़ना।

निर्णय :

समिति ने माधव राष्ट्रीय उद्यान में पांच बाघों को फिर से छोड़े जाने की सिफारिश की। निम्नलिखित शर्तों के साथ इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया :

बाघों को छोड़े जाने की प्रक्रिया चरणों में पूरी की जाएगी:

क. चरण- I में : एनटीसीए द्वारा जारी बाघ पुनस्थापन एसओपी का अनुपालन करते हुए 1 नर और 2 मादा (1:2) को छोड़ा जाएगा।

ख. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को सूचित करते हुए, चरण- I के उचित मूल्यांकन के बाद अन्य दो बाघों को छोड़ा जाएगा।

ग. राज्य निकट भविष्य में इस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव पर विचार करेगा।

<u>कार्यसूची मद सं.   4</u>

दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में इको-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जंगल सफारी का प्रेषण।

<u>निर्णय</u> :

तकनीकी समिति ने निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु अनुशंसा की :

क. रिज़र्व की बाघ संरक्षण योजना में इसे शामिल किए जाने के अध्यधीन जिम्मेदार इकोटूरिज्म किया जाएगा।

ख. मानसून सीजन के लिए बंद होने की अवधि के दौरान कोई पर्यटन नहीं किया जाएगा।

<u>कार्यसूची मद सं.   5</u>

रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व :

क. रणथंभौर टाइगर रिजर्व से बचाई गई बाघिन को मुक्त करना।

<u>निर्णय</u> :

बचाए गए पशु की भलाई को ध्यान में रखते हुए, समिति ने निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रस्ताव का अनुमोदन करने की सिफारिश की :

क. एनटीसीए प्रोटोकॉल का अक्षरश: पालन किया जाना चाहिए।

ख. मानव-वन्यजीव संघर्ष की संभावनाओं से बचने के लिए चौबीसों घंटे सख्त निगरानी की जानी चाहिए।

कार्यसूची मद सं. 6

शेष 65 चीतलों को कानन पेंडारी चिड़ियाघर से अचानकमार टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ में छोड़ने की अनुमति।

निर्णय :

तकनीकी समिति ने निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन इस प्रस्ताव को अनुमोदन करने की अनुशंसा की :

क. जानवरों को छोड़ने से पहले, परजीवी भार की जांच की जानी चाहिए और सख्त प्रोटोकॉल और संगरोध उपायों का पालन करते हुए आगे की रिहाई को निष्पादित किया जाएगा।

ख. इसके अलावा, आबादी में और वृद्धि के लिए कुछ पशुओं को सॉफ्ट रिलीज़ एनक्लोजर में रखा जा सकता है।

कार्यसूची मद सं. 7

रणथंभौर टाइगर रिजर्व:

क. 15 बाघों से संबद्ध मुद्दे - पुनर्वास स्थल और प्रोटोकॉल के समाधान के संबंध में।

निर्णय

तकनीकी समिति के सदस्यों ने एनटीसीए के एसओपी के अनुसार बाघों के स्थानांतरण के प्रस्ताव की संस्तुति की।

कार्यसूची मद सं. 8

क. 2 फरवरी 2022 को आयोजित सरिस्का संबंधी कार्यशाला में उठाए गए मुद्दों पर चर्चा।

ख. 1 नर और 2 मादा बाघों के स्थानांतरण की अनुमति।

ग. 2 बाघिनों का महाराष्ट्र या मध्यप्रदेश से स्थानांतरण हेतु अनुमति।

घ. भालूओं को वन में फिर से छोड़ना।

<u>निर्णय</u>

समिति द्वारा निम्नलिखित बिंदु सुझाये गये :

क. कार्यसूची मद संख्या 8 (ख) के संबंध में समिति ने सरिस्का में 1 नर और 2 मादा बाघों के स्थानांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी देने की सिफारिश की।

ख. कार्यसूची मद संख्या 8 (ग) के संबंध में, राजस्थान बाघों के जीन पूल की विशिष्टता बताते हुए, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से सरिस्का में बाघों के स्थानांतरण को स्थगित कर दिया गया था। यह सिफारिश की गई कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाघों की तुलना में राजस्थान के बाघों के जीन पूल का अध्ययन करने के लिए एक आनुवंशिक अध्ययन आयोजित किया जाना चाहिए।

ग. कार्यसूची मद संख्या 8 (घ) के संबंध में प्रो. कमर कुरेशी ने बताया कि 1990 के दशक तक सरिस्का में भालू थे। सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू राजस्थान द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि, मानव बस्ती रहित क्षेत्रों में भालूओं को फिर से छोड़ा जाएगा। समिति ने निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन भालुओं को छोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी देने की सिफारिश की :

1. पशु को छोड़े जाने के स्थल का सावधानीपूर्वक चयन।
2. नर भालू : मादा भालू का अनुपात 1:1 रखा जाना चाहिए।
3. जंगल से बचाए गए पशुओं को छोड़ने को प्राथमिकता दी जाएगी।
4. जानवरों पर इंसान की छाप नहीं होनी चाहिए।

<u>कार्यसूची मद संख्या - 9</u>

मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व :

क. मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में 1 नर और 1 मादा के स्थानांतरण की शर्तों में छूट

ख. उपर्युक्त स्थानान्तरित बाघों की रेडियो कॉलरिंग की अनुमति।

<u>निर्णय</u>

समिति ने निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन इस प्रस्ताव को मंजूरी देने की अनुशंसा की :

क. पशुओं को चरणबद्ध तरीके से छोड़ा जाना चाहिए। अभी केवल एक नर बाघ को क्षेत्र में मौजूदा मादा के साथ जोड़ा जा सकता है और बाघों की स्थिति की गंभीर समीक्षा के बाद, किसी अन्य मादा को स्थानांतरित किया जा सकता है।

ख. अधिक बाघों को चरणबद्ध रूप से छोड़े जाने के साथ-साथ शिकार संवर्धन भी किया जाना चाहिए।

<u>राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की तकनीकी समिति</u>

<u>एनटीसीए तकनीकी समिति की 16वीं बैठक</u>

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की तकनीकी समिति की 16वीं बैठक 06 अक्तूबर, 2022 को एडीजी (प्रोजेक्ट टाइगर) और सदस्य सचिव (एनटीसीए) की अध्यक्षता में आयोजित की गयी थी।

एनटीसीए की 16वीं तकनीकी समिति की बैठक की कार्यवाही और सिफारिशें इस प्रकार हैं :

<u>कार्यसूची मद सं. 1</u>

पेरियार रिजर्व, केरल की बाघ संरक्षण योजना (टीसीपी)।

<u>निर्णय</u>

समिति ने योजना में निम्नलिखित वृद्धि के साथ प्रस्तावित टीसीपी के अनुमोदन की अनुशंसा की :

1. एनटीसीए द्वारा अग्नि संपरीक्षा प्रोटोकॉल
2. इस रिजर्व में कोई रात्रि पर्यटन / सफारी की अनुमति नहीं होगी।
3. अग्रिम पंक्ति में (फ्रंटलाइन) कार्यरत वन कर्मचारियों का कल्याण; वन कर्मचारियों (संविदात्मक) का ई-श्रम और आयुष्मान भारत योजना में पंजीकरण।
4. आर्द्रभूमि, जलीय वनस्पति और जीव की मैपिंग और इन निकायों के प्रबंधन संबंधी निदेश (प्रिस्क्रिप्शन)।
5. टाइगर रिजर्व को एक "शून्य प्लास्टिक क्षेत्र" बनाने के लिए निदेश (प्रिस्क्रिप्शन)।

<u>कार्यसूची मद सं. 2</u>

पैरामबिकुलम टाइगर रिजर्व, केरल की बाघ संरक्षण योजना (टीसीपी)।

<u>निर्णय</u>

समिति ने योजना में निम्नलिखित वृद्धि के साथ प्रस्तावित टीसीपी के अनुमोदन की अनुशंसा की :

1. एनटीसीए द्वारा अग्नि संपरीक्षा प्रोटोकॉल

2. इस रिजर्व में कोई रात्रि पर्यटन / सफारी की अनुमति नहीं होगी।

3. अग्रिम पंक्ति में (फ्रंटलाइन) कार्यरत वन कर्मचारियों का कल्याण; वन कर्मचारियों (संविदा) का ई-श्रम और आयुष्मान भारत योजना में पंजीकरण।

4. आर्द्रभूमि, जलीय वनस्पति और जीव की मैपिंग और इन निकायों के प्रबंधन संबंधी निदेश (प्रिस्क्रिप्शन)।

5. टाइगर रिजर्व को एक "शून्य प्लास्टिक क्षेत्र" बनाने के लिए निदेश (प्रिस्क्रिप्शन)।

<u>कार्यसूची मद सं. 3</u>

इंद्रावती टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ की बाघ संरक्षण योजना (टीसीपी)।

<u>निर्णय</u>

समिति ने योजना में निम्नलिखित वृद्धि के साथ प्रस्तावित टीसीपी के अनुमोदन की अनुशंसा की :

1. एनटीसीए द्वारा अग्नि संपरीक्षा प्रोटोकॉल

2. इस रिजर्व में कोई रात्रि पर्यटन / सफारी की अनुमति नहीं होगी।

3. अग्रिम पंक्ति में (फ्रंटलाइन) कार्यरत वन कर्मचारियों का कल्याण; वन कर्मचारियों (संविदा) का ई-श्रम और आयुष्मान भारत योजना में पंजीकरण।

4. आर्द्रभूमि, जलीय वनस्पति और जीव की मैपिंग और इन निकायों के प्रबंधन संबंधी निदेश (प्रिस्क्रिप्शन)।

5. टाइगर रिजर्व को एक "शून्य प्लास्टिक क्षेत्र" बनाने के लिए निदेश (प्रिस्क्रिप्शन)।

<u>कार्यसूची मद सं. 4</u>

'कनेक्टिंग द डॉट्स : फाइंडिंग डिस्पर्सल कॉरिडोर्स फॉर टाइगर्स इन काजिरंगा - कारबी एंगलोंग लैंडस्कैप" (बिन्दुओं को जोड़ना : काजिरंगा - कारबी एंगलोंग भू-दृश्य में बाघों के लिए विसर्जन गलियारे का पता लगाना) परियोजना के लागत रहित विस्तार का प्रस्ताव।

<u>निर्णय</u>

समिति ने इस शर्त के साथ कि सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू, असम से प्राप्त इनपुट को परियोजना में शामिल किया जाएगा, उक्त परियोजना का तीन (03) वर्षों की अवधि अर्थात् अप्रैल, 2022 से मार्च, 2025 तक के लिए विस्तार प्रदान करने हेतु अनुमोदन प्रदान करने की अनुशंसा की।

कार्यसूची मद सं. 5

बाघों को ब्रहमपुरी भू-दृश्य से नावेगांव - नागजिरा टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र में स्थानांतरण हेतु विस्तृत योजना।

निर्णय

समिति ने निम्नलिखित शर्तों के साथ विस्तृत योजना के अनुमोदन की अनुशंसा की :

1. स्थानांतरित बाघों को रेडियो कॉलर लगाया जाएगा।
2. रेडियो कॉलरों में ओटो ड्रॉप फंक्शन (दूर से नियंत्रित) होना आवश्यक है।
3. इन पशुओं की चौबीसों घंटे निगरानी की जाएगी।
4. चंद्रपुर में और उसके आसपास के क्षेत्र को प्रक्षेत्रवार प्रबंधन किया जाएगा। (डब्ल्यूआईआई से ऐसा करने के लिए कहा जा सकता है)

कार्यसूची मद सं. 6

रामगढ़ विषधारी बाघ रिजर्व के अधिसूचित बफर क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन।

निर्णय

समिति ने उक्त प्रस्ताव के लिए जारी किए गए कार्यालय ज्ञान की अभिपुष्टि करने की सिफारिश की।

कार्यसूची मद सं. 7

कार्बी आंगलोंग को टाइगर रिजर्व घोषित करने का प्रस्ताव।

निर्णय

समिति ने कार्बी आंगलोंग को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को "सैद्धांतिक रूप से" मंजूरी देने की सिफारिश की। राज्य से एनटीसीए को प्रस्ताव की एक विस्तृत योजना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की तकनीकी समिति

एनटीसीए तकनीकी समिति की 17वीं बैठक

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की तकनीकी समिति की 17वीं बैठक 23 दिसंबर, 2022 को आयोजित की गयी थी।

एनटीसीए की 17वीं तकनीकी समिति की बैठक की कार्यवाही और सिफारिशें इस प्रकार हैं :

कार्यसूची मद सं. 1

16वीं तकनीकी समिति बैठक के कार्यवृत्त की अभिपुष्टि।

निर्णय

समिति ने 16वीं तकनीकी समिति बैठक के कार्यवृत्त की अभिपुष्टि की।

कार्यसूची मद सं. 2

पलामू टाइगर रिजर्व में शिकारों के लिए सॉफ्ट रिलिज केन्द्र की स्थापना।

निर्णय

समिति ने निम्नलिखित के अध्यधीन प्रस्ताव के अनुमोदन की संस्तुति की

i) क्रमबद्ध तरीके से सॉफ्ट रिलीज,

ii) बढ़ी हुई सुरक्षा,

iii) सभी प्रासंगिक प्रोटोकॉल जैसे रोग जांच आदि का अनुपालन और

iv) कान्हा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में सफल शिकार संवर्धन का प्रदर्शन कर कर्मचारियों का प्रशिक्षण

कार्यसूची मद सं. 3

सरिष्का टाइगर रिजर्व के चार बाघों (टी एसटी-1एस, टी एसटी-23, टी एसटी-24 एवं टी एसटी-25) को रेडियो कॉलर लगाना।

निर्णय

इस प्रस्ताव को आधुनिक प्रौद्योगिकी सहायता प्राप्त ऑटो ड्रॉप ऑफ जैसी उन्नत सुविधाएं, ताकि कॉलर निकालने के लिए फिर से पशु को पकड़ने की आवश्यकता से बचा जा सके, और पूर्व चेतावनी प्रणाली जनित करने के लिए वर्चुअल फेंसेज सहित उपग्रह - जीएसएम रेडियो कॉलर का उपयोग करने की शर्त के अध्यधीन मंजूरी के लिए अनुशंसित किया गया है।

<u>कार्यसूची मद सं. 4</u>

नामेरी टाइगर रिजर्व में वन्यजीव निगरानी करने के लिए उपकरण खरीदने हेतु वित्तीय सहायता मांगने का प्रस्ताव

<u>निर्णय</u>

अनुमोदन हेतु प्रस्ताव की अनुशंसा की गयी है। वन्यजीव निगरानी के लिए सीएसआर के तहत भारतीय सामान्य बीमा निगम (जीआईसी) से प्राप्त 99.99 लाख रुपये में से शेष 19 लाख रुपये की राशि एफडी, नामेरी टाइगर रिजर्व को उपलब्ध करवाई जाएगी।

<u>कार्यसूची मद सं. 5</u>

ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र में रोग गतिकी और उभरती बीमारियों के प्रसार की निगरानी से संबंधित सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू, महाराष्ट्र से प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

<u>निर्णय</u>

प्रस्ताव को इस शर्त के साथ आस्थगित कर दिया गया है कि फील्ड निदेशक, ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व विस्तृत प्रस्ताव की विस्तृत जांच करने के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान को भेजेंगे।

कार्यसूची मद संख्या - 6

कान्हा टाइगर रिजर्व के लिए मूल प्रक्षेत्र (कोर जोन) की टीसीपी का अनुमोदन।

<u>निर्णय</u>

इस प्रस्ताव के अनुमोदन की संस्तुति की गयी है।

कार्यसूची मद संख्या - 7

अमनगढ़ टाइगर रिजर्व के लिए मूल प्रक्षेत्र (कोर जोन) की टीसीपी का अनुमोदन

<u>निर्णय</u>

इस प्रस्ताव के अनुमोदन की संस्तुति की गयी है।

<u>कार्यसूची मद संख्या - 8</u>

विभिन्न देशों में वाइल्ड अर्थ चैनल और पुगडंडी सफारी द्वारा ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व के बफर प्रक्षेत्र (जोन) में टाइगर सफारी की लाइव स्ट्रीमिंग हेतु सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू, महाराष्ट्र से अनापत्ति के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

<u>निर्णय</u>

इस प्रस्ताव पर यह शर्त लगाकर निर्णय आस्थगित कर दिया गया है कि सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू, महाराष्ट्र विदेश मंत्रालय के माध्यम से एनटीसीए से संपर्क करेगा।

<u>कार्यसूची मद संख्या - 9</u>

धोलपुर टागगर रिजर्व, राजस्थान के लिए प्रस्ताव।

<u>निर्णय</u>

प्रस्ताव को इस शर्त के साथ "सैद्धांतिक" मंजूरी दे दी गई है कि राजस्थान वन विभाग अगली तकनीकी समिति की बैठक के दौरान विचार के लिए उचित मानचित्र, क्षेत्र विवरण और प्रस्तावित टाइगर रिजर्व के मुख्य भाग से स्थानांतरित किए जाने वाले गांवों के विवरण के साथ संशोधित प्रस्ताव एनटीसीए को फिर से प्रस्तुत करेगा।

<u>कार्यसूची मद सं. 10</u>

डेबरीगढ़ टाइगर रिजर्व, उड़ीसा के लिए प्रस्ताव।

<u>निर्णय</u>

इस प्रस्ताव के अनुमोदन की संस्तुति की गयी है।

<u>कार्यसूची मद सं. 11</u>

बाघ संरक्षण (टीसीएफ) दिशानिर्देशों में संशोधन।

<u>निर्णय</u>

इस प्रस्ताव के अनुमोदन की संस्तुति की गयी है।

<u>कार्यसूची मद सं. 12</u>

बाघ संरक्षण (टीसीएफ) दिशानिर्देशों में संशोधन।

<u>निर्णय</u>

इस प्रस्ताव के अनुमोदन की संस्तुति की गयी है।

अध्याय 4

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा गठित समितियां

एनटीसीए की धारा 38ण (क) और (छ) के तहत एनटीसीए को संधारणीय पारिस्थितिकी के विभिन्न पहलूओं का मूल्यांकन और आकलन करने और व्याघ्र अभ्यारण्यों (रिजर्वों) के अंदर खनन, उद्योग और अन्य परियोजनाओं जैसे किसी पारिस्थितिकीय असंधारणीय भूमि उपयोग अननुमत करने की शक्तियां दी गयीं हैं।

इसके अलावा,राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करना होता है कि टाइगर रिजर्व और एक संरक्षित क्षेत्र से जोड़ने वाला क्षेत्र या किसी संरक्षित क्षेत्र के साथ टाइगर रिजर्व या टाइगर रिजर्व को, सिवाय राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी से और व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की सलाह पर जनहित के मामले में, पारिस्थितिकी की दृष्टि से असंधारणीय उपयोग में नहीं लाया जाता है।

तदनुसार, एनटीसीए ने वर्ष 2022-23 के दौरान एनटीसीए ने अपने अधिदेश के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पहलूओं पर काम करने हेतु निम्नलिखित समितियों का गठन किया है।

(क) समिति, जिसमें राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआई), भारतीय वन्य जीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेडएसआई) के सदस्य शामिल होते हैं, का गठन वन्य जीव संरक्षण के विषयगत क्षेत्रों के प्रलेखन के लिए किया जाता है।

क्र.सं.	**नाम**	**संगठन**
1	डॉ. अभिजीत दास, वैज्ञानिक-ई एवं डॉ. विष्णुप्रिय कोलिपक्कम, वैज्ञानिक-डी	भारतीय वन्यजीव संस्थान
2	डॉ. मुकेश ठाकुर, वैज्ञानिक - डी	भारतीय प्राणि सर्वेक्षण
3	डॉ. एस. एस. डाश, वैज्ञानिक ई एवं प्रभारी तकनीकी अनुभाग डॉ. गोपाल कृष्ण, वैज्ञानिक-सी	भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण
4	सुश्री हरिणी वेणुगोपाल, एआईजी (सदस्य संयोजक)/ श्री हेमंत कामडी, एआईजी/ श्री मो. साजिद सुल्तान, एआईजी	राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

(ख) गुजरात में शेरों के प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों की निगरानी करने के लिए एक “शेर प्रकोष्ठ” का गठन

क्र.सं.	नाम
1	श्री राजेन्द्र गरवाड़, डीआईजी, प्रोजेक्ट टाइगर प्रभाग
2	श्रीमती बानुमाथी जी, एआईजीएफ, प्रोजेक्ट टाइगर प्रभाग
3	श्री धीरज मित्तल, एआईजीएफ, वन संरक्षण प्रभाग

(ग) संरक्षित क्षेत्रों से लैंटाना को हटाने के मुद्दे के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया गया था :

क्र.सं.	नाम
1	क्षेत्र निदेशक, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड
2	क्षेत्र निदेशक, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कर्नाटक
3	क्षेत्र निदेशक, अचानकमार टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़
4	क्षेत्र निदेशक, सतपुरा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश
5	क्षेत्र निदेशक, कान्हा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश
6	एआईजी (एनटीसीए), क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु

(घ) उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बफर जोन में मरचूला बाजार में एक बाघिन की मौत की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है।

क्र.सं.	नाम
1	श्री शैलेश प्रसाद, आईएफएस, पीसीसीएफ (सेवानिवृत्त), उत्तर प्रदेश।

2	श्री हेमंत सिंह, एआईजी एनटीसीए - संयोजक।

(ङ) पलामू टाइगर रिजर्व, झारखंड के पुनरुद्धार के लिए तकनीकी और प्रबंधन इनपुट हेतु एक सलाहकार समिति का गठन किया गया था:

क्र.सं.	**नाम**
1	श्री प्रदीप कुमार, पूर्व पीसीससीएफ एवं जीडब्ल्यूएलडब्ल्यू, झारखंड।
2	श्री शैलेश प्रसाद, आईएफएस, पीसीसीएफ (सेवानिवृत्त), उत्तर प्रदेश।
3	डॉ. के. रमेश, वैज्ञानिक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून।

(च) कंबोडिया में बाघ पुनर्स्थापन हेतु एक तकनीकी समिति का गठन किया गया था :

क्र.सं.	**नाम**
1	श्री हेमंत सिंह, एआईजी एनटीसीए - संयोजक।
2	डॉ. श्री के. रमेश, वैज्ञानिक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून।

(छ) टाइगर रिजर्वों के स्वतंत्र प्रबंधान प्रभावशीलता मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया था।

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र

क्र.सं.	क्लस्टर	टाइगर रिजर्व का नाम	राज्य	परिदृश्य का नाम	प्रस्तावित सदस्य		
					अध्यक्ष	सदस्य	डब्ल्यूआईआई संकाय सदस्य
1	क्लस्टर - 1 (क) (5 नग)	दुधवा	उत्तर प्रदेश	एसजी	श्री ब्रिज किशोर सिंह (केए/76)	डॉ. अनुप कुमार नायक (ओडी/85) श्री सुरेन्द्र कुमार (केआर/86) श्री संजय श्रीवास्तव (टीएन/86)	डॉ. साल्वाडोर लिंगदोह
2		पीलीभीत	उत्तर प्रदेश	एसजी			
3		कॉर्बेट	उत्तराखंड	एसजी			
4		राजाजी	उत्तराखंड	एसजी			
5		मेलघाट	महाराष्ट्र	सीआई एवं ईजी			

क्र.सं.	क्लस्टर	टाइगर रिजर्व का नाम	राज्य	परिदृश्य का नाम	प्रस्तावित सदस्य		
					अध्यक्ष	सदस्य	डब्ल्यूआईआई संकाय सदस्य
6	क्लस्टर - 1 (ख) (5 नग)	पेंच	महाराष्ट्र	सीआई एवं ईजी	श्री बी एस बोनल (एएम/80)	डॉ. संदीप त्रिपाठी (ओडी/84) श्री शैलेश प्रसाद	डॉ. गौतम तालुकदार
7		तंडोबा - आंधारी	महाराष्ट्र	सीआई एवं ईजी			
8		साहयाद्री	महाराष्ट्र	सीआई एवं ईजी			

9		नावेगांव - नाजिरा	महाराष्ट्र	सीआई एवं ईजी		(यूपी/84) श्री संजय श्रीवास्तव (टीएन/86)	
10		बोर	महाराष्ट्र	सीआई एवं ईजी			

मध्य प्रदेश एवं राजस्थान

क्र.सं.	**क्लस्टर**	**टाइगर रिजर्व का नाम**	**राज्य**	**परिदृश्य का नाम**	**प्रस्तावित सदस्य**		
					अध्यक्ष	**सदस्य**	**डब्ल्यूआईआई संकाय सदस्य**
11	क्लस्टर - 2 (क) (4 नग)	बाँधवगढ़	मध्य प्रदेश	सीआई एवं ईजी	श्री आजम जैदी (डब्ल्यूबी /80)	डॉ. प्रदीप व्यास (डब्ल्यूबी /83) श्री शैलेन्द्र के सिंह (सीजी/87)	डॉ. कमर कुरेशी
12		सतपूड़ा	मध्य प्रदेश	सीआई एवं ईजी			
13		कान्हा	मध्य प्रदेश	सीआई एवं ईजी			
14		मुकुंदरा	राजस्थान	सीआई एवं ईजी			

क्र.सं.	क्लस्टर	टाइगर रिजर्व का नाम	राज्य	परिदृश्य का नाम	प्रस्तावित सदस्य		
					अध्यक्ष	सदस्य	डब्ल्यूआईआई संकाय सदस्य
15	क्लस्टर - 2 (ख) (5 नग)	पेंच	मध्य प्रदेश	सीआई एवं ईजी	श्री ए. वी. जोसेफ (एपी/79)	डॉ. बिपिन बिहारी (एगमट/85) श्री प्रदीप कुमार (जेएच/82) डॉ. राजीव के श्रीवास्तव (टीएन/85)	डॉ. पराग निगम
16		संजय-दुबरी	मध्य प्रदेश	सीआई एवं ईजी			
17		पन्ना	मध्य प्रदेश	सीआई एवं ईजी			
18		सरिस्का	राजस्थान	एसजी			
19		रणथंभौर	राजस्थान	सीआई एवं ईजी			

2. बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं तेलंगना

क्र.सं.	क्लस्टर	टाइगर रिजर्व का नाम	राज्य	परिदृश्य का नाम	प्रस्तावित सदस्य		
					अध्यक्ष	सदस्य	डब्ल्यूआईआई संकाय सदस्य
20	क्लस्टर - 3 (क) (5 नग)	वाल्मिकी	बिहार	एसजी	श्री आर एन मेहरोत्रा (आरजे/76)	श्री एन के वासु (एएम/85) डॉ. एच. एस.	डॉ. गोपी जी वी
21		इंद्रावती	छत्तीसगढ़	सीआई एवं ईजी			
22		अचानकमार	छत्तीसगढ़	सीआई एवं ईजी			

23		उदांती - सीतानदी	छत्तीसगढ़	सीआई एवं ईजी		उपाध्याय (ओडी/85) श्री रूपक डे (यूपी/80)	
24		एनएसटीआर	आंध्र प्रदेश	सीआई एवं ईजी			

क्र.सं.	**क्लस्टर**	**टाइगर रिजर्व का नाम**	**राज्य**	**परिदृश्य का नाम**	**प्रस्तावित सदस्य**		
					अध्यक्ष	**सदस्य**	**डब्ल्यूआईआई संकाय सदस्य**
25	क्लस्टर - 3 (ख) (5 नग)	सिमिलिपाल	ओडिशा	सीआई एवं ईजी	श्री डी एन एस सुमन (यूपी/77)	श्री नितिन काकोडकर (एमएच/87) डॉ. आर. के. सिंह (सीजी/83)	डॉ. बिलाल हबीब
26		सतकोसिया	ओडिशा	सीआई एवं ईजी			
27		कावल	तेलंगना	सीआई एवं ईजी			
28		अमराबाद	तेलंगना	सीआई एवं ईजी			
29		पलामू	झारखंड	सीआई एवं ईजी			

4. कर्नाटक, केरल एवं तमिल नाडु

क्र.सं.	**क्लस्टर**	**टाइगर रिजर्व का नाम**	**राज्य**	**परिदृश्य का नाम**	**प्रस्तावित सदस्य**

					अध्यक्ष	सदस्य	डब्ल्यूआईआई संकाय सदस्य
30	क्लस्टर - 4 (क) (6 नग)	बांदीपुर	कर्नाटक	डब्ल्यू जी	श्री यू. एम. सहाय (आर/77)	श्री पवन कुमार (यूपी/83) श्री ए. के. मिश्रा (एमएच/84) श्री योगेश (एगमट/84)	डॉ. के. रमेश
31		नागरहोले	कर्नाटक	डब्ल्यू जी			
32		भद्रा	कर्नाटक	डब्ल्यू जी			
33		काली	कर्नाटक	डब्ल्यूजी			
34		बिलिगिरी रंगानाथन स्वामी मंदिर	कर्नाटक	डब्ल्यूजी			
35		पेरिवार	केरल	डब्ल्यूजी			

क्र.सं.	क्लस्टर	टाइगर रिजर्व का नाम	राज्य	परिदृश्य का नाम	प्रस्तावित सदस्य		
					अध्यक्ष	सदस्य	डब्ल्यूआईआई संकाय सदस्य
36	क्लस्टर - 4 (ख) (6 नग)	पराम्बिकुलम	केरल	डब्ल्यू जी	श्री एस. एस. श्रीवास्तव (ओडी/80)	श्री एम. एस. नेगी (एग्मट/84) श्री आलोक कुमार (एमपी/86) श्री रवि कांत सिन्हा (डब्ल्यूबी /85)	डॉ. विष्णुप्रिया कोलिपकम
37		कालाकड-मुंडनथुरई	तमिलनाडु	डब्ल्यू जी			
38		अन्नामलई	तमिलनाडु	डब्ल्यू जी			
39		मुडुमलई	तमिलनाडु	डब्ल्यूजी			
40		सत्यामंगलम	तमिलनाडु	डब्ल्यूजी			
41		श्रीविल्लुपुथुर - मेगालामाई	तमिलनाडु	डब्ल्यूजी			

5. अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, पश्चिम बंगाल एवं असम

क्र.सं.	क्लस्टर	टाइगर रिजर्व का नाम	राज्य	परिदृश्य का नाम	प्रस्तावित सदस्य		
					अध्यक्ष	सदस्य	डब्ल्यूआईआई संकाय सदस्य
42	क्लस्टर - 5 (क) (5 नग)	नाम्डाफा	अरुणाचल प्रदेश	एनई एवं बीएफ	श्री अनिल कुमार भारद्वाज (केआर/85)	डॉ. सुब्रत मुखर्जी (डब्ल्यूबी/85) श्री प्रशांत कुमार (एमपी/85)	डॉ. आर सुरेश कुमार
43		पाक्के	अरुणाचल प्रदेश	एनई एवं बीएफ			
44		कामलांग	अरुणाचल प्रदेश	एनई एवं बीएफ			
45		काजिरंगा	असम	एनई एवं बीएफ			
46		मानस	असम	एनई एवं बीएफ			

क्र.सं.	क्लस्टर	टाइगर रिजर्व का नाम	राज्य	परिदृश्य का नाम	प्रस्तावित सदस्य		
					अध्यक्ष	सदस्य	डब्ल्यूआईआई संकाय सदस्य
47		नामेरि	असम	एनई एवं बीएफ	श्री बी. के. पटनायक	श्री अजय मिश्र	डॉ. अभिजीत दास

48	क्लस्टर - 5 (ख) (5 नग)	ओरांग	असम	एनई एवं बीएफ	(यूपी/77)	(केए/86) श्री जी. हरिकुमार (केआर/82)	
49		डाम्पा	मिजोरम	एनई एवं बीएफ			
50		बुक्सा	प. बंगाल	एनई एवं बीएफ			
51		सुंदरबन	प. बंगाल	एनई एवं बीएफ			

अध्याय - 5

प्रशासनिक मामले

सदस्य सचिव को अपने दायित्वों का निर्वहन करने में सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की अवस्थापना में 12 नियमित / 33 संविदा आधारित प्रशासनिक कार्मिक हैं। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की कार्यालय अवस्थापना से संबंधित पदों और पदधारियों (2022-23) का ब्यौरा इस प्रकार है :

एनटीसीए मुख्यालय में एनटीसीए अधिकारियों और कर्मचारियों (स्थायी आधार पर) का विवरण

क्र.सं.	पद का नाम	पदधारी का नाम	पे बैंड / वेतन (रु.)
	मुख्यालय		
1.	सदस्य सचिव	डॉ. एस. पी. यादव	लेवल 16 (205400-224400)
2.	वन महानिरीक्षक (एनटीसीए - मुख्यालय)	डॉ. अमित मल्लिक	लेवल 15 (182200-224100)
3.	उप महानिरीक्षक (एनटीसीए - मुख्यालय)	श्री राजेन्द्र जी गारवाड़	लेवल 14 (144200-218200)
4.	सहायक महानिरीक्षक (एनटीसीए - मुख्यालय)	श्रीमती बानुमथी जी.	लेवल 13 (123100-215900)
5.	सहायक महानिरीक्षक (एनटीसीए- मुख्यालय)	मो. साजिद सुल्तान	लेवल 12 (78800-209200)
6.	सहायक महानिरीक्षक (एनटीसीए- मुख्यालय)	श्री हेमंत सिंह	लेवल 12 (78800-209200)
7.	उप निदेशक (वित्त) (एनटीसीए - मुख्यालय)	श्री गोपाल प्रसाद अग्रवाल	लेवल - 11 (56100-177500)
8.	निजी सचिव	रिक्त	
10.	अनुभाग अधिकारी	रिक्त	
11.	सहायक	रिक्त	
12.	स्टाफ कार चालक	रिक्त	
13.	बहु कार्य कर्मचारी (एमटीएस)	श्री मदन सिंह	लेवल 4 (25500 - 81100)
14.	बहु कार्य कर्मचारी (एमटीएस)	श्री सुरेश पंडित	लेवल 4 (25500 - 81100)

एनटीसीए क्षेत्रीय कार्यालयों के एनटीसीए अधिकारियों (स्थायी आधार पर) के विवरण

क्र.सं.	पद का नाम	पदधारी का नाम	पे बैंड / वेतन (रु.)
	क्षेत्रीय कार्यालय (गुवाहाटी)		
15.	वन महानिरीक्षक (एनटीसीए) क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	रिक्त	
16.	ओएसडी (एनटीसीए) क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	श्री डब्ल्यू. लौंग्वा	1,12,050 रुपए (निश्चित)
17.	सहायक महानिरीक्षक (एनटीसीए) क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	रिक्त	
	क्षेत्रीय कार्यालय (नागपुर)		
17	वन महानिरीक्षक (एनटीसीए) क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर	रिक्त	

18	सहायक महानिरीक्षक (एनटीसीए) क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर	श्री हेमंत काम्डी भास्कर	लेवल 13 (123100-215900)
	<u>क्षेत्रीय कार्यालय (बैंगलोर)</u>		
19.	वन महानिरीक्षक (एनटीसीए), बेंगलोर	श्री एन एस मुरली	लेवल 14 (144200-218200)
20.	सहायक महानिरीक्षक (एनटीसीए) क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलोर	सुश्री हरिणी वेणुगोपाल	लेवल 12 (78800 - 209200)

मुख्यालय के एनटीसीए कर्मचारियों (आउटसोर्स के आधार पर) के विवरण

क्र.सं.	पद	पदधारी का नाम	वेतन
		एनटीसीए मुख्यालय, नई दिल्ली	
1.	अनुभाग अधिकारी	निपुन वशिष्ठ	रुपये 47600/-
2.	लेखाकार	कुशाल भंडारी	रुपये 51,500/ -
3.	डाटा विश्लेषक	भोगेन्द्र मिश्र	रुपये 45,000/-
4.	डाटा इंट्री ऑपरेटर	शीतल बिष्ट	रुपये 43,500/ -
5.	डाटा इंट्री ऑपरेटर	ख़ुशी राम	रुपये 25,600 / -
6.	डाटा इंट्री ऑपरेटर	धीरेंद्र कुमार पांडे	रुपये 25,200/ -
7.	डाटा इंट्री ऑपरेटर	आरती	रुपये 25,200/ -
8.	डाटा एंट्री सहायक	सनी	रुपये 22,744 / -
9.	डाटा एंट्री सहायक	अंकित कुमार	रुपये 25,200/ -
10.	डाटा एंट्री सहायक	अलिशा	रुपये 22,000 / -
11.	डाटा एंट्री सहायक	स्वाती	रुपये 22,744 / -
12.	कार्यालय सहायक	लक्ष्मण सिंह	रुपये 36,200 / -
13.	कार्यालय सहायक	मुकेश कुमार	रुपये 36,200/ -
14.	ड्राइवर	मो. अकबर	रुपये 27,400/-
15.	ड्राइवर	सिया राम	रुपये 25,200/-
16.	संदेशवाहक	शिव सिंह	रुपये 26,100/-
17.	संदेशवाहक	दीपक सिंह	रुपये 24,000/-
18	सफाई कर्मचारी	राहुल	रुपये 22,000/-
19.	प्रधान परियोजना एसोसिएट	शिप्रा सक्सेना	रुपये 62,230/-
		एनटीसीए, क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	
20	वरिष्ठ परियोजना एसोसिएट	अगथा सी मोमिन	रुपये 49,560 / -

21	डाटा एंट्री ऑपरेटर	जीतूमणि महंता	रुपये 21,800 / -
22	चौकीदार	माइकल कुमार राभा	रुपये 19,100 / -
23	एमटीएस	नयन ज्योति राहांग	रुपये 19,100 / -
एनटीसीए, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर			
24.	प्रधान परियोजना एसोसिएट	अनिल कुमार दशहारे	रुपये 57,820/-
25.	डाटा एंट्री ऑपरेटर	कुनाल रमेश नंदनवार	रुपये 22,400 / -
26.	चौकीदार	प्रफुल बी. बगाडे	रुपये 21,000 /-
27.	एमटीएस	योगेश जी. सकर्डे	रुपये 18,700 /-
28.	चौकीदार	राहुल एन. खाडसे	रुपये 21,000 /-
एनटीसीए, क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु			
29.	एमटीएस	कुमार एम. के.	रुपये 18,700 /-
30.	डेटा इंट्री ऑपरेटर	एम. आर. राधा	रुपये 22,400 / -
31.	चौकीदार	संतोष कुमार बोडके	रुपये 21,000 / -
32.	एमटीएस	वामशीकृष्णा के	रुपये 18,700 / -

<u>**व्याघ्र संरक्षण के लिए की गयीं उल्लेखनीय पहल**</u>

व्याघ्र और अन्य वन्य जीवों के संरक्षण और प्रतिरक्षण के लिए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित उल्लेखनीय पहलें की गयीं

विधिक कदम

1. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के खण्ड 38 IV ख के तहत राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण और खण्ड 38 IV ग के तहत व्याघ्र और अन्य विलुप्त होती प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन करने हेतु समर्थकारी प्रावधान शामिल करने के लिए वर्ष 2006 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया।

2. धारा खंड 51 (1ग) जोड़कर, किसी टाइगर रिजर्व के मूल क्षेत्र में किए गए अपराध अथवा टाइगर रिजर्व में आखेट करने से संबंधित अपराध अथवा टाइगर रिजर्व की सीमाओं में परिवर्तन करने इत्यादि से संबंधित अपराध में दिए जाने वाले दण्ड में वृद्धि की गई है। ऐसे अपराधों के दुष्प्रेरण उसी सजा से दंडनीय जो सजा अपराधी के लिए है {धारा 51(घ)}।

3. 15 अक्तूबर, 2012 को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ण(1)(ग) के तहत टाइगर रिजर्व एवं टाइगर रिजर्वों में पर्यटन संबंधी व्यापक दिशानिर्देश जारी किए गए।

<u>**प्रशासनिक कदम**</u>

1. अन्य बातों के साथ-साथ टाइगर रिजर्व प्रबंधन में निर्देशात्मक मानकों को सुनिश्चित करके, आरक्षित क्षेत्र विनिर्दिष्ट व्याघ्र संरक्षण योजना तैयार कर, संसद को वार्षिक/लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत कर, मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समितियों का गठन कर और व्याघ्र संरक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना कर व्याघ्र संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए दिनांक 4 सितम्बर, 2006 को राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) का गठन किया गया।

2. वन्य जीवों के अवैध व्यापार को कारगर ढंग से रोकने के लिए 6 जून, 2007 को बहु -विषयक व्याघ्र और अन्य विलुप्त हो रही प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो) का गठन किया गया।

3. संचार और बेतार सुविधाओं को सुदृढ़ करने के अलावा स्थानीय जनता को शामिल करके कार्यबल गठित करने, टाइगर रिजर्व वाले राज्यों की ओर से पूर्व-सैनिक कार्मिकों अथवा होमगार्ड्स को शामिल करके व्याघ्र आखेट रोधी दस्ते को तैनात करने के लिए यथा-प्रस्तावित वित्तीय

सहायता प्रदान करके मानसून के मौसम में गश्त की विशेष कार्यनीति सहित व्याघ्र आखेट रोधी कार्यकलापों को सुदृढ़ किया गया है।

4. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण ने सैद्धांतिक रूप से नए टाइगर रिजर्वों के लिए अनुमोदन प्रदान किया है, और ये स्थान हैं: रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य (मध्य प्रदेश), दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य (अरुणाचल प्रदेश) और कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य (बिहार) है। सुनाबेदा वन्यजीव अभ्यारण्य (ओडिशा), एमएम हिल्स वन्य जीव अभ्यारण्य (कर्नाटक), रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य (राजस्थान) और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान एवं तैमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य (छत्तीसगढ़) को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषणा करने हेतु अंतिम मंजूरी प्रदान कर दी गयी है।

5. श्रीविल्लिपुथुर मेगामलई टाइगर रिजर्व को 51वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है।

6. व्याघ्र संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकारों को संशोधित टाइगर रिजर्व दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ चालू कार्यकलापों के अतिरिक्त टाइगर रिजर्व के मुख्य अथवा नाजुक व्याघ्र पर्यावास में रहने वाले व्यक्तियों के लिए बढ़ा हुआ ग्राम पुनर्स्थापन या पुनर्वास पैकेज (10 लाख रूपए प्रति परिवार से लेकर 15 लाख रूपए प्रति परिवार तक) के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता, परम्परागत आखेट में संलिप्त समुदायों का पुनर्वास अथवा पुनर्स्थापना, टाइगर रिजर्व के बाहर मुख्य धारा में जीवन-यापन और वन्यजीव सरोकार और प्राकृत्वास विखण्डन को रोकने के लिए पुन: बहाली कार्यनीति के माध्यम से कोरिडोर संरक्षण का पोषण करना शामिल है।

7. वर्ष 2006 में यथा-संशोधित, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के खण्ड 38फ के तहत 18 व्याघ्र राज्यों ने देश के सभी 51 टाइगर रिजर्वों के मूल / नाजुक व्याघ्र प्राकृत्वास (40,541 वर्ग कि.मी.) और बफर / उपांत क्षेत्र (32,682 वर्ग कि.मी.) को अधिसूचित कर दिया है।

8. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर, बेंगलुरु और गुवाहाटी में कार्यात्मक हो गए हैं, जो वन महानिरीक्षक के नेतृत्व में कार्य कर रहें हैं।

वित्तीय कदम

1. एनटीसीए वन्य जीवों के प्रभावी संरक्षण की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारों को उनकी क्षमता और अवसंरचना में वृद्धि करने के लिए **"टाइगर रिजर्व"** और **"एकीकृत वन्यजीव पर्यावास विकास**'' जैसी विभिन्न केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। जो गतिविधियां समर्थित और सहायता प्राप्त हैं, उनमें अवसंरचना सुदृढीकरण, पर्यावास सुधार, मानव वन्य जीव संघर्ष निदान, कर्मचारी विकास जिसमें प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और

आवास व्यवस्था शामिल हैं, टाइग रिजर्वों के आस-पास रहने वाले लोगों की आजीविका व्यवस्था, सामाजिक और आर्थिक उन्नयन पर केंद्रित आकर्षक पैकेज के माध्यम से स्वैच्छिक ग्राम स्थान परिवर्तन, संचार और जागरूकता सृजन में सुधार शामिल हैं।

2. एनटीसीए ने व्याघ्र प्रकोष्ठ स्थापित किया है और अखिल भारतीय व्याघ्र आकलन कवायद सुगम करने के लिए भारतीय वन्य जीव संस्थान के संचालन में सहायता कर रहा है। यह कवायद देश में व्याघ्र प्रबंधन के मार्ग को सावधिक रूप से बेहतर बनाने के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है और साथ ही आमलोगों के सन्मुख होता है।

3. एनटीसीए व्याघ्र और इसकी पारिस्थितिकी से संबंधित शोध करने और वैज्ञानिक प्रकाशनों हेतु निधियन सहायता प्रदान कर रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

1. **भारत में चीता पुनस्थापन** : **प्रोजेक्ट चीता**

भारत सरकार ने एकमात्र बड़ी मांसाहारी प्रजाति चीता को सफलतापूर्वक बसाया है, जो स्वतंत्र भारत में विलुप्त हो गई थी। प्रोजेक्ट चीता प्रस्ताव के अनुसार, नामीबिया से अगले 5 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष चीतों को लाने का निर्णय लिया गया है। प्रोजेक्ट चीता स्थापन के हिस्से के रूप में डॉ. अमित मलिक, आईजी, एनटीसीए, एमओईएफ और सीसी, श्री जसबीर सिंह चौहान, मुख्य वन्यजीव वार्डन, मध्य प्रदेश, श्री अशोक बरनवाल, प्रमुख सचिव, वन और वन्यजीव, मध्य प्रदेश, डॉ. वाई. वी. झाला, वन्यजीव विज्ञान संकाय, भारतीय वन्यजीव संस्थान और श्री राकेश जगेनिया, उप महानिरीक्षक (वन्यजीव), एमओईएफ और सीसी ने नामीबिया से चीता को लाने के तौर-तरीकों के संबंध में द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए 18 से 22 फरवरी 2022 तक नामीबिया का दौरा किया।

इस संदर्भ में, भारत सरकार ने नामीबिया गणराज्य के साथ जी2जी परामर्श बैठकें शुरू कीं और चीता संरक्षण के लिए 20 जुलाई 2022 को दोनों देशों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर किए गए। इस एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद, ऐतिहासिक रूप से पहले वन्यजीव अंतरमहाद्वीपीय स्थानांतरण में, 17 सितंबर, 2022 को आठ चीतों को नामीबिया से भारत ले जाया गया और भारत के प्रधान मंत्री द्वारा उन्हें संगरोध बोमास में छोड़ दिया गया।

भारत में चीता छोड़ने के लिए बनायी गयी कार्य योजना के अनुसार, कम से कम अगले 5 वर्षों तक अफ्रीकी देशों से सालाना 10-12 चीतों का आयात किया जाना आवश्यक है। इस संदर्भ में, भारत सरकार ने चीता संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग के लिए वर्ष 2021 से दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के साथ द्विपक्षीय वार्ता शुरू की। जनवरी, 2023 में दक्षिण अफ़्रीका गणराज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ वार्ता सफलतापूर्वक संपन्न हुई।

इस एमओयू के प्रावधानों के तहत, 18 फरवरी 2023 को 12 चीतों (7 नर, 5 मादा) के पहले बैच को दक्षिण अफ्रीका से भारत में स्थानांतरित किया गया था। 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से ग्वालियर और फिर हेलीकॉप्टरों के माध्यम से कुनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरण भारतीय वायु सेना द्वारा निष्पादित किया गया था। इस अंतरमहाद्वीपीय स्थानांतरण कवायद में चीता विशेषज्ञों, पशु चिकित्सकों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी उनके साथ था।

चीता छोड़े जाने संबंधी भारत की महत्वाकांक्षी परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए, 20 फरवरी 2023 को कुनो राष्ट्रीय उद्यान में एक परामर्श कार्यशाला भी आयोजित की गई थी जिसमें अंतरराष्ट्रीय चीता विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, पशु चिकित्सकों और वन अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला के नतीजे ने बेहतर चीता प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त किया जो भारत में चीता आबादी को सफलतापूर्वक स्थापन करने में मदद करेगा।

2. **कंबोडिया में व्याघ्रों की पुन:प्राप्ति की पहल पर क्षमता निर्माण की जरूरतों और तकनीकी सहयोग के संबंध में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की कंबोडिया यात्रा** :

भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कंबोडिया के माननीय पर्यावरण और वन मंत्री महामहिम सामल और उनकी टीम के साथ नोम पेंच में बाघ संरक्षण विषय पर एक सार्थक द्विपक्षीय बैठक की। भारतीय

प्रतिनिधिमंडल ने कंबोडिया का दौरा किया और क्षमता निर्माण कार्यक्रम योजनाओं सहित कंबोडिया में बाघ बहाली प्रयासों के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा की।

3. सुंदरबन भू-दृश्य का सीमा पार संरक्षण विषय पर भारत - बांग्लादेश द्विपक्षीय बैठक

भारत ने 14 फरवरी, **2022** को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन भू-दृश्य के संरक्षण विषय पर सीमापारीय बैठक की मेजबानी की। बैठक की अध्यक्षता प्रतिनिधिमंडल के भारतीय प्रमुख डॉ. एस. पी. यादव, एडीजी (पीटी)/एमएस (एनटीसीए) ने की। दोनों पक्षों द्वारा विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई और उक्त परिदृश्य के संरक्षण की दिशा में समन्वित प्रयासों की आवश्यकता के बारे में संयुक्त सहमति बनी।

4. **व्याघ्र रेंज देशों (टीआरसी) की पूर्व शिखर बैठक**

रूस के वलादिवोस्तक में होने वाले टाइगर रेंज देशों के शिखर सम्मेलन की प्रस्तावना के रूप में टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर बैठक नई दिल्ली, भारत में आयोजित की गई थी। भारत ने कई टाइगर रेंज देशों के साथ कई द्विपक्षीय समझौते किए हैं और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और वह कंबोडिया के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है, और उनके जंगली बाघों को वापस लाने की दिशा में तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, रूस में लैंड ऑफ लेपर्ड नेशनल पार्क के साथ एक तकनीकी साझेदारी पक्की की गई है। इसके अलावा, एक अंतर

सरकारी मंच, ग्लोबल टाइगर फोरम का संस्थापक सदस्य होने के नाते, भारत सभी टाइगर रेंज देशों के साथ वैश्विक स्तर पर साझेदारी और सहयोग का और विस्तार करने का इरादा रखता है।

अन्य विविध कदम

1. सीए । टीएस प्रत्यायन :

संरक्षण आश्वासित | व्याघ्र मानक (सीए | टीएस) को टाइगर रेंज देशों (टीआरसी) के वैश्विक गठबंधन द्वारा एक प्रत्यायन साधन के रूप में सहमति दी गई है और इसे बाघ और संरक्षित क्षेत्र विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है। आधिकारिक तौर पर वर्ष 2013 में शुरू किए गए यह प्रत्यायन लक्षित प्रजातियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करता है और प्रासंगिक संरक्षण क्षेत्रों में इन मानकों के मूल्यांकन को प्रोत्साहित करता है। सीए|टीएस मानदंडों का एक सेट है जो बाघ स्थलों को यह जांचने की अनुमति देता है कि क्या उनके प्रबंधन से सफल बाघ संरक्षण हो सकेगा। सीए|टीएस को 7 स्तंभों और महत्वपूर्ण प्रबंधन गतिविधि के 17 तत्वों के तहत व्यवस्थित किया गया है।

भारत में, सीए|टीएस का कार्यान्वयन एनटीसीए द्वारा ग्लोबल टाइगर फोरम (जीटीएफ) के सहयोग से वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। सीए|टीएस अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से गठित) ने भारत में 23 टाइगर रिजर्वों का सीए|टीएस मान्यता की मंजूरी दी है। ये टाइगर रिजर्व हैं मानस, काजीरंगा, ओरंग, सतपुड़ा, पेंच, कान्हा, पन्ना, वाल्मिकी, दुधवा, परम्बिकुलम, मुदुमलाई, बांदीपुर, अनामलाई, सुंदरबन, सत्यमंगलम, बांधवगढ़, पेंच, काली, मेलघाट, पीलीभीत, ताडोबा-अंधारी, नवेगांव-नागजीरा और पेरियार।

2. अखिल भारतीय व्याघ्र आकलन 2022 :

भारत के माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कर्नाटक के मैसूर में इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस के उद्घाटन के दौरान बाघ गणना जारी की है। भारत की बाघ गणना के 5वें चक्र के अनुसार, यह पता चला कि देश में बाघों की संख्या एक बार फिर बढ़ी है और अब वर्ष 2022 तक की स्थिति के अनुसार जंगल में बाघों की संख्या 3,167 है। इसके अलावा, वर्ष 2018 की बाघ गणना के अनुसार, भारत में लगभग 2,967 बाघ मौजूद थे। इस प्रकार, यह संकेत दिया गया कि पिछले चार वर्षों में भारत में बाघों की आबादी में 200 की वृद्धि हुई है जो 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

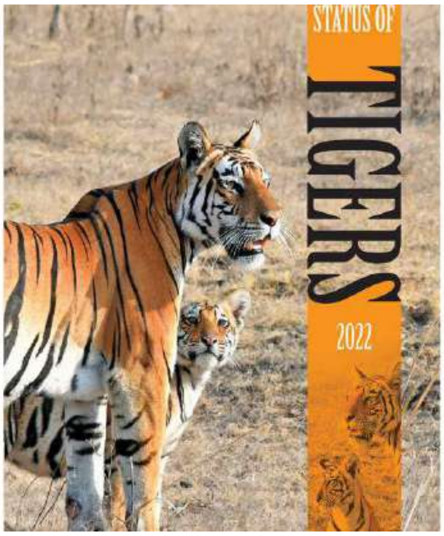

इसके साथ ही, अखिल भारत व्याघ्र आकलन के अगले अर्थात् 6ठा चक्र शुरू हो गया है।

3. टाइगर रिजर्व का प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (एमईई):

एमईई कवायद का 5वां चक्र चल रहा है। सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारियों की संबंधित टीमों को संबंधित बाघ अभयारण्यों में प्रतिनियुक्त किया गया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों के साथ क्लस्टरवार दौरे किए गए। इस वित्तीय वर्ष अर्थात् वर्ष 2023-24 में सारांश रिपोर्ट में तैयार और विमोचित की गई थी।

4. व्याघ्र अभयारण्यों के लिए एम-स्ट्रिप्स : **एम-स्ट्रिप्स (व्याघ्रों के लिए निगरानी प्रणाली)** :

गहन संरक्षण और पारिस्थितिक प्रस्थिति को राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) और भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) द्वारा वर्ष 2010 में शुरू किया गया था। इसे सभी संरक्षित क्षेत्रों (पीए) में शुरू किया गया था। एम-स्ट्रिप्स एक मोबाइल एप्लिकेशन है जिसे वन्यजीव संरक्षण और निगरानी और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह गश्ती मार्गों की मैपिंग और गश्ती पटरियों के एक स्थानिक डेटाबेस को बनाए रखने में जीपीएस तकनीक का उपयोग करता है। गश्ती मानचित्र, गार्ड द्वारा दर्ज की गई टिप्पणियों के साथ, पीए प्रबंधन को भविष्य के सुरक्षा प्रयासों को बेहतर बनाने के लिए रुझानों और प्रवृतियों का विश्लेषण करने में मदद कर सकते हैं। यह गश्त के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता देने हेतु प्रबंधन को महत्वपूर्ण डेटा भी प्रदान करता है। यह उन्हें पर्यावास संबंधी जैविक दबाव को समझने में भी मदद करता है। एम-स्ट्रिप्स न केवल वन्यजीव अपराध जांच को सुदृढ़ करता है बल्कि सभी फ्रंटलाइन कर्मचारियों के बीच वन्यजीव संरक्षण के लिए उपलब्धि

और साझा जिम्मेदारी की भावना पैदा करता है। पिछले दशक में उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया के आधार पर इसमें नियमित रूप से सुधार किया गया है।

5. वैश्विक व्याघ्र दिवस, 2022 :

माननीय केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्री भूपेन्द्र यादव और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री, श्री अश्विनी कुमार चौबे ने 29 जुलाई 2022 को चंद्रपुर वन अकादमी, महाराष्ट्र में आयोजित वैश्विक बाघ दिवस 2022 समारोह में भाग लिया।

मंत्रियों ने अन्य प्रतिनिधियों के साथ, ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व (टीएटीआर) का दौरा किया और परिदृश्य, इसकी वनस्पतियों और जीवों की विविधता की सराहना की और क्षेत्र स्तर के सुरक्षा मुद्दों को समझने के लिए वन कर्मचारियों और बाघ रिजर्व प्रबंधन के साथ अनौपचारिक बातचीत की।

<u>**वैश्विक व्याघ्र दिवस 2022 के कुछ झलक**</u>

6. मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) :

पीए के कई वन क्षेत्रों में बाघों की आबादी को बनाए रखने के लिए उपयुक्त पर्यावास हैं, लेकिन वर्तमान में इनमें से कई वन क्षेत्रों में बाघों की आबादी नहीं भी हो सकती है। ऐसे क्षेत्रों में बाघों को छोड़ने से संबंधित गतिविधियों के संचालन के लिए एक एसओपी तैयार करने की आवश्यकता महसूस की गई है। आग से बचाव की तैयारी का भी आकलन करने और उसे मानकीकृत करने की भी आवश्यकता महसूस की गई है ताकि मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता लाई जा सके और जिसके परिणामस्वरूप योजना तैयार की जा सके। तदनुसार, एनटीसीए ऐसी गतिविधियों के संचालन और प्रबंधन और उनका पालन करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया तैयार कर रहा है।

7. अलग अलग बाघों की कैमरा ट्रैप फोटो आईडी का एक राष्ट्रीय संकलन तैयार किया गया है। इसे नियमित आधार पर अद्यतित किया जा रहा है।

8. भटकते बाघों से निपटने के लिए फील्ड अधिकारियों की क्षमता निर्माण हेतु फील्ड स्तरीय कार्यशालाएँ।

टाइगर रिजर्वों की सुरक्षा संपरीक्षा

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (वर्ष 2006 में यथा संशोधित) के अनुसार, भारत में प्रत्येक टीआर से एक व्याघ्र संरक्षण योजना तैयार करना अपेक्षित होती है, जिसमें "संरक्षण" एक प्रमुख घटक होता है। एनटीसीए ने आरक्षित क्षेत्र विशिष्ट सुरक्षा योजनाओं (एसपी) के लिए सामान्य दिशानिर्देश भी जारी किए हैं, जो टीसीपी के भाग हैं। एनटीसीए की सुरक्षा योजना प्रोटोकॉल दो टाइगर रिजर्वों, अर्थात् मध्य प्रदेश में - कान्हा और ओडिशा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व में जीटीएफ दल द्वारा किए गए प्रोटोकॉल सत्यापन प्रक्रिया पर आधारित हैं।

सुरक्षा संपरीक्षा मूलत: विभिन्न खतरों/आशंकाओं का हल निकालने के लिए किसी क्षेत्र संरचना की तैयारी का आकलन करने का कार्य है। सुरक्षा संपरीक्षा का कार्य पिछले वित्तीय वर्ष (2021-22) में शुरू किया गया और इसमें निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया :

1. टाइगर रिजर्वों की सुरक्षा संपरीक्षा हेतु दलों का गठन और प्रशिक्षण।
2. क्षेत्र निदेशकों द्वारा टाइगर रिजर्वों के लिए सुरक्षा संपरीक्षा नोडल बिन्दु का निर्धारण, सुरक्षा संपरीक्षा दल सुरक्षा संपरीक्षा योजना पर नोडल बिन्दु से कार्य करते हैं।
3. टाइगर रिजर्व में परामर्श कार्यशाला जिसमें अधिकतम संभव संख्या में कर्मचारी प्रतिभागिता करते हैं। इस कार्यशाला के लिए अपेक्षित प्रतिभागियों में क्षेत्र निदेशक, मंडल वन अधिकारी / उप-निदेश, सहायक वन संरक्षक / रेंज अधिकारी, उप-रेंज अधिकारी, और वन प्रहरी शामिल हैं।

4. आखेट रोधी शिविरों / रैंज अधिकारियों / चेक पोस्ट का सत्यापन (कम से कम 50 प्रतिशत)। टाइगर रिजर्व की क्षेत्र संपरीक्षा में 2 से 5 दिन लगेंगे और उसके बाद समर्थनकारी अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा।
5. टाइगर रिजर्व की सुरक्षा संपरीक्षा का परितुलन / अंतिम रूप दिया जाना।

ऊपर उल्लिखित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, निम्नलिखित टाइगर रिजर्वों की सुरक्षा संपरीक्षा संपन्न की गयी है :

1. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व
2. बांदीपुर टाइगर रिजर्व
3. बिलिगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व
4.. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व
5. दुधवा टाइगर रिजर्व
6. कान्हा टाइगर रिजर्व
7. काजीरंगा टाइगर रिजर्व
8. मानस टाइगर रिजर्व
9. मेलघाट टाइगर रिजर्व
10. मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व
11. नवेगांव-नागजिरा टाइगर रिजर्व
12. ओरंग टाइगर रिजर्व
13. पन्ना टाइगर रिजर्व
14. पेंच (महाराष्ट्र) टाइगर रिजर्व
15. पेंच टाइगर रिजर्व
16. पीलीभीत टाइगर रिजर्व
17. राजाजी टाइगर रिजर्व
18. रणथंभौर टाइगर रिजर्व
19. संजय-डुबरी टाइगर रिजर्व
20. सरिस्का टाइगर रिजर्व

21. सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व
22. सतकोसिया टाइगर रिजर्व
23. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व
24. सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व
25. सुंदरवन टाइगर रिजर्व
26. तडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व
27. वाल्मिकी टाइगर रिजर्व

वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित अन्य समारोह

निम्नलिखित समारोह आयोजित किए गए

क्र.सं.	गतिविधि	तिथि और स्थान
1	क्लेमसन विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि मंडल का दौरा	3 जून 2022, नई दिल्ली
2	पूर्व व्याघ्र शिखर सम्मेलन	11-12 अगस्त, 2022, नई दिल्ली
3	''द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय व्याघ्र फोरम'' डाक टिकट जारी	1 सितंबर, 2022, नई दिल्ली
4	व्याघ्र संरक्षण संबंधी व्लादिवोस्तोक घोषणा	5 सितंबर, 2022, नई दिल्ली
5	देश के टाइगर रिजर्व प्रबंधन और वैज्ञानिक संस्थान/संगठन के बीच सहयोग	4 नवंबर, 2022, नई दिल्ली
6	कंबोडिया के प्रतिनिधिमंडल का दौरा	1 मार्च, 2023, नई दिल्ली

अध्याय - 6

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्त और लेखे

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुदान सहायता के स्वरूप में निधियन सहायता प्राप्त करता है। एनटीसीए की वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्तियां और भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	प्राप्तियां	राशि (रुपये में)	भुगतान	राशि (रुपये में)
1.	अग्रदाय राशि :	1,75,000.00	व्यय	15,44,86,771.74
2.	बैंक शेष : (i) जमा खाता (ii) बचत बैंक खाता	17,63,914.10	परियोजनाओं के लिए निधियां	26,34,17,600.00
3.	भारत सरकार से प्राप्त निधियां (i) एनटीसीए को अनुदान सहायता (ii) सीएएमपीए (iii) स्वच्छ भारत	10,16,66,675.00 41,79,11,0000.00 90,00,000.00	प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और सम्मेलनों पर व्यय	43,82,522.00
4.	प्रतिभूति जमा राशि	-	परिसंपत्तियों (अचल/सॉफ्टवेयर) पर व्यय	17,85,246.00
5.	प्राप्त सीएसआर निधि	20,74,30,961.00	निर्मोचित सीएसआर निधि	9,99,00,116.82
6.	प्राप्त ब्याज	19,27,831.00	वित्त प्रभार : जमा किया गया ब्याज	18,86,742.00 -
7.	अग्रिम की वसूली	70,52,838.00	वसूली योग्य अग्रिम	88,62,440.00
8.	विविध प्राप्तियां बिक्री राशि आस्तियां	4,640.00	अन्य भुगतान : संप्रेषण (विविध प्राप्तियां)	4,640.00
9.			अग्रदाय	1,75,000.00
			बैंक शेष :- (i) जमा खाता (ii) बचत खाता	21,03,59,742.54

	कुल	**74,52,60,821.10**	**कुल**	**74,52,60,821.10**

पिछले तीन वर्षों के दौरान बजट आवंटन :

वर्ष 2020 से वर्ष 2023 तक की अवधि के लिए एनटीसीए का बजट आवंटन नीचे दिया गया है।

(लाख रुपये में)

शीर्ष	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
एनटीसीए	740.00	1,000.00	1,016.67
सीएसएस (पीटी)	19,500.00	22,000.00	15,800.00
कुल	**20,240.00**	**23,000.00**	**16,816.67**

अध्याय - 7

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की वार्षिक योजना

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को केंद्र प्रायोजित योजना, प्रोजेक्ट टाइगर (सीएसएस (पीटी) के साथ-साथ अनुदान सहायता के माध्यम से वित्त पोषण प्रदान किया जाता है। सीएसएस (पीटी) के माध्यम से प्राप्त निधि का उपयोग संबंधित बाघ अभयारण्यों की बाघ संरक्षण योजना (टीसीपी) के अनुसार प्रतिवर्ष किया जाता है। सीएसएस (पीटी) का उपयोग पार्क की निगरानी और प्रबंधन, मानव-वन्यजीव संघर्ष शमन, गश्त और अन्य संबंधित प्रबंधकीय मुद्दों में सहायता करने के लिए की जाती है।

सहायता अनुदान के माध्यम से प्राप्त धनराशि का उपयोग अखिल भारतीय बाघ आकलन (एआईटीई) और अन्य परियोजनाओं, एम-स्ट्राइप्स, कार्यालयों के कामकाज और व्याघ्र प्रकोष्ठ में किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान एनटीसीए को अनुदान सहायता के रूप में 1016.67 लाख रुपये की राशि और सीएसएस (पीटी) के रूप में 158 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवायी गयी थी। सहायता अनुदान का विवरण अध्याय VI में प्रदान किया गया है, और सीएसएस (पीटी) का विवरण अनुलग्नक III में प्रदान किया गया है।

अध्याय - 8

अनुपालना संबंधी मुद्दे

व्याघ्र संरक्षण योजनाओं की स्थिति (दिनांक 31.3.2023 की स्थिति के अनुसार)

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा **38** ण के अंतर्गत राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, राज्यों द्वारा तैयार की गई व्याघ्र संरक्षण योजनाओं को अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत है। राज्यों से प्राप्त व्याघ्र संरक्षण योजनाओं (टीसीपी) का विवरण निम्नानुसार है :

टाइगर रिजर्वों की कुल संख्या	53
अनुमोदित व्याघ्र संरक्षण योजनाएं	41
अंतिम मसौदा व्याघ्र संरक्षण योजनाएं प्राप्त और समीक्षा अधीन	3
अंतिम मसौदा व्याघ्र संरक्षण योजनाएं अप्राप्त	5
टिप्पणियों के समावेशन उपरांत अपेक्षित अंतिम मसौदा	5

अब तक अनुमोदित टीसीपी की सूची

क्र.सं.	**टाइगर रिजर्व**	**राज्य**
1	अचानकमार	छत्तीसगढ़
2	अम्बराबाद	तेलंगाना
3	अनामलाई	तमिलनाडु
4	अमनगढ़	उत्तराखंड
5	बांदीपुर	कर्नाटक
6	भद्रा	कर्नाटक
7	बिलिगिरि रंगनाथा मंदिर	कर्नाटक
8	बुक्सा	पश्चिम बंगाल
9	कॉर्बेट	उत्तराखंड
10	डमपा	मिजोरम
11	डंडेली अंशी	कर्नाटक
12	दुधवा	उत्तर प्रदेश
13	इंद्रावती	छत्तीसगढ़

14	कलक्कड - मुंडनथुरइ	तमिलनाडु
15	कान्हा	मध्य प्रदेश
16	कवल	तेलंगाना
17	काम्लांग	अरुणाचल प्रदेश
18	मानस	असम
19	मेलघाट	महाराष्ट्र
20	मुदुमलई	तमिलनाडु
21	नागरहोल	कर्नाटक
22	नागार्जुन सागर श्री सैलम	आंध्र प्रदेश
23	नामेरि	असम
24	ओरांग	असम
25	पाक्के	अरुणाचल प्रदेश
26	पलामू	झारखंड
27	परमबीकुलम	केरल
28	पेंच	मध्य प्रदेश
29	पेंच	महाराष्ट्र
30	पेरियार	केरल
31	रणथंभौर	राजस्थान
32	सह्याद्री	महाराष्ट्र
33	संजय डुबरी	मध्य प्रदेश
34	सरिस्का	राजस्थान
35	सत्यमंगलम	तमिलनाडु
36	सतकोसिया	ओडिशा
37	सतपूरा	मध्य प्रदेश
38	सिमलीपाल	ओडिशा
39	सुंदरबन	पश्चिम बंगाल

40	तदोबा - अंधारी	महाराष्ट्र
41	उदांती - सीतानदी	छत्तीसगढ़
42	वाल्मिकी	बिहार

समीक्षाधीन और लंबित टीसीपी का विवरण

क्र.सं.	**समीक्षा अधीन**	**अप्राप्त**	**टिप्पणियों को समावेशित करने के उपरांत अपेक्षित अंतिम मसौदा**
1	काजिरंगा	बोर	बांधवगढ़
2	पन्ना	श्रीविल्लीपुथुर मेगामलई	पीलीभीत
3	नाम्दाफा	रानीपुर	नावेगांव नागजिरा
		रामगढ़ विषधारी	मुकुंदरा
		राजाजी	पन्ना

संचालन समिति (दिनांक 31. 3. 2023 की स्थिति के अनुसार) :

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 38 प के तहत, राज्यों को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन करना आवश्यक है। सभी बाघ रेंज राज्यों ने संचालन समिति का गठन किया है। इस प्राधिकरण द्वारा अपनी बैठकें सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ नियमित आधार पर पत्राचार किए जाते हैं।

व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन (दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	**टाइगर रिजर्व**	**राज्य**
1	अचानकमार	छत्तीसगढ़
2	अमराबाद	तेलंगाना
3	अनामलाई	तमिलनाडु
4	अमनगढ़	उत्तराखंड
5	बांधवगढ़	मध्यप्रदेश

6	बांदीपुर	कर्नाटक
7	भद्रा	कर्नाटक
8	बिलिगिरि रंगनाथा मंदिर	कर्नाटक
9	बोर	महाराष्ट्र
10	बुक्सा	पश्चिम बंगाल
11	कॉर्बेट	उत्तराखंड
12	डमपा	मिजोरम
13	डंडेली अंशी	कर्नाटक
14	दुधवा	उत्तर प्रदेश
15	इंद्रावती	छत्तीसगढ़
16	कलाक्कड - मुंडनथुरइ	तमिल नाडु
17	कान्हा	मध्य प्रदेश
18	कवल	तेलंगाना
19	मानस	असम
20	मेलघाट	महाराष्ट्र
21	मुकुंदरा	राजस्थान
22	मुदुमलई	तमिलनाडु
23	नागरहोल	कर्नाटक
24	नागार्जुन सागर श्री सैलम	आंध्र प्रदेश
25	नामेरि	असम
26	नामडाफा	अरुणाचल प्रदेश
27	नावेगांव - नागजिरा	महाराष्ट्र
28	ओरांग	असम
29	पाक्के	अरुणाचल प्रदेश
30	पलामू	झारखंड
31	पन्ना	मध्य प्रदेश

32	परमबीकुलम	केरल
33	पेंच	मध्य प्रदेश
34	पेंच	महाराष्ट्र
35	पेरियार	केरल
36	रणथंभौर	राजस्थान
37	सह्याद्री	महाराष्ट्र
38	संजय डुबरी	मध्य प्रदेश
39	सरिस्का	राजस्थान
40	सत्यमंगलम	तमिलनाडु
41	सतकोसिया	ओडिशा
42	सतपूरा	मध्य प्रदेश
43	सिमलीपाल	ओडिशा
44	सुंदरबन	पश्चिम बंगाल
45	तदोबा - अंधारी	महाराष्ट्र
46	उदांती - सीतानदी	छत्तीसगढ़
47	वाल्मिकी	बिहार

लंबित टीसीएफ :-

निम्नलिखित टाइगर रिजर्वों के टीसीएफ अभी गठित किए जाने हैं।

1. पीलीभीत टाइगर रिजर्व (उत्तर प्रदेश)
2. राजाजी टाइगर रिजर्व (उत्तराखंड)
3. कामलांग टाइगर रिजर्व (अरुणाचल प्रदेश)
4. श्रीविल्लीपुथुर मेगामलाई टाइगर रिजर्व (तमिल नाडु)

मुख्य और बफर अधिसूचना (दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार) :

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38फ के तहत, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को किसी क्षेत्र को बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने की सिफारिश करने की शक्ति प्राप्त है। राज्यों द्वारा मुख्य और बफर अधिसूचना की स्थिति निम्नानुसार है :

क्र. सं.	निर्माण का वर्ष	टाइगर रिजर्व का नाम	राज्य	मुख्य / नाजुक व्याघ्र आवास क्षेत्र (वर्ग किमी में)	व्याघ्र पर्यावास का बफर / परिधीय क्षेत्र (वर्ग किमी में)	कुल क्षेत्रफल (वर्ग किमी में)
1	1973 - 1974	बांदीपुर	कर्नाटक	872.24	584.06	1456.3
2	1973 - 1974	कॉर्बेट	उत्तराखंड	821.99	466.32	1288.31
		अमानगढ़ (कॉर्बेट टीआर का बफर)	उत्तर प्रदेश	-	80.60	80.60
3	1973 - 1974	कान्हा	मध्य प्रदेश	917.43	1134.361	2051.791
4	1973 - 1974	मानस	असम	526.22	2310.88	2837.10
5	1973 - 1974	मेलघाट	महाराष्ट्र	1500.49	1268.03	2768.52
6	1973 - 1974	पलामू	झारखंड	414.08	715.85	1129.93
7	1973 - 1974	रणथंभौर	राजस्थान	1113.364	297.9265	1411.291
8	1973 - 1974	सिमलीपाल	ओडिशा	1194.75	1555.25	2750.00
9	1973 - 1974	सुंदरबन	पश्चिम बंगाल	1699.62	885.27	2584.89
10	1978 - 1979	पेरियार	केरल	881.00	44.00	925.00
11	1978 - 1979	सरिस्का	राजस्थान	881.1124	332.23	1213.342
12	1982 - 1983	बुक्सा	पश्चिम बंगाल	390.5813	367.3225	757.9038
13	1982 - 1983	इंद्रावती	छत्तीसगढ़	1258.37	1540.70	2799.07
14	1982 - 1983	नमदाफा	अरुणाचल प्रदेश	1807.82	245.00	2052.82
15	1987 - 1988	दुधवा	उत्तर प्रदेश	1093.79	1107.9848	2201.7748
16	1988 - 1989	कालाकड - मुंडनथुरई	तमिलनाडु	895.00	706.542	1601.542
17	1989 - 1990	वाल्मीकि	बिहार	598.45	300.93	899.38

18	1992 - 1993	पेंच	मध्य प्रदेश	411.33	768.30225	1179.63225
19	1993 - 1994	तदोबा-अंधारी	महाराष्ट्र	625.82	1101.7711	1727.5911
20	1993 - 1994	बांधवगढ़	मध्य प्रदेश	716.903	820.03509	1536.938
21	1994 - 1995	पन्ना	मध्य प्रदेश	576.13	1021.97	1598.10
22	1994 - 1995	डमपा	मिजोरम	500.00	488.00	988.00
23	1998 - 1999	भद्रा	कर्नाटक	492.46	571.83	1064.29
24	1998 - 1999	पेंच	महाराष्ट्र	257.26	483.96	741.22
25	1999 - 2000	पाक्के	अरुणाचल प्रदेश	683.45	515.00	1198.45
26	1999 - 2000	नामेरी	असम	320.00	144.00	464.00
27	1999 - 2000	सतपुड़ा	मध्य प्रदेश	1339.264	794.04397	2133.30797
28	2008 - 2009	अनामलाई	तमिलनाडु	958.59	521.28	1479.87
29	2008 - 2009	उदांति - सीतानदी	छत्तीसगढ़	851.09	991.45	1842.54
30	2008 - 2009	सतकोसिया	ओडिशा	523.61	440.26	963.87
31	2008 - 2009	काजीरंगा	असम	625.58	548.00	1173.58
32	2008 - 2009	अचानकमार	छत्तीसगढ़	626.195	287.822	914.017
33	2008 - 2009	डंडेली अनशी	कर्नाटक	814.884	282.63	1097.514
34	2008 - 2009	संजय - डुबरी	मध्य प्रदेश	812.571	861.931	1674.502
35	2008 - 2009	मुदुमलई	तमिलनाडु	321.00	367.59	688.59
36	2008 - 2009	नागरहोले	कर्नाटक	643.35	562.41	1205.76
37	2008 - 2009	परम्बिकुलम	केरल	390.89	252.772	643.662
38	2009 - 2010	सह्याद्री	महाराष्ट्र	600.12	565.45	1165.57
39	2010 - 2011	बिलिगिरी रंगनाथ मंदिर	कर्नाटक	359.10	215.72	574.82
40	2012 - 2013	कवल	तेलंगाना	892.23	1123.212	2015.44
41	2013 - 2014	सत्यमंगलम	तमिलनाडु	793.49	614.91	1408.40
42	2013 - 2014	मुकंदरा हिल्स	राजस्थान	417.17	342.82	759.99
43	2013 - 2014	नवेगॉव - नागजिरा	महाराष्ट्र	653.674	1241.27	653.674
44	1982 - 1983	नागार्जुनसागर श्रीशैलम	आंध्र प्रदेश	2595.72	700.59	3296.31

45	2014	अमराबाद	तेलंगाना	2166.37	445.02	2611.39
46	2014	पीलीभीत	उत्तर प्रदेश	602.7980	127.4518	730.2498
47	2014	बोर	महाराष्ट्र	138.12	678.15	816.27
48	2015	राजाजी	उत्तराखंड	819.54	255.63	1075.17
49	2016 (24.02.2016)	ओरंग	असम	79.28	413.18	492.46
50	2016 (08.09.2016)	कामलांग	अरुणाचल प्रदेश	671.00	112.00	783.00
51	2021 (08.02.2021)	श्रीविल्लीपुथुर मेगामलई	तमिलनाडु	641.86	374.71	1016.57
52	2022 (16.05.2022)	रामगढ़ विषधारी टाइगर	राजस्थान	481.9073	1019.9848	1501.5921
53	2022 (19.10.2022)	रानीपुर	उत्तर प्रदेश	230.31	299.0512	529.3612
		कुल		**41,499.37**	**34,297.46**	**75,796.83**

अध्याय - 9
अनुलग्नक

अनुलग्नक - i

भारत में स्थित टाइगर रिजर्वों की सूची

क्र.सं.	**टाइगर रिजर्व**	**राज्य**
1	नागार्जुन सागर श्रीसैलम	आंध्र प्रदेश
2	नामधापा	अरुणाचल प्रदेश
3	पाक्के	अरुणाचल प्रदेश
4	कामलांग	अरुणाचल प्रदेश
5	काजीरंगा	असम
6	मानस	असम
7	नामेरी	असम
8	ओरांग	असम
9	वाल्मीकि	बिहार
10	इंद्रावती	छत्तीसगढ़
11	अचानकमार	छत्तीसगढ़
12	उदांती सीतानदी	छत्तीसगढ़
13	पलामू	झारखंड
14	बांदीपुर	कर्नाटक
15	भद्रा	कर्नाटक
16	डंडेली अंशी	कर्नाटक
17	नागरहोल	कर्नाटक
18	बिलिगिरी रंगनाथ मंदिर	कर्नाटक
19	पेरियार	केरल
20	परमबीकुलम	केरल
21	बांधवगढ़	मध्य प्रदेश
22	कान्हा	मध्य प्रदेश
23	पन्ना	मध्य प्रदेश

24	पेंच	मध्य प्रदेश
25	संजय दुबरी	मध्य प्रदेश
26	सतपुड़ा	मध्य प्रदेश
27	पेंच	महाराष्ट्र
28	तदोबा-अंधेरी	महाराष्ट्र
29	सह्याद्री	महाराष्ट्र
30	नावेगांव - नागजीरा	महाराष्ट्र
31	बोर	महाराष्ट्र
32	मेलघाट	महाराष्ट्र
33	डमपा	मिजोरम
34	सतकोसिया	ओडिशा
35	सिमलीपाल	ओडिशा
36	रणथम्भोर	राजस्थान
37	सरिस्का	राजस्थान
38	मुकन्द्रा हिल्स	राजस्थान
39	रामगढ़ विषधारी	राजस्थान
40	कालाकाड - मुंडानथुरइ	तमिलनाडु
41	मुदुमलई	तमिलनाडु
42	अनामलाई	तमिलनाडु
43	सत्यमंगलम	तमिलनाडु
44	श्रीविल्लिपुथुर मेगामलाई	तमिलनाडु
45	कवल	तेलंगाना
46	अमराबाद	तेलंगाना
47	राजाजी	उत्तराखंड
48	कॉर्बेट	उत्तराखंड
49	दुधवा	उत्तर प्रदेश
50	पीलीभीत	उत्तर प्रदेश

51	रानीपुरु	उत्तर प्रदेश
52	बुक्सा	पश्चिम बंगाल
53	सुंदरबन	पश्चिम बंगाल

अनुलग्नक - II

व्याघ्रों की मौत (प्राकृतिक और अन्य कारण)

तिथि	**राज्य**	**स्थान**	**टाइगर रिजर्व**	**अंदर/ बाहर**
2 अप्रैल, 2022	मध्य प्रदेश	कम्पार्टमेंट नंबर 226, मोगरा बीट, पचमढ़ी ई रेंज	सतपुड़ा	अंदर
2 अप्रैल, 2022	केरल	थोलपेट्टी वन स्टेशन, थोलपेट्टी रेंज, वायनाड वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत बेगुर रिजर्व वन में ओन्नमपालम क्षेत्र	टीआर के बाहर	बाहर
3 अप्रैल, 2022	मध्य प्रदेश	कम्पार्टमेंट नंबर 430, चिखलबड्डी बीट, लालबर्रा रेंज, दक्षिण बालाघाट डिवीजन	टीआर के बाहर	बाहर
4 अप्रैल, 2022	महाराष्ट्र	उमरेड पौनी करहंडला वन्यजीव अभयारण्य	टीआर के बाहर	बाहर
9 अप्रैल, 2022	कर्नाटक	बैरागी बीट, बांदीपुर टाइगर रिजर्व में ओंकार रेंज	बांदीपुर	अंदर
10 अप्रैल, 2022	मध्य प्रदेश	मोगली अभयारण्य, पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी, मध्य प्रदेश	पेंच (म.प्र.)	अंदर
19 अप्रैल, 2022	राजस्थान	सरिस्का टाइगर रिजर्व	सरिस्का	अंदर
24 अप्रैल, 2022	मध्य प्रदेश	कम्पार्टमेंट नंबर पी 126, बरबसपुर सर्कल और बीट, धमोखर रेंज	बांधवगढ़	अंदर
26 अप्रैल, 2022	मध्य प्रदेश	आरएफ 109, ददरौदी बीट, धमोखर रेंज	बांधवगढ़	अंदर

29 अप्रैल, 2022	महाराष्ट्र	कॉम्प. नंबर: 592, बीट: चोरबाहुली, राउंड: चोरबाहुली , रेंज: चोरबाहुली	पेंच (महाराष्ट्र)	अंदर
30 अप्रैल, 2022	मध्य प्रदेश	आरएफ 276, राठीपुर बीट, राठीपुर सर्कल, उत्तर बैतूल डिवीजन	टीआर के बाहर	बाहर
10 मई, 2022	आंध्र प्रदेश	लोथू वागू क्षेत्र के पास, कम्पार्टमेंट नंबर 704, पीए पुरम, बैलुटी रेंज का उत्तरी क्षेत्र, आत्मकुर डब्ल्यूएलएम डिवीजन	एनएसटीआर	अंदर
12 मई, 2022	उतार प्रदेश	नवदिया कम्पार्टमेंट 78बी, नवदिया बीट, हरिपुर रेंज	पीलीभीत	अंदर
13 मई, 2022	राजस्थान	कुशालीपुरा, फलौदी, सवाई माधोपुर	रणथंभौर	अंदर
16 मई, 2022	कर्नाटक	सीपीटी-12/2, वजंकोल्ली हडलू, मुर्कल अनुभाग, परदाकड़ा बीट, कलहल्ला वन्यजीव रेंज	नागरहोल	अंदर
23 मई, 2022	महाराष्ट्र	कॉम्प. नंबर: 592, बीट: चोरबाहुली, राउंड: चोरबाहुली, रेंज: चोरबाहुली	टीआर के बाहर	बाहर
19 मई, 2022	ओडिशा	क्योंझर वन्यजीव प्रभाग, बुरिपदा	टीआर के बाहर	बाहर
24 मई, 2022	राजस्थान	खंडार रेंज, गोठबहरे गांव	रणथंभौर	अंदर
24 मई, 2022	उतार प्रदेश	कम्पार्टमेंट 4(बी), सदर बीट, कतर्नियाघाट रेंज, कतर्नियाघाट	दुधवा	बाहर

		वन्यजीव प्रभाग		
2 जून, 2022	मध्य प्रदेश	मजखेता, बीट ईस्ट मेनवा, कंप. क्रमांक 229	बांधवगढ़	अंदर
3 जून, 2022	मध्य प्रदेश	कामती रेंज की सुवरिया बीट (मड़ई)	टीआर के बाहर	बाहर
4 जून, 2022	कर्नाटक	नागरहोल वन्यजीव रेंज, गोनीगड्डे खंड, कुंथुर बीट, नागासरकेरे	नागरहोल	अंदर
4 जून, 2022	असम	बोचासिमोलु क्षेत्र, सोनीपुर	ओरंग	अंदर
4 जून, 2022	उत्तर प्रदेश	पूरनपुर रेंज, हरदोई शाखा, उत्तर प्रदेश	टीआर के बाहर	बाहर
5 जून, 2022	राजस्थान	रणथंभौर टाइगर रिजर्व, राजस्थान	रणथंभौर	अंदर
5 जून, 2022	छत्तीसगढ	सलगवा बीट, रामगढ़ रेंज, गुरु घासीदास न.प	टीआर के बाहर	बाहर
6 जून, 2022	मध्य प्रदेश	कान्हा टाइगर रिजर्व	कान्हा	अंदर
9 जून, 2022	मध्य प्रदेश	पन्ना कोर रेंज, रजबरिया बीट	पन्ना	अंदर
11 जून, 2022	महाराष्ट्र	कोरम्बी बीट, मोरेगांव रेंज, गोंदिया डिवीजन	टीआर के बाहर	बाहर
16 जून, 2022	मध्य प्रदेश	सीतापथोर, वारासिवनी रेंज, बालाघाट डिवीजन	टीआर के बाहर	बाहर
18 जून, 2022	कर्नाटक	बांदीपुर टाइगर रिजर्व में एन बेगुर रेंज	बांदीपुर	अंदर

20 जून, 2022	राजस्थान	सरिस्का टाइगर रिजर्व, राजस्थान	सरिस्का	अंदर
28 जून, 2022	महाराष्ट्र	पातुर नंदपुर बीट, अकोला रेंज, अकोला प्रादेशिक प्रभाग	टीआर के बाहर	बाहर
28 जून, 2022	कर्नाटक	कोडागु सर्कल, विराजपेटे प्रादेशिक प्रभाग, कर्नाटक	टीआर के बाहर	बाहर
2 जुलाई, 2022	मध्य प्रदेश	कान्हा टाइगर रिजर्व, मंडला कोर जोन	कान्हा	अंदर
4 जुलाई, 2022	मध्य प्रदेश	कम्पार्टमेंट-आरएफ 526, भदसापानी, बेली गांव, बेली बीट, पाली रेंज, उमरिया डिवीजन	टीआर के बाहर	बाहर
7 जुलाई, 2022	उत्तराखंड	हरिद्वार का लस्कर क्षेत्र	टीआर के बाहर	बाहर
7 जुलाई, 2022	उत्तराखंड	हरिद्वार का लस्कर क्षेत्र	टीआर के बाहर	बाहर
12 जुलाई, 2022	केरल	परंबियार खंड, परम्बिकुलम रेंज, वन्यजीव सर्कल, उत्तरी क्षेत्र	परम्बिकुलम	अंदर
15 जुलाई, 2022	मध्य प्रदेश	कम्पार्टमेंट-आरएफ 539, महामन बीट, खितौली	बांधवगढ़	अंदर
25 जुलाई, 2022	कर्नाटक	ब्रह्मगिरि वन्यजीव अभयारण्य, मदिकेरे वन्यजीव प्रभाग, कोडागु सर्कल	टीआर के बाहर	बाहर
30 जुलाई, 2022	कर्नाटक	अब्बुर बीट, चेन्नंगी खंड, अनेचौकुर वन्यजीव रेंज, नागरहोल टाइगर रिजर्व	नागरहोल	अंदर

1 अगस्त, 2022	उत्तराखंड	प्लॉट नंबर 13, पूर्वी चाँदनी बीट, बैल पड़ाव, कोटा बाग रोड और चाँदनी नेहर के बीच	टीआर के बाहर	बाहर
8 अगस्त, 2022	आंध्र प्रदेश	बुड्गुलवागु स्थान के पास, कंपार्टमेंट नंबर 659, वेलगोड (उत्तर) बीट, वेलगोड सेक्शन, वेलगोड रेंज	एनएसटीआर	अंदर
10 अगस्त, 2022	महाराष्ट्र	कंपार्टमेंट क्रमांक 160, रिजर्व फॉरेस्ट, राजपुरा रेंज, विहिरगांव राउंड, चनाखा बीट, सेंट्रल चंदा डिवीजन	टीआर के बाहर	बाहर
22 अगस्त, 2022	महाराष्ट्र	नवेगांव खैरी रिजवॉयर, कम्पार्टमेंट नंबर 556 आरएफ, बाजारकुंड बीट, चोरबहुली राउंड, पौनी रेंज	पेंच	अंदर
24 अगस्त, 2022	तमिलनाडु	अस्ककथी कुट्टई, थलामलाई आरएफ, बेलाथुर बीट, पनाहहल्ली खंड, जीराहल्ली रेंज, हसनूर डिवीजन	सत्यमंगलम	अंदर
16 सितंबर, 2022	मध्य प्रदेश	ट्रेजर सिनेमा के पीछे और विवेकानन्द स्कूल के पास, बैहर, जिला बालाघाट		बाहर
18 सितंबर, 2022	मध्य प्रदेश	आरएफ 332, दमना बीट, बथान राउंड, ताला रेंज	बांधवगढ़	अंदर
1 अक्तू., 2022	मध्य प्रदेश	सिवनी जिले का कोनापिंडराई	पेंच	अंदर

		गांव		
8 अक्तू., 2022	छत्तीसगढ	पटौद गांव, पटौद बीट, पुसवाड़ा राउंड, कांकेर रेंज, कांकेर जिला		बाहर
8 अक्तू., 2022	बिहार	ग्राम बलुआ, जिला पश्चिम चम्पारण		बाहर
11 अक्तू., 2022	उत्तराखंड	हरिद्वार का लस्कर क्षेत्र	कॉर्बेट	बाहर
16 अक्तू., 2022	केरल	थेक्कडी रेंज, ईस्ट डिवीजन, थेक्कडी, कोट्टायम सर्कल के मुल्लाक्कुडी खंड में सेनोयोरोडा	पेरियार	अंदर
17 अक्तू., 2022	छत्तीसगढ	सुरजपुर		बाहर
20 अक्तू., 2022	महाराष्ट्र	कंपार्टमेंट नंबर 439, बल्लारशाह रेंज, उमरी राउंड, सतारा कोमाटी बीट		बाहर
21 अक्तू., 2022	महाराष्ट्र	कंपार्टमेंट सं. 158, राजुरा रेंज, राजुरा राउंड, चनाखा बीट		बाहर
28 अक्तू., 2022	महाराष्ट्र	हिग्ना रेंज, नेरी-मांकर बीट		बाहर
5 नवंबर, 2022	मध्य प्रदेश	धमोखर रेंज, रायपुर राउंड, बदवार, बीट, कम्पार्टमेंट नंबर-आरएफ 97	बांधवगढ़	अंदर
12 नवंबर, 2022	कर्नाटक	अन्थानासंथे, नागरहोल टाइगर रिजर्व	नागरहोल	अंदर
14 नवंबर, 2022	उत्तराखंड	मार्चुला गांव, मंडल रेंज, कॉर्बेट	कॉर्बेट	अंदर

		टाइगर रिजर्व का बफर जोन		
24 नवंबर, 2022	मध्य प्रदेश	कम्पार्टमेंट सं. आरएफ 14, बोरपानी बीट, देहगांव वृत्त, गढ़ी रेंज, रायसेन वन प्रभाग		बाहर
21 नवंबर, 2022	तमिलनाडु	नागरकोइल, तमिलनाडु		बाहर
29 नवंबर, 2022	महाराष्ट्र	कंपार्टमेंट. क्रमांक 651, सुरेवानी बीट, सुरेवानी, राउंड, नागलवाड़ी रेंज	पेंच	अंदर
30 नवंबर, 2022	महाराष्ट्र	सर्वे नंबर 185, वासेरा बीट, शियोनी राउंड, शियोनी रेंज	टीएटीआर	अंदर
1 दिसंबर, 2022	असम	पूर्वी रेंज, अगोराटोली, काजीरंगा टाइगर रिजर्व, असम के सूबा एपीसी	काजीरंगा	अंदर
1 दिसंबर, 2022	महाराष्ट्र	कंपार्टमेंट नंबर 189, अगरज़ारी बीट, मोहरली रेंज	टीएटीआर	अंदर
3 दिसंबर, 2022	महाराष्ट्र	कम्पार्टमेंट नंबर 265 आरएफ, वासेरा बीट, शियोनी रेंज	टीएटीआर	अंदर
3 दिसंबर, 2022	महाराष्ट्र	कम्पार्टमेंट नंबर 265 आरएफ, वासेरा बीट, शियोनी रेंज	टीएटीआर	अंदर
3 दिसंबर, 2022	महाराष्ट्र	कम्पार्टमेंट नंबर 265 आरएफ, वासेरा बीट, शियोनी रेंज	टीएटीआर	अंदर
3 दिसंबर, 2022	महाराष्ट्र	कम्पार्टमेंट नंबर 265 आरएफ, वासेरा बीट, शियोनी रेंज	टीएटीआर	अंदर

4 दिसंबर, 2022	उत्तराखंड	तराई पूर्वी वन प्रभाग की सुरई रेंज		बाहर
7 दिसंबर, 2022	महाराष्ट्र	कंपार्टमेंट क्रमांक 643, हुमा बीट, नागभीड राउंड, ब्रम्हपुरी वन प्रभाग में नागभीड रेंज		बाहर
7 दिसंबर, 2022	मध्य प्रदेश	उत्तर पन्ना संभाग	पन्ना	अंदर
14 दिसंबर, 2022	ओडिशा	बारीपदा वन प्रभाग		बाहर
16 दिसंबर, 2022	तमिलनाडु	मुदुमलाई टाइगर रिजर्व	मुदुमलई	अंदर
18 दिसंबर, 2022	कर्नाटक	नानकेसराडिगा बीट, बारची रेंज, हलियाल डिवीजन		बाहर
18 दिसंबर, 2022	केरल	निर्मला शहर, कट्टापना , अय्यप्पनकोइल रेंज, कोट्टायम डिवीजन		बाहर
26 दिसंबर, 2022	मध्य प्रदेश	कंपार्टमेंट क्रमांक आरएफ-367/ गढ़पुरी बीट, गढ़पुरी गांव, खितौली रेंज	बांधवगढ़	अंदर
29 दिसंबर, 2022	मध्य प्रदेश	आरएफ 234, घुनघुटी रेंज, उमरिया डिवीजन		बाहर
31 दिसंबर, 2022	केरल	इरुलम स्टेशन का गांधीनगर क्षेत्र, चेडलेथ रेंज, दक्षिण वायनाड डिवीजन		बाहर
10 मार्च, 2022	कर्नाटक	नागरहोल टाइगर रिजर्व, कोडागु सर्कल	नागरहोल	अंदर

10 जून, 2022	कर्नाटक	नागरहोल टाइगर रिजर्व, हिरेहल्ली के पास, क्र सं. 315/2	नागरहोल	अंदर
27 नवंबर, 2022	कर्नाटक	नागरहोल टाइगर रिजर्व, अंतरासांठे वन्यजीव रेंज से तारे मारा के पास ताराका रिंग रोड	नागरहोल	अंदर
17 दिसंबर, 2022	कर्नाटक	बीट में कुरुबनकेरे (पानी की टंकी)।	बीआरटी	अंदर
2 जनवरी, 2023	मध्य प्रदेश	सुपखार रेंज, सुपखार सर्कल, जोकपानी बीट, सीएन 274	कान्हा	अंदर
3 जनवरी, 2023	महाराष्ट्र	मेंढकी बीट, उत्तरी ब्रह्मपुरी , ब्रह्मपुरी डिवीजन		बाहर
4 जनवरी, 2023	मध्य प्रदेश	कम्पार्टमेंट नंबर पी 521, वसुधा बीट, किशनगढ़ रेंज का पन्ना टाइगर रिजर्व बफर क्षेत्र	पन्ना	अंदर
9 जनवरी, 2023	कर्नाटक	हदनूर गांव क्षेत्र, बल्लुरुहुंडी बीट, मैसूरु प्रादेशिक वन प्रभाग		बाहर
10 जनवरी, 2023	राजस्थान	सवाई माधोपुर	रणथंभौर	अंदर
11 जनवरी, 2023	मध्य प्रदेश	कंपार्टमेंट नंबर 194 की सीमा के पास, दरसी बीट, रुखड़, दक्षिण सिवनी		बाहर
12 जनवरी, 2023	महाराष्ट्र	कोडु तलाव, सर्वे नंबर 81, सलाई मौजा, रामटेक तहसील, सिल्लारी बीट, पौनी राउंड, पौनी	पेंच	अंदर

		रेंज		
12 जनवरी, 2023	मध्य प्रदेश	तवा (बफर) रेंज	सतपुड़ा	अंदर
13 जनवरी, 2023	महाराष्ट्र	वन्यजीव बचाव केंद्र, गोरेवाड़ा		बाहर
15 जनवरी, 2023	महाराष्ट्र	कम्पार्टमेंट नंबर 210, भद्रावती बीट, राउंड और रेंज, चंद्रपुर डिवीजन		बाहर
23 जनवरी, 2023	उत्तराखंड	ढेला पूर्वी बीट, ढेला रेंज, कंपार्टमेंट नंबर 8	कॉर्बेट	अंदर
24 जनवरी, 2023	मध्य प्रदेश	सरही रेज, कम्पार्टमेंट 647	कान्हा	अंदर
24 जनवरी, 2023	उत्तराखंड	कम्पार्टमेंट नंबर 2सी, चकलुआ बीट, कालादुंगी रेंज, पश्चिमी सर्कल, नैनीताल		बाहर
24 जनवरी, 2023	मध्य प्रदेश	कंपार्टमेंट . क्रमांक 251 बीट घोरा रेंज, शहडोल संभाग		बाहर
28 जनवरी, 2023	महाराष्ट्र	पांढरकावड़ा प्रादेशिक प्रभाग		बाहर
31 जनवरी, 2023	राजस्थान	सवाई माधोपुर	रणथंभौर	अंदर
31 जनवरी, 2023	मध्य प्रदेश	मंडला रेंज, जागीर बीट	पन्ना	अंदर
1 फरवरी, 2023	केरल	मुत्तिल सेक्शन, मेप्पाडी रेंज, दक्षिण वायनाड वन प्रभाग, कन्नूर		बाहर
2 फरवरी, 2023	असम	घंडारमारी भाबापुर के पास बील ओरंग टीआर का अवैध शिकार	ओरंग	अंदर

		रोधी शिविर		
3 फरवरी, 2023	मध्य प्रदेश	कोर जोन की कान्हा रेंज	कान्हा	अंदर
4 फरवरी, 2023	मध्य प्रदेश	रेंज घुघुती, बीट- बलवई, उमरिया डिवीजन		बाहर
4 फरवरी, 2023	उत्तराखंड	कम्पार्टमेंट नंबर 5, कटगोदाम हैड़ाखान बीट, फ़तेहपुर रेंज, पश्चिमी वृत्त, नैनीताल		बाहर
6 फरवरी, 2023	महाराष्ट्र	सेंट्रल चंदा डिविजन (प्रादेशिक) सर्वे नंबर 316, पोनभुर्णा रेंज		बाहर
6 फरवरी, 2023	उत्तराखंड	पनियाली गांव के पास , फ़तेहपुर रेंज, रामनगर वन प्रभाग		बाहर
7 फरवरी, 2023	कर्नाटक	कुंडुकेरे रेंज, केब्बेपुरा गांव, यालाचेट्टी खंड, लोककेरे बीट		बाहर
8 फरवरी, 2023	राजस्थान	कुंडेरा रेंज, लकरदा बीट	रणथंभौर	अंदर
9 फरवरी, 2023	बिहार	वाल्मिकीनगर रेंज, गांव- रामपुरवा, पंचायत - रामपुरवा, ब्लॉक-बगहा-02, सब डिवीजन-बगहा, जिला-पश्चिम चंपारण		बाहर
11 फरवरी, 2023	महाराष्ट्र	पोथारा नदी तट, चंद्रपुर - वर्धा बॉर्डर, रेंज - वरोरा, राउंड - तेम्बुर्दा, बीट - अजनगांव		बाहर
14 फरवरी, 2023	कर्नाटक	चिक्काहेगेहल्ली सीमा के भीतर, तुमकुर डिवीजन में गुब्बी रेंज के अंकासांद्रा राज्य वन से 100		बाहर

		मीटर दूर		
15 फरवरी, 2023	असम	फेरेंगादाओ शिविर क्षेत्र, सेंट्रल रेंज, बिश्वनाथ वन्यजीव प्रभाग	काजीरंगा	अंदर
15 फरवरी, 2023	उत्तराखंड	कोसी रेंज, चांदनी बीट, रामनगर		बाहर
17 फरवरी, 2023	उत्तर प्रदेश	भारत-नेपाल सीमा तराई पूर्वी वन प्रभाग के निकट खटीमा रेंज के नगरा बीट का कम्पार्टमेंट नंबर 4		बाहर
19 फरवरी, 2023	तमिलनाडु	अरासुर गांव, सत्यमंगलम रेंज, सत्यमंगलम डिवीजन	सत्यमंगलम	अंदर
25 फरवरी, 2023	असम	ढाबा, ढोला के पास सदिया ब्रिज, तिनसुकिया		बाहर
26 फरवरी, 2023	केरल	दक्षिण वायनाड वन प्रभाग, उत्तरी सर्कल, कन्नूर		बाहर
26 फरवरी, 2023	महाराष्ट्र	कंपार्टमेंट . नंबर - 378, निम्बाला बीट, घंटाचौकी राउंड, चंद्रपुर रेंज	टीएटीआर	अंदर
26 फरवरी, 2023	उत्तराखंड	तराई, पश्चिम प्रभाग के अंतर्गत फैंटो के पास		बाहर
1 मार्च, 2023	उत्तराखंड	गर्खरक ब्लॉक सीएन 3 चकता रेंज, हलद्वानी वन प्रभाग		बाहर

2 मार्च, 2023	मध्य प्रदेश	डोभा आरएफ 374, गढ़पुरी गांव, गढ़पुरी बीट, खितौली रेंज से सटी राजस्व भूमि	बांधवगढ़	अंदर
4 मार्च, 2023	असम	ख्विरवगुरु गाँव, पनबारी, चिरांग जिला		बाहर
5 मार्च, 2023	महाराष्ट्र	कम्पार्टमेंट संख्या 386, वारवेट राउंड, वारवेट बीट, चंद्रपुर रेंज (बफर क्षेत्र)	टीएटीआर	अंदर
12 मार्च, 2023	मध्य प्रदेश	कंपार्टमेंट के पास राजस्व भूमि आरएफ 386	संजय - दुबरी	अंदर
20 मार्च, 2023	कर्नाटक	मस्तिगुड़ी बीट, कुंबलगोल्ली क्षेत्र	नागरहोल	अंदर
22 मार्च, 2023	मध्य प्रदेश	कम्पार्टमेंट नंबर 188, मुक्की बीट, मुक्की सर्कल, मुक्की रेंज	कान्हा	अंदर
24 मार्च, 2023	तमिलनाडु	पायकारा बांध जलाशय बैक वाटर, मुकुरुथी झील आरएफ, पायकारा बीट, पायकारा खंड, नीलगिरी वन प्रभाग की पायकारा रेंज		बाहर
24 मार्च, 2023	महाराष्ट्र	कम्पार्टमेंट नंबर 163, डोंगरगांव बीट, ढाबा राउंड, ढाबा रंग, सेंट्रल चंदा डिवीजन, चंद्रपुर सर्कल		बाहर
25 मार्च, 2023	महाराष्ट्र	कंपार्टमेंट नंबर 161, रेंज ढाबा, राउंड ढाबा, बीट डोंगरगांव		बाहर
26 मार्च, 2023	महाराष्ट्र	कम्पार्टमेंट नंबर 180, परसोडी बीट, चंद्रपुर राउंड, कोका रेंज, कोका वन्यजीव अभयारण्य	एनएनटीआर	अंदर
30 मार्च, 2023	मध्य प्रदेश	कान्हा टाइगर रिजर्व, मंडला	कान्हा	अंदर

अनुलग्नक - III - सीएसएस - व्याघ्र परियोजना : वर्ष 2022-23 के लिए संस्वीकृति विवरण

टाइगर रिजर्ववार संस्वीकृतियों का विवरण

क्र.सं.	**टाइगर रिजर्व**	**राज्य**	**वर्ष 2022-23 के दौरान निर्मोचन (लाख रु. में)**
1.	नागार्जुनसागर	आंध्र प्रदेश	00.00
2.	कामलांग	अरुणाचल प्रदेश	**182.43750**
3.	पाक्के	अरुणाचल प्रदेश	**379.99500**
4.	नमदाफा	अरुणाचल प्रदेश	**224.76000**
5.	ओरंग	असम	**350.10000**
6.	मानस	असम	**778.54000**
7.	नामेरी	असम	**216.23000**
8.	काजीरंगा	असम	**1214.90550**
9.	वाल्मीकि	बिहार	**246.90000**
10.	इंद्रावती	छत्तीसगढ़	**34.24000**
11.	अचानकमार	छत्तीसगढ़	**131.51000**
12.	उदांति - सीतानदी	छत्तीसगढ़	**0.00000**
13.	पलामू	झारखंड	**227.75000**
14.	काली (डंडेली आंशी)	कर्नाटक	**255.28000**
15.	नागरहोल	कर्नाटक	**311.87250**
16.	भद्रा	कर्नाटक	**220.35500**
17.	बांदीपुर	कर्नाटक	**722.33500** *
18.	बीआरटी	कर्नाटक	**207.07500**
19.	पेरियार	केरल	**237.86500**
20.	परम्बिकुलम	केरल	**179.72750**
21.	पेंच	मध्य प्रदेश	**866.24000**
22.	पन्ना	मध्य प्रदेश	**451.82750**
23.	बांधवगढ़	मध्य प्रदेश	**494.19000**
24.	कान्हा	मध्य प्रदेश	**993.36000**
25.	संजय दुबरी	मध्य प्रदेश	**203.53400**
26.	सतपुड़ा	मध्य प्रदेश	**649.14000**
27.	कुनो नेशनल पार्क	मध्य प्रदेश	**298.58500**
28.	मेलघाट	महाराष्ट्र	**175.66250**

29.	बोर	महाराष्ट्र	**78.05250**
30.	नवेगांव - नागजीरा	महाराष्ट्र	**190.07000**
31.	तदोबा - अंधारी	महाराष्ट्र	**204.49025**
32.	पेंच	महाराष्ट्र	**161.34750**
33.	सह्याद्री	महाराष्ट्र	**0.00000**
34.	डमपा	मिजोरम	**78.75000**
35.	सतकोसिया	ओडिशा	**287.00000**
36.	सिमलीपाल	ओडिशा	**659.82000**
37.	रणथंभौर	राजस्थान	**266.77000**
*** प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरा होने स्मरणोत्सव के लिए जारी की गयी 300.00 लाख रुपए की धनराशि सहित**			
38.	सरिस्का	राजस्थान	**160.16500**
39.	मुकुंदरा हिल्स	राजस्थान	**87.54750**
40.	रामगढ़ विषधारी	राजस्थान	**15.30000**
41.	कलक्कड़ - मुदुंथुरई	तमिलनाडु	**62.37000**
42.	मुदुमलई	तमिलनाडु	**145.59600**
43.	अनामलाई	तमिलनाडु	**89.40010**
44.	सत्यमंगलम	तमिलनाडु	**131.46750**
45.	श्रीविल्लीपुथुर - मेगामलई	तमिलनाडु	**72.52000**
46.	कवल	तेलंगाना	**0.00000**
47.	अमराबाद	तेलंगाना	**0.00000**
48.	राजाजी	उत्तराखंड	**162.64010**
49.	कॉर्बेट	उत्तराखंड	**578.49000**
50.	दुधवा	उत्तर प्रदेश	**620.29190**
51	पीलीभीत	उत्तर प्रदेश	**275.26000**
52	रानीपुर	उत्तर प्रदेश	**24.40450**
53	बुक्सा	पश्चिम बंगाल	**98.98500**
54	सुंदरबन	पश्चिम बंगाल	**359.78500**
	कुल		**15064.93985**

संस्वीकृतियों का राज्यवार विवरण

क्र. सं.	**राज्य**	**निर्मोचित राशि (लाख रु. में)**
1.	आंध्र प्रदेश	0.00000
2.	अरुणाचल प्रदेश	787.19250
3.	असम	2559.77550
4.	बिहार	246.90000
5.	छत्तीसगढ़	165.75000
6.	झारखंड	227.75000
7.	कर्नाटक	1716.91750*
8.	केरल	417.59250
9.	मध्य प्रदेश	3956.87650
10.	महाराष्ट्र	809.62275
11.	मिजोरम	78.75000
12.	ओडिशा	946.82000
13.	राजस्थान	529.78250
14.	तमिलनाडु	501.35360
15.	तेलंगाना	0.00000
16.	उत्तराखंड	741.13010
17.	उत्तर प्रदेश	919.95640
18.	पश्चिम बंगाल	458.7700
कुल		**15,064.93985**

*. प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के स्मरणोत्सव हेतु जारी की गयी 300.00 लाख रुपये की धनराशि सहित

अनुलग्नक IV - वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए योजना व्यय (दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	बजट शीर्ष	बीई 2022-23	आरई 2022-23	व्यय	आरई की तुलना में प्रतिशत व्यय (करोड़ रु. में)
	प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम				
1.	3601.06.101.02.01.31 (राज्य सरकारों को सहायता) सामान्य अनुदान सहायता	190.50	84.50	78.65	93%
2.	3601.06.796.02.01.31 (राज्य सरकारों को सहायता) जनजाति उप योजना (**टीएसपी**), सामान्य अनुदान सहायता	43.00	30.00	30.00	100%
3.	3601.06.789.02.01.31 (राज्य सरकारों को सहायता) अनुसूचित जाति उप योजना (**एससीएसपी**), सामान्य अनुदान सहायता	33.00	18.00	18.00	100%
4.	2552.00.114.06.03.31 (पूर्वोत्तर क्षेत्र को सहायता) सामान्य अनुदान सहायता	32.00	24.00	24.00	100%
*5	2406.02.110.15.03	1.50	1.50	1.32	88%
	कुल	300.00	158.00	151.97	96%
	राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (विस्तृत शीर्ष)				
(क)	17.03.31 अनुदान सहायता सामान्य	8.50	8.50	8.50	100 %
(ख)	17.03.36 अनुदान सहायता वेतन (0.17 करोड़ रुपए की अव्ययित शेष का पुनर्वैधीकरण)	1.50 .17	1.50 .17	1.58	95 %
	कुल	**10.17**	**10.17**	**10.08**	**99 %**

अन्य निधियां

क्र.सं.	निधि का विवरण	वर्ष 2022-23 के दौरान निर्मोचित निधियां (करोड़ रुपए में)	वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय (करोड़ रुपए में)	उपयोग की गयी निधि का प्रतिशत
1	सीएएमपीए	41.79	31.61	76%
2	स्वच्छ भारत	0.90	0.90	100%
3	कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधि	20.74	9.99	48%

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(राशि रुपए में)

समग्र/पूंजीगत निधि एवं देयताएं	**अनुसूची**	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
कॉरपस / पूंजीगत निधि	1	13,34,33,050.26	3,12,89,948.00
आरक्षिति एवं अधिशेष	2	-	-
उद्दिष्ट / स्थायी निधि	3	-	-
जमानती ऋण एवं उधार	4	-	-
गैर-जमानती ऋण एवं उधार	5	-	-
आस्थगित क्रेडिट देयताएं	6	-	-
चालू देयताएं एवं उपबंध	7	11,14,92,336.28	48,67,885.10
कुल		**24,49,25,386.54**	**3,61,57,833.10**
आस्तियां			
अचल आस्तियां	8	2,89,44,305.00	3,13,35,757.00
उद्दिष्ट एवं स्थायी निधियों से निवेश	9	-	-
निवेश-अन्य	10	-	-
चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	21,59,81,081.54	48,22,076.10
विविध व्यय (बट्टे खाते या समायोजित न करने की सीमा तक)		-	-
कुल		**24,49,25,386.54**	**3,61,57,833.10**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं संबंधी टिप्पणियां	25		

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष की आय एवं व्यय लेखा

(राशि रुपए में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
			-
बिक्री / सेवाओं से आय	12		
अनुदान/सहायता	13	52,85,77,775.00	10,00,00,000.00
शुल्क/अभिदान	14	-	-
निवेशों से आय (उद्दिष्ट / स्थायी निधियों से निवेश पर आय/ निधियां, निधियों मे अंतरित)	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	19,27,831.00	3,84,393.00
अन्य आय	18	4,640.00	-
तैयार माल और डब्ल्यूआईपी के भण्डार में वृद्धि (कमी)	19		
कुल (क)		530510246.00	100384393.00
व्यय			
स्थापना व्यय	20	2,96,58,377.00	2,94,69,767.00
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	129,086,637.84	1,82,86,665.10
अनुदान, सब्सिजी आदि पर व्यय	22	26,34,17,600.00	90,77,000.00
ब्याज (सरकारी खाते में संप्रेषित)	23	19,27,831.00	3,84,393.00
सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क के लिए प्रावधान	7	1,00,000.00	
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में निवल योग - अनुसूची - 8)	8	40,84,759.00	45,57,974.00
कुल (ख)		**428275204.84**	**101775799.10**
व्यय से अधिक आय (क - ख)		10,22,35,041.16	13,91,406.10
पूर्व अवधि समायोजन (निवल)		91,938.90	12,36,557.00
शेष राशि को कॉरपस/पूंजीगत निधि में अग्रेणित		10,21,43,102.26	-
घाटे की शेष राशि को कॉरपस/पूंजीगत निधि में अग्रेणित			26,27,963.10
विशेष आरक्षित निधि में अंतरित			
सामान्य आरक्षित निधि में/से अंतरित			
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं संबंधी टिप्पणियां	25		

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

दिनांक **31.03.2023 को समाप्त अवधि/वर्ष की प्राप्तियां एवं भुगतान**

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
I. प्रारंभिक रोकड़	.	.	**1. व्यय**		
(क) रोकड़ शेष	25,000.00	25,000.00	(क) स्थापना व्यय (अनुसूची 20 के अनुसार)	2,96,58,377.00	2,94,69,767.00
पेशगी	150,000.00	150,000.00	(वर्ष की शुरूआत मे बकाया - वर्ष के अंत में बकाया)	4,90,724.00	-7,35,820.00
(ख) बैंक शेष					
i) चालू खातों में जमा			(ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21 के अनुसार)	12,45,25,615.74	1,09,43,014.00
ii) जमा खातों में	-	-	(वर्ष की शुरूआत में बकाया - वर्ष के अंत में बकाया)	-1,87,945.00	-1,24,422.00
iii) बचत खातों में	17,63,914.10	14,61,483.10	;ग) संस्थानों/संगठनों को अनुदान सहायता (अनुसूची 22 के अनुरूप)	26,34,17,600.00	4,90,77,000.00
II. प्राप्त अनुदान			(वर्ष की शुरूआत में संदेय - वर्ष के अंत में संदेय)	.	.
(क) भारत सरकार से	52,69,05,637.00	9,86,26,121.00	II. विभिन्न परियोजना की निधियों के सापेक्ष भुगतान	..	.
(ख) राज्य सरकार से	-	-	(निधि या परियोजना का नाम प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के विवरण के साथ दर्शाया जाना चाहिए)	.	.
(ग) अन्य स्रोतों से (विवरण सहित) सीएसआर	20,74,30,961.00 -	-	i) शोध परियोजनाएं (सीएसआर)		
(पूंजी के लिए अनुदान	-	-	ii) प्रशिक्षण,	43,82,522.00 -	55,41,814.00 -

एवं राजस्व व्यय, अलग अलग से दर्शाया जाए)			कार्यशाला, सम्मेलन		

III. निवेश से आय	-	-	**III. किए गए निवेश एवं जमा**	-	-
(क) उद्दिष्ट / वृर्तिदान निधियां	-	-	(क) उद्दिष्ट / वृर्तिदान निधियों में से	-	-
(ख) स्व-निधियों से (अन्य निवेश)	-	-	(ख) स्व-निधियों में से (अन्य निवेश)	-	-
IV. प्राप्त ब्याज			**IV. अचल आस्तियों तथा चालू पूंजीगत कार्यों पर व्यय**		
(क) बैंक जमा से	19,27,831.00	3,84,393.00	(क) अचल आस्तियों की खरीद	7,89,033.00	20,76,043.00
(ख) ऋण, अग्रिम आदि से	-	-	(ख) चालू पूंजीगत कार्य पर व्यय (सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है)	9,96,213.00	-
V. अन्य आय (निर्दिष्ट करें)	-	-	**V. अधिशेष राशि/ऋण की चुकौती**	-	-
बैंक प्रभारों की चुकौती	-	-	(क) भारत सरकार को	-	-
पिछले वर्ष एस0ओ0 (एनटीसीए) को किए गए अतिरिक्त भुगतान की चुकौती	-	-	(ख) राज्य सरकार को		
			(ग) अन्य निधि प्रदाताओं को		
VI. **उधार ली गई राशि**			**VI. वित्तीय प्रभार(ब्याज)**	**18,86,742.00**	**3,80,221.00**
VII. **कोई अन्य प्राप्तियों (उल्लेख करें)**	-		**VII. अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)**		
(क) विविध प्राप्तियां	-	-	(क) टीडीएस का भुगतान		
(ख) स्कूटर अग्रिम पर ब्याज	-	-	(ख) प्रतिभूति जमा/ अवमुक्त / संप्रेषित		3,794.00
(ग) प्रतिभूति जमा	-	-	(ग) समायोज्य राशि (अन्य विभागों		383,687.00

			द्वारा)		
(घ) अग्रिम की वसूली	70,52,838.00	49,59,320.00 -	(घ) नकद वसूली योग्य अग्रिम अथवा वसूली मूल्य	88,62,440.00	66,46,305.00
(ङ) टीडीएस की वसूली	-	-	(ङ) स्टाफ को अग्रिम राशि	..	.
(च) स्टाफ कार वसूली	.	.	(च) अन्य विभाग को भुगतान ((भुगतान बिलों से वसूलियां)	-	-
(छ) लाईसेंस शुल्क			(छ)-बैंक प्रभार	-	-
(ज) वेतन बिलों से वसूली, अन्य विभागों से समायोज्य			(ज) पेशगी अग्रिम की कमी		
(झ) आस्तियों की बिक्री से आय		56,111.00 -	(झ) विप्रेषण (परिसंपत्तियों और पुरानी वस्तुओं/मदों/विविध प्राप्तियों की बिक्री राशि)	4,640.00	62,111.00
(ञ) प्रतिदाय की गई जीआईए	..	.	(ञ) सीएसआर निधि निर्मोचन/व्यय	9,99,00,116.82	-
(ट) पिछले वर्ष किए गए छुट्टी वेतन एवं पेंशन अंशदान का वापिस प्राप्त होना			**VIII. अंतिम शेष**		
			(क) उपलब्ध नकद	25,000.00	25,000.00
			पेशगी	1,50,000.00	1,50,000.00
			(ख) बैंक शेष		
			(i) चालू खातों में		
			(ii) जमा खातों में	-	-
			(iii) बचत खातों में	21,03,59,742.54	17,63,914.10
कुल	**74,52,60,821,10**	**10,56,62,428.10**	**कुल**	**74,52,60,821.10**	**10,56,62,428.10**

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची **1 -** कॉरपस/पूंजीगत निधि

		(राशि रुपए में)
अनुसूची 1 - **समग्र / पूंजीगत निधि :**	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	3,12,89,948.00	3,39,17,911.10
जोड़ें/घटाएं : निबल आय की शेष राशि (व्यय) जिसे आय और व्यय लेखा से अंतरित किया गया है	10,21,43,102.26	-26,27,963.10
वर्षान्त में शेष राशि	**13,34,33,050.26**	**31,289,948.00**

				(राशि रुपये में)
अनुसूची 2 - आरक्षिति और अधिशेष	**चालू वर्ष**		**पिछले वर्ष**	
1. पूंजी आरक्षित निधि :				
अंतिम लेखा के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	-	-	-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-	-	-
2. पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति निधि :				
अंतिम लेखा के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	-	-	-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-	-	-
3. **विशेष आरक्षित निधि** :				
अंतिम लेखा के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	-	-	-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	(-)	-	(-)	-
4. **सामान्य आरक्षित निधि** :				
अंतिम लेखा के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	-	-	-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	(-)	-	(-)	-
कुल		-		-

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 3 - उद्दिष्ट / स्थायी निधियां

(राशि रु. में)

अनुसूची - 3 - उद्दिष्ट / स्थायी निधियां	**निधिवार अलग अलग विवरण**				**कुल**	
	निधि कक	**निधि खख**	**निधि गग**	**निधि घघ**	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
क) निधियों का प्रारंभिक शेष						
ख) निधियों में परिवर्द्धन	.	.	.	.	.	.
i) दान / अनुदान	.	.	.	.	.	.
ii) निधियों की राशि से किए गए निवेश से प्राप्त आय	.	.	.	.	.	.
iii) अन्य जोड़ (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	.	.	.	.	.	.
कुल (क+ख)	.	.	.	.	.	.
ग) निधियों के प्रयोजन के मद में उपयोग / व्यय	.	.	.	.	.	.
i) पूंजीगत व्यय	.	.	.	.	.	.
- अचल आस्तियां	.	.	.	.	.	.
- अन्य	.	.	.	.	.	.
कुल	.	.	.	.	.	.
ii) राजस्व व्यय						
- वेतन, मजदूरी और भत्ता इत्यादि						
- किराया	.	.	.	.	.	.
- अन्य प्रशासनिक व्यय	.	.	.	.	.	.
कुल	.	.	.	.	.	.
कुल (ग)	.	.	.	.	.	.
वर्ष के अंत में निवल शेष (क + ख + ग)	.	.	.	.	शून्य	शून्य

टिप्पणी :

(1) अनुदान से संबद्ध शर्तों के आधार पर संबंधित शीर्षों के अंतर्गत किए गए प्रकटन

(2) केंद्र / राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियां पृथक निधि के रूप में दर्शाया जाना चाहिए और इसे किसी अन्य निधि में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 4 - प्रतिभूत ऋण और उधार

(राशि रु. में)

क. प्रतिभूत ऋण और उधार :	**चालू वर्ष**		**पिछले वर्ष**	
अनुसूची - 4 - प्रतिभूत ऋण और उधार :				
1. केन्द्र सरकार	.	.	.	.
2. राज्य सरकार (नाम बताएं)	.	.	.	.
3. वित्तीय संस्थाएं	.	.	.	.
क) सावधि ऋण	.	.	.	.
ख) प्रोद्भूत ब्याज और देय	.	.	.	.
4. बैंक **:**	.	.	.	.
क) सावधि ऋण	.	.	.	.
- प्रोद्भूत ब्याज और देय	.	.	.	.
ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)	.	.	.	.
- प्रोद्भूत ब्याज और देय	.	.	.	.
5. अन्य संस्थाएं और एजेंसियां	.	.	.	.
6. ऋण पत्र और बंध पत्र	.	.	.	.
7. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	.	.	.	.
कुल		**-**	.	**-**
<u>टिप्पणी :</u> एक वर्ष के अंदर देय राशि				

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 5 - अप्रतिभूत ऋण और उधार

(राशि रुपए में)

अनुसूची 5 - अप्रतिभूत ऋण और उधार :	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
1. केन्द्र सरकार	·	·
2. राज्य सरकार (नाम बताएं)	·	·
3. वित्तीय संस्थाएं	·	·
4. बैंक :	·	·
क) सावधि ऋण	·	·
ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)	·	·
5. अन्य संस्थाएं और एजेंसियां	·	·
6. ऋण पत्र और बंध पत्र	·	·
7. मियादी जमा	·	·
8. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	·	·
कुल		
टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि		

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 6 - आस्थगित ऋण देयताएं

(राशि रुपए में)

अनुसूची 6 - आस्थगित ऋण देयताएं	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
क) पूंजीगत उपस्कर और अन्य आस्तियों के बंधक से प्रत्याभूत स्वीकृतियां	-	-
ख) अन्य	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 7 - चालू देयताएं एवं प्रावधान

(राशि रुपये में)

क. चालू देयताएं	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. स्वीकृतियां	-.	-.
2. विविध उधारकर्ता:	-.	-.
क) वस्तुओं के लिए	-.	-.
ख) अन्य	-.	-.
3. प्राप्त अग्रिम	-.	-.
4. प्रोदभूत ब्याज जो देय नहीं है	-.	-.
क) प्रतिभूत ऋण/उधार	-.	-.
ख) अप्रतिभूत ऋण/उधार	-.	-.
5. सांविधिक देयताएं	-.	-.
क) अतिदेय	-.	-.
ख) अन्य	-.	-.
6. अन्य चालू देयताएं	-.	-.
क) मंत्रालय को लौटाए जाने वाला अव्ययित सहायता अनुदान	9,26,154.10	16,72,138.10
ख) मंत्रालय को लौटाया जाने वाला ब्याज	1,32,865.00	91,776.00
ग) लौटाई जाने वाली प्रतिभूति	-	-
घ) छुट्टी वेतन एवं पेंशन अंशदान संदेय	3,29,100.00	3,05,351.00
ङ) वेतन एवं मजदूरी संदेय	20,36,823.00	25,51,296.00
च) अन्य (संदेय व्यय)	3,35,269.00	1,47,324.00
छ) टीडीएस संदेय	1,281.00	-
ज) कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधि	10,75,30,844.18	-
कुल (क)	**11,12,92,336.28**	**47,67,885.10**
ख. प्रावधान :		
1. कराधान के लिए	-.	-.
2. उपदान	-.	-.
3. अधिवर्षिता/पेंशन	-.	-.
4. संचित अवकाश नकदीकरण	-.	-.
5. ट्रेड वारंटी / दावे	-	-
6. अन्य (सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क)		
कुल (ख)	2,00,000.00	1,00,000.00
कुल योग (क + ख)	**11,14,92,336.28-**	**48,67,885.10**

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 8 - अचल आस्तियां

(राशि रु. में)

विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास						निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में लागत/मूल्य (क)	वर्ष के दौरान संवर्धन (ख) 1.4.2022-30.9.2022	वर्ष के दौरान संवर्धन (ख) 1.10.2022-31.3.2023	वर्ष के दौरान कटौतियां (ग)	वर्षान्त में लागत/मूल्य (घ)	मूल्यह्रास दर % (ङ)	वर्ष के आरंभ में (च)	निम्न के दौरान संवर्धन(छ) 1.4.2022-30.9.2022	निम्न के दौरान संवर्धन(छ) 1.10.2022-31.3.2023	वर्ष के दौरान कटौतियां (ज)	वर्षान्त तक कुल योग (झ)	चालू वर्ष के अंत में (घ-च-छ)	पिछले वर्ष के अंत में
मूर्त आस्तियां													
भवन	1,51,71,278	-	-	-	1,51,71,278	10%	15,17,128	-	-	-	15,17,128	1,36,54,150	1,51,71,278
फर्नीचर, फिक्सचर	18,19,761	1,393	4,62,520	-	22,80,888	10%	1,81,976	(139)	23,126	-	2,04,963	20,75,925	18,19,761
वाहन	19,54,198	-	-	-	19,54,198	15%	3,44,858	-	-	-	3,44,858	16,09,340	19,54,198
सचल एवं संवहन उपकरण	1,44,915	(1,864)	-	-	1,43,051	15%	21,737	(280)	-	-	21,457	1,21594	1,44,915
कार्यालय उपकरण	19,72,735	11,111	-	-	19,83,846	15%	2,95,910	1,667	-	-	28,818	16,86,269	19,72,735
निगरानी प्रणाली	73,27,654	-	-	-	73,27,654	15%	10,99,148	-	-	-	10,99,148	62,28,506	73,27,654
कंप्यूटर/पेरीफेरल	11,20,247	(90,998)	2,80,303	-	13,09,552	40%	4,48,099	(36,399)	56,061	-	4,67,761	8,41,791	11,20,247
लाईब्रेरी पुस्तकें	9,911	-	-	-	9,911	40%	3,964	-	-	-	3,964	5,947	9,911
वैज्ञानिक/ तकनीकी उपकरण	50,629	-	-	-	50,629	15%	7,594	-	-	-	7,594	43,035	50,629
अमूर्त आस्तियां													
वेबसाइट	6,65,853	-	-	-	6,65,853	25%	1,66,463	-	-	-	1,66,463	4,99,390	6,65,853
-कंप्यूटर	-	7,175	30,240	-	37,415	25%	-	1,794	3,780	-	5,574	31,841	

सॉफ्टवेयर													
कुल	**3,02,37,181**	**(75,969)**	7,73,063	-	**3,09,34,275**		**40,86,877**	**(33,357)**	**82,967**	-	**41,36,487**	**2,67,97,788**	**3,02,37,181**
सॉफ्टवेयर (विकास अधीन)/ निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य	10,98,576	-	9,96,213		20,94,789	0%	-	-	-	-	-	20,94,789	10,98,576
चालू वर्ष का कुल योग	**3,13,35,757**	**(75,969)**	**17,69,276**	-	**3,30,29,064**		**40,86,877**	**(33,357)**	**82,967**	-	**41,36,487**	**2,88,92,577**	**3,13,35,757**

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 9 - उद्दिष्ट/स्थायी निधियों से निवेश

(राशि रुपए में)

उद्दिष्ट/स्थायी निधियों से निवेश	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-	-
3. शेयर	-	-
4. ऋणपत्र और बंधपत्र	-	-
5. समनुषंगी कंपनियां और संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	**-**	**-**

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 10 - अन्य निवेश

(राशि रु. में)

अन्य निवेश	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-	-
3. शेयर	-	-
4. ऋणपत्र और बंधपत्र	-	-
5. समनुषंगी और संयुक्त उद्‌यम	-	-
6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	**-**	**-**

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 11 - चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

(राशि रु. में)

क. - **चालू आस्तियां :**	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
1. सामान सूची :	-	-
क) स्टोर्स तथा अतिरिक्त पुर्जे	7,52,294.00	-
ख) खुले औजार	-	-
ग) स्टॉक इन ट्रेड	-	-
तैयार वस्तुएं	-	-
चालू कार्य	-	-
कच्चा माल	-	-
2. विविध कर्जदार :	-	-
क) 6 महीने से ज्यादा अवधि के लिए बकाया ऋण	-	-
ख) अन्य	-	-
3. उपलब्ध नकद (चैक/ड्राफ्ट तथा पेशगी सहित)	-	-
उपलब्ध नकदी		
पेशगी	1,75,000.00	1,75,000.00
4. बैंक में शेष राशि	-	-
क) अनुसूचित बैंकों में :		
- चालू खातों पर		
- जमा खातों पर (मार्जिन राशि शामिल है)	-	-
- बचत खातों पर	21,03,59,742.54	17,63,914.10
ख) गैर अनुसूचित बैंकों में:		
- चालू खातों पर		
- जमा खातों पर	-	-
- बचत खातों पर		-
5. डाकघर - बचत खाता	-	-
कुल (क)	**21,12,87,036.54**	**19,38,914.10**

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 11 - चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

(राशि रु. में)

ख .ऋण, अग्रिम तथा अन्य आस्तियां	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
1. ऋण :	-	-
क. कर्मचारी	-	-
ख संस्था के समान कार्यकलापों/उद्देश्यों में कार्यरत अन्य संस्थाएं	-	-
ग. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
2. नकद रुप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम एवं अन्य राशियों में		-
क. पूंजीगत लेखे पर		-
ख. पूर्व भुगतान		
ग. अन्य		
i. अग्रिम (बैठक, समारोह, टीएडीए आदि)	37,07,973.00	18,98,371.00
ii. प्रतिभूति जमा	62,184.00	62,184.00
iii. स्रोत पर कर कटौती	5,38,920.00	5,38,920.00
iv. लेखा प्राप्य	1,281.00	
3. प्रोद्भूत आय :		
क) उद्दिष्ट / स्थायी निधि से निवेश पर	·	·
ख) निवेश पर - अन्य	·	·
ग) ऋण एवं अग्रिम से	·	·
घ) अन्य (वसूली न जाने के कारण आय रु.... शामिल है)	·	·
4. प्राप्त हुए दावे (एमईए)	3,83,687.00.	3,83,687.00.
कुल (ख)	**46,94,045.00**	**28,83,162.00**
कुल योग (क + ख)	**21,59,81,081.54**	**48,22,076.10**

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 12 - बिक्री / सेवाओं से आय

(राशि रु. में)

अनुसूची 12 - बिक्री / सेवाओं से आय	**चालू वर्ष**	**पिछले वष्र**
1) **बिक्री से आय**		
क) तैयार माल की बिक्री	-	-
ख) कच्ची सामग्री की बिक्री	-	-
ग) स्क्रैप्स की बिक्री	-	-
2) **सेवाओं से आय**		
क) श्रम एवं संसाधन प्रभार	-	-
ख) पेशेवर / परामर्शी सेवाएं	-	-
ग) एजेंसी कमिशन एवं दलाली	-	-
घ) अनुरक्षण सेवाए (उपस्कर / संपत्ति)	-	-
ङ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
<u>कुल</u>	**-**	**-**

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 13 - अनुदान/सब्सिडी

(राशि रु. में)

(अप्रतिसंहरणीय अनुदान तथा प्राप्त सब्सिडी)	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
1. केन्द्र सरकार	**52,85,77,775.00**	**10,00,00,000.00**
2. राज्य सरकार (सरकारें)	-	-
3. सरकारी एजेंसियां	-	-
4. संस्थान / कल्याणकारी निकाय	-	-
5. अंतरराष्ट्रीय संगठन	-	-
6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	**52,85,77,775.00**	**10,00,00,000.00**

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 14 - शुल्क/अभिदान

(राशि रु. में)

शुल्क/अभिदान	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
1. प्रवेश शुल्क	-	-
2. वार्षिक शुल्क/अभिदान	-	-
3. सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क	-	-
4. परामर्श शुल्क	-	-
5. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	.	.

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 15 - निवेशों से आय

(राशि रु. में)

निवेशों से आय	**उद्दिष्ट निधि से निवेश**		**अन्य निवेश से**	
निधियों में अंतरित उद्दिष्ट / स्थायी निधि से निवेश पर आय	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
1. ब्याज	-	-	-	-
क. सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख. अन्य बंध पत्र / ऋण पत्र	-	-	-	-
2. लाभांश	-	-	-	-
क) शेयरों पर	-	-	-	-
ख) म्युचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
3. किराया	-	-	-	-
4. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
कुल		**-**	-	**-**

उद्दिष्ट / अक्षय निधि में अंतरित

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 16 - रॉयल्टी, प्रकाशन से आय

(राशि रुपए में)

अनुसूची 16 - रॉयल्टी / प्रकाशन इत्यादि से आय	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
1) रॉयल्टी से आय	-	-
2) प्रकाशन से आय	-	-
3) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	**-**	**-**

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज

(राशि रुपए में)

1. सावधि जमा पर	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
(क) अनुसूचित बैंकों में	3,39,155	3,39,155.00
(ख) गैर अनुसूचित बैंकों में	-	-
(ग) संस्थानों में	-	-
(घ) अन्य	-	-
2. बचत खातों में		
(क) अनुसूचित बैंकों में	**19,27,831.00**	**3,84,393.00**
(ख) गैर अनुसूचित बैंकों में	-	-
(ग) डाक घर बचत खातों में	-	-
(घ) अन्य	-	-
3. ऋण पर		
(क) कर्मचारी	-	-
(ख) अन्य	-	-
4. देनदारों पर ब्याज एवं अन्य प्राप्तियां	-	-
कुल	**19,27,831.00**	**3,84,393.00**

टिप्पणी : स्रोत पर कर कटौती - शून्य

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

दिनांक 31.03.2023 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 18 - अन्य आय

(राशि रुपए में)

	चालू वर्ष	**पिछले वर्ष**
1. आस्तियों की बिक्री/निपटान से लाभ		
क) स्वामित्व वाली आस्तियां	6,000.00	5,019.00
ख) अनुदानों से अधिग्रहित या नि:शुल्क प्राप्त आस्तियां	-	-
2. वसूली गयी निर्यात प्रोत्साहन राशि	-	-
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-
4. विविध आय एवं अन्य प्राप्ति	4,640.00	-
कुल	4,640.00	**-**

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 19 - तैयार माल के स्टॉक एवं प्रगतिधीन कार्य में वृद्धि / कमी

(राशि रुपए में)

तैयार माल के स्टॉक एवं प्रगतिधीन कार्य में वृद्धि / कमी	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क) अंतिम स्टॉक	-	-
. -तैयार माल		
. -प्रगतिधीन कार्य		
ख) घटाएं : प्रारंभिक स्टॉक	-	-
. -तैयार माल	-	-
. -प्रगतिधीन कार्य	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

दिनांक 31.03.2023 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 20 - स्थापना व्यय

(राशि रु. में)

	चालू वर्ष	**पिछले वर्ष**
क) वेतन तथा मजदूरी	2,80,58,774.00	2,74,00,042.00
ख) भत्ते तथा बोनस / अनुग्रह राशि	5,99,999.00	15,11,850.00
ग) भविष्य निधि में अंशदान	-	-
घ) अन्य निधि में अंशदान (निर्दिष्ट करें)	-	-
ड) स्टॉफ कल्याण व्यय	-	-
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति एवं सेवांत लाभों पर व्यय : एलएस एवं पीसी	-	-
छ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
एलटीसी व्यय		
सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क		
एनटीसीए अधिकारियों की प्रतिपूर्ति (चिकित्सा, समाचार पत्र, ब्रीफकेश, टेलिफोन प्रभार आदि)	2,17,125.00	1,30,419.00
कुल	**2,96,58,377.00**	**2,94,69,767.00**

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

दिनांक 31.03.2023 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय आदि

(राशि रु. में)

	चालू वर्ष	**पिछले वर्ष**
क. खरीद		-
ख. सवारी भत्ता एवं गाड़ी भाड़ा	55,175.00	58,117.00
ग. मरम्मत एवं अनुरक्षण		
भवन	1,29,125.00	3,45,452.00
अन्य	1,33,765.00	3,47,463.00
घ. वाहन चालन व्यय	2,10,250.00	2,56,346.00
ङ. वाहन अनुरक्षण	79,848.00	94,619.00
च. डाक खर्च, टेलीफोन तथा संप्रेषण प्रभार	1,97,620.00	2,09,786.00
छ. मुद्रण, प्रकाशन तथा पत्र-पत्रिकाएं	-	21,577.00
ज. यात्रा व्यय		
अंतर्देशीय	41,89,248.00	30,34,349.00
विदेश	59,38,199.00	16,71,783.00
झ. विधिक और व्यवसायिक प्रभार	5,12,016.00	3,95,055.00
ञ. आतिथ्य व्यय	2,41,576.00	1,66,014.00
ट. विज्ञापन तथा प्रसार	-	-
ठ. बिजली और पानी प्रभार	2,26,748.00	1,42,842.00
ड. वितरण व्यय	-	-
ढ. मुद्रण तथा लेखन सामग्री	3,20,902.00	7,60,379.00
ण. इम्प्रेस्ट व्यय	-	-
त. स्थान परिवर्तन / संचलन व्यय	-	-
थ. बैंक प्रभार	-	-

द. अन्य कार्यालय व्यय (कंप्यूटर उपभोज्य सहित)	35,16,553.00	33,68,172.00
ध. किराया	4,38,216.00	71,060.00
न. अप्रयोज्य आस्तियों की बिक्री से घाटा/हानि	-	67,588.00
प. विप्रेषित धन (परिसंपत्ति / सामान्य और अन्य वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त धनराशि / अन्य प्राप्तियां)	4,640.00	62,111.00
फ. प्रतिदाय किया गया अंशदान / अनुदान	9,26,154.10	16,72,138.10
ब. प्रशिक्षण, कार्यशाला एवं सम्मेलन/बैठक संबंधी व्यय	43,82,522.00	55,41,814.00
भ. (सीएएमपीए निधि) से व्यय	10,75,84,080.74	
कुल	**12,90,86,637.84**	**1,82,86,665.10**

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

दिनांक 31.03.2023 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 22 - अनुदान, सब्सिडी इत्यादि पर व्यय

(राशि रु. में)

	चालू वर्ष	**पिछले वर्ष**
क. संस्थानों/संगठनों को दिया गया अनुदान		
(i) सामान्य अनुदान सहायता से (एनटीसीए)	4,58,60,560.00	4,90,77,000.00
(ii) सीएएमपीए से प्राप्त अनुदान सहायता	20,85,57,040.00	-
(iii) स्वच्छ भारत स्कीम के तहत अनुदान सहायता	90,00,000.00	-
ख. संस्थानों/संगठनों को दी गई सब्सिडी		
कुल	**26,34,17,600.00**	**4,90,77,000.00**

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

दिनांक 31.03.2023 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 23 - ब्याज

(राशि रु. में)

	चालू वर्ष	**पिछले वर्ष**
क. सावधि ऋणों पर	-	-
ख. अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)	-	-
ग. अन्य (सरकारी कोष में विप्रेषित धनराशि)	19,27,831.00	3,84,393.00
कुल	19,27,831.00	3,84,393.00

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों में शामिल अनुसूची

अनुसूची 24 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. **लेखांकन आधार**

   वित्तीय विवरण, लेखांकन की आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन नीतियों के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

2. **अचल आस्तियां**

   अचल आस्तियों में प्रापण की लागत, जिसमें आवक भाड़ा, शुल्क और कर तथा अनुषंगी एवं प्रापण संबंधी प्रत्यक्ष व्यय समाहित हैं।

   अचल आस्तियां गैर-आर्थिक अनुदान के रूप में प्राप्त (कॉर्पस निधि के अतिरिक्त) मूल्यगत पूंजी के रूप में संगत पूंजी रिजर्व के रूप में वर्णित हैं।

3. **अवमूल्यन**

   अचल आस्तियों पर अवमूल्यन आयकर अधिनियम, 1961 में प्रदत्त दरों पर ह्रासित मूल्य पर किया गया है। सितंबर माह के पश्चात् प्राप्त की गयी आस्तियों को आस्ति के लिए विहित अवमूल्यन दर के आधे दर पर अवमूल्यन किया गया है।

4. **सरकारी अनुदान**

   सरकारी अनुदानों की गणना प्राप्ति आधार पर की गयी है।

5. **सामान्य**

   लेखांकन नीतियां जो विशिष्ट रूप से उल्लिखित नहीं हैं, अन्यथा तालमेल में हैं।

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में शामिल अनुसूची

अनुसूची 25 : आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं संबंधी टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताएं : संस्था के प्रति देय दावों को ऋण के रूप में स्वीकृति नहीं दी गई है- शून्य (पिछले वर्ष - शून्य)

2. पूंजीगत प्रतिबद्धता : पूंजीगत लेखे से निष्पादित नहीं हुई संविदाओं का प्राक्कलित मूल्य एवं जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिम के निवल) - शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

3. चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम

प्रबंधन के अनुसार, चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिमों की कीमत कारोबार के सामान्य तरीके से वसूली करने पर पता लगती है, जो कम से कम तुलन-पत्र में दर्शायी गई संपूर्ण राशि के समान हो।

4. संलग्न अनुसूची 1 से 25, 31 मार्च, 2023 के तुलन पत्र तथा उस दिनांक को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं लेखे का अनिवार्य भाग है।

5. जमा पर ब्याज आय को प्रोद्भूत आधार पर और सकल आंकड़ों में दर्शाया गया है और स्रोत पर कटौती को पृथक रूप से दर्शाया गया है।

15-19/2021-NTCA

1062667(1)/2023/NRCD

Speed-Post

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग, नई दिल्ली 110021

No DGA/ESD/EA/SAR/NTCA - 1176 दिनाक

सेवा में, 21 NOV 2023

Dr. S.P. Yadav
ADG (PT) & MS,
National Tiger Conservation Authority, MOEF & CC
7th floor, Pandit Deendayal Antyadaya Bhawan, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi-110003

विषयः **Separate Audit Report on the Accounts of National Tiger Conservation Authority, New Delhi for the year 2022-23**

महोदय,

मुझे वर्ष 2022-23 के लिए National Tiger Conservation Authority, New Delhi का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

संसद के दोनो सदनों में प्रस्तुत करने से पहले वर्ष 2022-23 के वार्षिक लेखों को संस्थान के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया/अपनाया जाए तथा इस संबंध मे शासी निकाय द्वारा जारी किया गया रेजोल्यूशन ऑडिट को भेजा जाए। प्रत्येक दस्तावेज जो संसद मे प्रस्तुत किया जाए उसकी तीन प्रतियॉ इस कार्यालय तथा दो प्रतियॉ भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को अग्रेषित की जाए। संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने की तिथियॉ भी इस कार्यालय को सूचित की जाए।

भवदीया,

सलग्नक.– पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

-sd-

उपनिदेशक (पर्यावरण)

Copy to:

1. सचिव, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अली गंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003

उपनिदेशक (पर्यावरण)

Separate Audit Report on the Accounts of National Tiger Conservation Authority, New Delhi for the year ended on 31th March 2023

We have audited the attached Balance Sheet of National Tiger Conservation Authority (NTCA), New Delhi as on 31th March 2023, the Income & Expenditure and Receipts and Payment Account for the year ended on the date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 38R of the Wildlife (Protection) Act, 1972 as amended from time to time. These financial statements are the responsibility of the NTCA's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the law, regulations (propriety and regulatory) and efficiency-cum-performance aspects etc., if any, are reported through Inspection Reports/ CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

(i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

(ii) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance.

(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the NTCA as required under Section 38R of the Wildlife (Protection) Act, 1972 in so far as it appears from our examination of such books.

(iv) We further report that:

(A). BALANCE SHEET: No Comments

(B). INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT:

1. (Expenditure Rs. 4282.75 lakh)

1.1 Understatement of Expenditure

During scrutiny of vouchers of the months of April-June 2023 it was found that total expenditure of Rs. 1.49 lakh was incurred on Travelling Expenses (Domestic), Meeting Expenses, Other office expenses and Other Estb. Expenses etc. pertaining to the year 2022-23. Details thereof are given below:

Sl. No.	Voucher no.	Voucher date	Description	Period for which payment pertains/ bill date	Amount (In Rs.)
1	TA-DA/23-24-5	09.06.2023	Travelling expenses (Domestic)	October 2022	6560
2	NTCA/23-24-CB-100	19.06.2023	Meeting Expenses	March 2023	112356
3	NTCA/23-24-CB-114	30.06.2023	Other Estb Exp (Reimb Of NTCA Officers)	March 2023	2488
4	NTCA/23-24-CB-27	09.05.2023	Other Office Expenses	Dec 2022 to March 2023	1450
5	NTCA/23-24-CB-68	30.05.2023	Other Estb Exp (Reimb Of NTCA Officers)	March 2023	3097
6	NTCA/23-24-CB-56	22.05.2023	Other Estb. Exp (Reimb Of NTCA Officers) (Telephone Broad band bill)	April 2022-March 2023	12967
7	TA-DA/23-24-2	09.06.2023	Travelling expenses (Domestic) & Meeting Exp	January 2023	10400
Total					**149318**

This had resulted in understatement of expenditure and current liabilities both by Rs 1.49 lakh during the year 2022-23.

(C) GRANTS-IN-AID

Wildlife Protection Act, 1972 under Section 38Q of the Chapter IV B prescribed to constitute a fund called Tiger Conservation Authority Fund to be credited with inter-alia any grants and loans made to the Tiger Conservation Authority by the Central Government. The fund was intended to be applied for meeting salary, allowances and other remuneration of the members, officers and other employees of the Authority and the expenses incurred in the discharge of its functions.

However, Audit did not find any such fund existing in the Authority. Instead, it operates bank accounts with the same name (i.e. Tiger Conservation Authority Fund) to receive the

government grant. During 2022-23, NTCA received Rs 5285.78 lakh as grant-in-Aid comprising Rs 1016.67 lakh and Rs. 4269.11 lakh as recurring and non-recurring portions respectively. The recurring budget which was inclusive of a revalidated unspent balance of Rs. 16.67 lakh from the last year grant was put to meet a recurring expenditure of Rs. 1007.41 lakh. The Authority also released non-recurring grant to the tune of Rs 2634.18 lakh during the year 2022-23.

(D). GENERAL

Internal Audit of the Authority is required to be conducted by the Internal Audit Wing of the Principal Pay & Accounts Office of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC), New Delhi which was completed up to March 2020. Thenceforth, the Authority has not been audited so far.

(E). Management Letter

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the Member Secretary, NTCA through a management letter issued separately for remedial/ corrective action.

(i) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

(ii) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated the other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

(a) In so far as it related to the Balance Sheet, of the state of affairs of the NTCA, as at 31 March 2023,

(b) In as far as it related to Income and Expenditure Accounts, of surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the C&AG of India

Director General of Audit
(Environment & Scientific Departments)

Place: New Delhi

Date: 21/11/23

Annexure

INTERNAL CONTROL

1. Adequacy of internal control system

(i) Audit found the following twelve cases of pending UCs belonging to the prior period grants to the tune of Rs. 83.14 lakh. Out of these, five cases amounting to Rs. 11.07 lakh observed an inordinate pendency of six to ten years.

Sl No	Organization	Financial Year	Project Details	Amount (Rs in lakh)
1	Madhya Pradesh Tiger Foundation Society	2013-14	Phase-IV monitoring in the Ratapani Sanctuary and surrounding area	1.446
2	Deputy Director, Dudhwa Tiger Reserve	2013-14	For 'Workshop on intelligence collection, analysis and investigation matter on wildlife crimes' in Dudhwa Tiger Reserve	2.00
3	Periyar Foundation-Periyar Tiger Reserve	2014-15	'Additional fund requirement for conducting Zonal Field Training on protocol of the All India Tiger Estimation in Periyar Tiger Reserve	3.00
4.	Institute of Forensic Science, Gujarat, Forensic Sciences University	2014-15	For organizing of 2 days training course on wildlife forensic for officers of State Forest Department and Police Department with addtl amount	1.628
5	PCCF & CWLW, Assam	2016-17	Implementation of Phase IV tiger monitoring 2016 in Orang Tiger	3.00
6	Director, Kaziranga Tiger Conservation Foundation	2021-22	Health and Accident Insurance	10.00
7	Global Tiger Forum	2021-22	Capacity Building (TRCs)	4.45
8	Global Tiger Forum	2021-22	High Altitude Tigers (HAT)	12.13
9	Global Tiger Forum	2021-22	High Altitude Tigers (HAT)	12.13
10	Director, Wildlife Institute of India, Dehradun	2021-22	Functioning and efficacy	2.86
11	IIT, Gandhinagar	2021-22	Anthropology Humanities	3.20
12	Director, Wildlife Institute of India, Dehradun	2021-22	All India Tiger Estimation (2021-22)	27.30
	Total			83.144

Long pendency of these UCs is indicative of lethargic attitude of the Authority towards disbursement of grants as GFR 238(i) not only directs the Grantee to ensure submission of UC within twelve months of the closure of the financial year but also empowers the Ministry/ Department to blacklist the recipient from future financial support in the event of defaulting.

Non-maintenance of miscellaneous registers: During linking of accounts with the basic records/ registers, Audit noticed that the Authority has not maintained various registers viz. TA and LTC bill register, Medical Claim Expenditure Register and Register of Contracts (CAM-31).

These registers facilitate monitoring of disbursement of corresponding advances and payments and keep track of the related bills. Hence, their absence may diminish the organized control and create space for inadvertent lapses.

Incorrect/ missing entries: On perusal of fixed assets/ consumable assets registers, it was observed that due care was not taken in entering the purchased assets in the corresponding registers resulting in incorrect treatment of assets. For instance, a computer software purchased in March 2023 for Rs 15,340/- was entered in consumable register in lieu of treating the same as intangible fixed asset. Similarly, some furniture & fixture items purchased in January 2023 were not entered in the Fixed Asset Register but formed a part of Schedule-8. However, this was rectified by the Authority at the instance of Audit in due course.

System of physical verification of fixed assets and inventory

General Financial Rule 213 (i) requires the fixed assets to be verified at least once in a year to record its outcomes in the corresponding register and to promptly investigate the discrepancies, if any found therein.

However, the latest physical verification report produced by the Authority showed that the fixed assets were last verified in July 2019 for the year 2017-18. Since then, the unverified fixed assets have been forming a part of Balance Sheet vis-à-vis Schedule – 8.

Regularity in payment of statutory dues

The Authority has no statutory dues outstanding for more than six months from the date of becoming due during the period 2022-23. However, it has remained lackadaisical towards claiming refund of TDS resulting in accumulation of receivable TDS to the tune of Rs. 5.39 lakh since 2014-15 as detailed below:

Year	Amount of receivable TDS refund (in Rs.)
2014-15	1,83,556.00
2015-16	1,21,659.00
2016-17	1,17,406.00
2017-18	92,124.00
2018-19	24,175.00
Total	**5,38,920.00**

Deputy Director (EA)

Aman Deep Chatha, IA&AS
Director General of Audit

NO: DGA(ESD)/ES/SAR/NTCA/2022-23/OIOS/PR-78668 /: 7/ **DATED:**

2 1 NOV 2023

Dear Shri S.P. Yadav,

We have audited the Annual accounts of National Tiger Conservation Authority (NTCA), New Delhi for the year 2022-23 and have issued the Audit Report thereon vide letter Dated 21/11/23. During the course of audit, some deficiencies were noticed as per Annexure- A which are of a relatively minor nature and were, therefore, not included in the Audit Report. These are being brought to your notice for remedial and corrective action.

Warm Regards

Yours sincerely,

Encl: As above

DR. S.P. Yadav
Member Secretary
National Tiger Conservation Authority
B-1 Wing, 7th Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan,
CGO Complex,
New Delhi-110 003.
India.

Annexure A

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT:

1. **(Expenditure Rs. 4282.75 lakh)**

1.1 Overstatement of Expenditure

The expenditure side included an aggregate amount of Rs. 49,796.00 incurred by the authority on Legal expenses, other estb. Expenses, Vehicle hiring charges and other office expenses etc. pertaining to the previous year i.e. 2021-22 as detailed below:

Sl. No.	Voucher no.	Voucher date	Description	Bill date/ period for payment	Amount (In Rs.)
1	NTCA 22-23-CB-30	27.05.2022	Legal expenses	11th March 2022	6900
2	NTCA 22-23-CB-28	27.05.2022	Other Estb. Exp. (Reimb. Of NTCA Officers)	March 2022	2489
3	NTCA 22-23-CB-12	05.05.2022	Vehicle Hiring Charges (Metro Travels)	March 2022	74007-36855=37152
4	NTCA 22-23-CB-08	04.05.2022	Other Office Expenses	Nov. 2021 to March 2022	3190
5	NTCA 22-23-CB-40	01.06.2022	Other Office Expenses	March 2022	65
Total					49796

This had resulted in overstatement of Expenditure by Rs. 49,796/- besides understatement of Prior-period Expenses by the same amount.

2. **GENERAL**

In accordance with the instructions contained in Appendix No. II below Rule 17 of Central Government Account (Receipts & Payments) Rules, 1983, all Government transactions (including actual receipts/payments or book adjustments) involving fractions of a rupee shall be brought to account by rounding off to the nearest rupee (fraction of 50 paise and above to be rounded off to the next higher rupee and fraction of less than 50 paise to be ignored).

However, during examination of the Financial Statements of the Authority for the year 2022-23, Audit noticed that the amounts against various items were depicted with non-integral parts in contravention of the rule ibid.

DY. DIRECTOR (EA)

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार

बी.1 विंग सातवां तल,पं० दीनदयाल अंत्योदय भवन,

सी.जी.ओ. काम्पलेक्स लोधी रोड,

नई दिल्ली-110003

टेलीफोन: 011- 24367837-39 फेक्स : 011-24367836

Ministry of Environment, Forest and Climate Change